



राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

बारां

वर्ष 2026

जिला प्रशासन बारां

फोन – 07453–237001

फैक्स – 07453–237005

टोल फ्री नम्बर – 1077

ई-मेल:- dm-brn-rj@nic.in

बाल मुकुन्द असावा,
जिला कलक्टर, बारां



एक संदेश

कोई भी घटना चाहे वह प्राकृतिक या अन्य कारणों से हो यदि वह व्यापक रूप से जन हानि व आर्थिक नुकसान का कारक बनती है तो आपदा की श्रेणी में समाविष्ट होती है। बारां जिला भी गत अनुभवों के आधार पर बाढ़ व अतिवृष्टि, जलप्लावन ओलावृष्टि, आगजनी, आकाशीय बिजली आदि से प्रभावित हुआ है।

प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम एक दीर्घकालीन रणनीति एवं संरचनात्मक सुधार व उपायों का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर, आपदाओं के खतरों का न्यूनीकरण, इनसे सुरक्षा, उपायों के लिए प्रभावी समन्वय एवं क्षमताओं में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये एक योजना का निर्माण महत्वपूर्ण कार्य है।

आपदा के घटित होने पर उसके प्रभावों से निपटने के लिये शीघ्र कार्यवाही एवं राहत कार्यों के सम्पादन की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिये आम जन की जागरूकता, प्रशासन एवं राजकीय विभागों में आपसी समन्वय, त्वरित सूचना सम्प्रेषण व रेस्क्यू टीमों का प्रभावी क्षेत्रों में शीघ्र पहुंच जरूरी कदम है। इन सभी दृष्टिकोणों से बारां जिले की बाढ़/अतिवृष्टि के संरचनात्मक प्रबंधन के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। इसमें आपदाओं से बचाव के लिये पूर्व सावधानियों के साथ-साथ विभिन्न राजकीय विभागों के सम्पर्क सूत्रों, आश्रय स्थलों, उठाये जाने वाले कदमों व राहत कार्यों का वर्णन किया गया है।

आशा है यह योजना बारां जिले में बाढ़ आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने, आपदाओं से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाने में समन्वय के साथ आपदा प्रबंधन की क्षमता अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध होगी एवं हम आम जन के सहयोग से आपदाओं से निपटने में अधिक तत्पर होंगे।

मुझे विश्वास है कि सभी राजकीय विभागों के कार्मिक व अधिकारी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थायें, रेस्क्यू टीमों आमजन के सहयोग से घटित होने वाली किसी भी आपदा से प्रभावित परिवारों के जान माल की सुरक्षा बचाव व राहत कार्यों का समन्वय के साथ अधिक प्रभावी तरीके से त्वरित सम्पादन इस जिला बाढ़ प्रबंधन योजना के माध्यम से कर सकेंगे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर, बारां

विषय सूची

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
अध्याय -1	भूमिका	5
अध्याय -2	जिला बारां एक संक्षिप्त परिचय	10
अध्याय -3	आपदा सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण	21
अध्याय -4	रोकथाम एवं शमन	31
अध्याय -5	विकास कार्यों में डी.आर.आर. का समायोजन	41
अध्याय -6	तैयारी	46
अध्याय -7	क्षमता वर्धन	57
अध्याय -8	राहत एवं प्रत्याक्रमण	61
अध्याय -9	समुत्थान एवं पुर्ननिर्माण	65
अध्याय -10	सूखा-आपदा कार्ययोजना	67
अध्याय -11	भूकम्प-आपदा कार्ययोजना	72
अध्याय -12	बाढ़ फ्लेश फ्लड, बादल फटना-आपदा कार्ययोजना	78
अध्याय -13	प्रमुख दुर्घटनाएं-रेल, सड़क कार्ययोजना	90
अध्याय -14	अग्नि दुर्घटनाएं (शहरी, वन, तेल) आपदा कार्ययोजना	96
अध्याय -15	खदानों में दुर्घटनाएं-आपदा कार्ययोजना	106
अध्याय -16	आंधी तूफान, आकाशीय बिजली-आपदा कार्ययोजना	108
अध्याय -17	आतंकवाद / बम विस्फोट -आपदा कार्ययोजना	112
अध्याय -18	नाभिकीय दुर्घटनाएं-आपदा कार्ययोजना	119
अध्याय -19	ताप लहर-आपदा कार्ययोजना	122
अध्याय -20	शीतलहर, पाला-आपदा कार्ययोजना	124
अध्याय -21	ओलावृष्टि-आपदा कार्ययोजना	126
अध्याय -22	रासायनिक-आपदा कार्ययोजना	127
अध्याय -23	बायोलॉजिकल- आपदा कार्ययोजना	130
अध्याय -24	योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण	134
अध्याय -25	समन्वय और क्रियान्वयन	135
अध्याय -26	उपसंहार	136

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट नम्बर	विवरण	पृष्ठ सं०
परिशिष्ट नं. 1	महत्पूर्ण अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों की सूची	137
परिशिष्ट नं 2	एस.डी.आर.एफ. सम्पर्क विवरण	144
परिशिष्ट नं 3	जिला बारां में निवासरत युवा/उत्साही/तैराकी के जानकार व्यक्तियों की सूची	145
परिशिष्ट नं 4	नेहरू युवा केन्द्र सक्रिय मण्डलों की सूची	148
परिशिष्ट नं 5	मत्स्य विभाग नाव चालको की सूची	149
परिशिष्ट नं 6	रक्त दाताओं की सूची	150
परिशिष्ट नं 7	पशुओ को रखने के लिए गौशालों की सूची	152
परिशिष्ट नं 8	आगनबांडी केन्द्र	156
परिशिष्ट नं 9	पेट्रोल पम्पों की सूची	158
परिशिष्ट नं 10	गैस एजेन्सियों तथा गोदामों की सूची	162
परिशिष्ट नं 11	टेंट हाउस की सूची	163
परिशिष्ट नं 12	हलवाईयों की सूची	165

अध्याय—1

भूमिका

आपदा को अंग्रेजी में **Disaster** कहा जाता है। यह दो लैटिन शब्दों –**Dis(Bad)** व **Aster (Star)** से मिलकर बना है । आपदाएं प्रगति में बाधा डालती हैं तथा बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास संबंधी प्रयासों के फल को नष्ट कर देती हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती है । पुराने समय में आपदाओं के प्रति “भाग्यवाद का दर्शन” अपनाया जाता रहा है और इन्हें “ईश्वर की नाराजगी” तथा “प्रकृति के प्रकोप” के रूप में देखा जाता था। इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है, परन्तु आधुनिक समय में प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अतः हाल के समय में भारत में और विदेशों में आपदाओं के घटित होने पर ही कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है इसका कारण आपदाओं की बारम्बारता में वृद्धि और तीव्रता की बात को इसी प्रकार स्वीकार करना है क्योंकि अब यह मान लिया गया है कि जिम्मेदार और सिविल समाज में सुशासन के लिए आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से प्रभावी रूप से निपटने की आवश्यकता है । आपदाओं के प्रति मानव दृष्टिकोण में आए इसी बदलाव के कारण आधुनिक समय में पूर्व तैयारी करके आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने हेतु भाग्यवाद के स्थान पर “आपदा प्रबंधन” को अपनाया गया है ।

आपदा प्रबंधन:—

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानवजन्य कारणों से आने वाली ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो । आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित के लिए आवश्यक अथवा समीचीन योजना संचालन ,समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत और एकीकृत प्रक्रिया शामिल है :—

- किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम ।
- किसी आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का आकलन ।
- किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन अथवा न्यूनीकरण ।
- अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण ।
- किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी ।
- किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा आने पर त्वरित कार्यवाही ।
- फंसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत ।
- पुनर्वास और पुनर्निर्माण ।

आपदा प्रबंधन की विशिष्ट सतत् प्रक्रिया में छह तत्व शामिल हैं; आपदा-पूर्व चरण में रोकथाम ,प्रशमन और तैयारी शामिल हैं जबकि आपदा उपरान्त चरण में कार्रवाई, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली शामिल है ।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

विजन :-

जिला आपदा प्रबंधन योजना का विजन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, के अनुसार है। इस योजना में एक ऐसी प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है जो बहुआयामी, सक्रिय, बहु-आपदा, बहु-क्षेत्रीय, बहु-सहयोगी, तकनीकोन्मुखी और गतिशील हो जिससे बारां जिले को एक सुरक्षित एवं आपदा-समुत्थानशील जिला बनाया जा सके।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :-

- रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को प्रोत्साहित करना जिससे हर स्तर पर आपदा प्रबंधन को प्रमुख प्राथमिकता दी जा सके। जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में समुदाय एक प्रमुख सहभागी है।
- आधुनिक तकनीक एवं पर्यावरण संपोषण पर आधारित शमन उपायों को बढ़ावा देना।
- समाज के सुभेद्य वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति बेहतर जवाबी एवं राहत प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- पुनर्निर्माण को एक ऐसे अवसर के रूप में इस्तेमाल करना जिससे आपदा-रोधक आवासों का निर्माण किया जाए।
- समुत्थान के दौरान आपदा-पूर्व स्थिति के मुकाबले बेहतर सामुदायिक विकास करना।
- मीडिया की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण (**Minimisation**) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (**Policy Plan**) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त

महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

(क) प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standardisation) करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।

(ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

राष्ट्रीय, राज्य जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन ढांचा

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देश में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाली इस संस्था के मुख्य दायित्व आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं एवं दिशा-निर्देश तैयार करना और उनके क्रियान्वयन संबंधी क्रियाकलापों का समन्वयन करना है जिससे आपदा से निपटने में कारगर जवाबी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और डीएम प्लान्स को मंजूरी देने की जिम्मेदारी भी एनडीएमए की है।

2. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)

एनईसी एनडीएमए की कार्यकारिणी समिति है जिसका मुख्य दायित्व एनडीएमए के कार्यों के निष्पादन में उसकी सहायता करना है। केन्द्र सरकार एनडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी एनईसी की है। यह केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में काम करती है तथा अन्य मंत्रालयों के सचिव और भारत सरकार के वशिष्ट अधिकारी इसके सदस्य होती हैं।

3. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट (एनआईडीएम)

एनआईडीएम की प्रमुख जिम्मेदारियों में क्षमता-वर्धन ट्रेनिंग, शोध, दस्तावेज तैयार करना और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना आधार विकसित करना शामिल है। प्रशिक्षकों, डीएम अधिकारियों और अन्य सहभागियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करना भी एनआईडीएम का दायित्व है।

4. नेशनल डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ)

एनडीएमए के नेतृत्व में एनडीआरएफ का गठन प्राकृतिक और मनुष्यकृत आपदाओं या जोखिमों से विशिष्ट तरीके से निपटने के लिए किया गया है। एनडीआरएफ में इस समय 8-10 बटैलियन हैं जो देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। एनडीआरएफ इकाइयां संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहेगी और आपदा की स्थिति में तत्काल सेवाएं मुहैया कराएंगी।

राज्य सरकार द्वारा चयनित सहभागियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी एनडीआरएफ की है।

5. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसडीएमए की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करना है। एनडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किये गये स्टेट प्लान को मंजूरी देना, स्टेट प्लान के क्रियान्वयन का समन्वयन, तैयारी किये गये स्टेट प्लान को मंजूरी देना, स्टेट प्लान के क्रियान्वयन का समन्वयन, तैयारी और शमन कार्यों के लिए धन का प्रावधान करना, और राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करना भी एसडीएमए के दायित्वों में शामिल है जिससे रोकथाम, तैयारी और बचाव कार्यों में समन्वय सुनिश्चित किया जा सकें।

6. राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसईसी की प्रमुख जिम्मेदारी एसडीएमए के कार्य निष्पादन में उसकी सहायता करना है। राष्ट्रीय नीति, नेशनल प्लान और स्टेट प्लान के क्रियान्वयन का समन्वय और निगरानी करना भी एसईसी का दायित्व है। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की होती है। केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर गठित संस्थागत प्रक्रिया किसी आपदा को कारगर तरीके से प्रबंधित करने में राज्य की सहायता करती है।

7. स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स (एस.डी.आर.एफ.)

राजस्थान आर्म्ड कॉस्टबुलरी (आरएसी) की सहायता से राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया गया है। शुरुआत में, इसमें आरएसी के 150 प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी शामिल किये गये हैं जो कोटा, जोधपुर और जयपुर में 50-50 की संख्या में तैनात हैं। आपदा के दौरान राज्य की कारगर रिसपॉन्स टीम के रूप में काम करने के लिए एसडीआरएफ को विशेषज्ञ प्रशिक्षण और उपकरण मुहैया कराये गये हैं।

8. सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट

स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (एटीआई) एच.सी.एम. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में स्थित सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य में क्षमता-वर्धन करना है। यह प्रशिक्षकों और अन्य सहभागियों के लिए ट्रेनिंग आयोजित करता है, राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज तैयार करता है और एक नॉलेज सेंटर का कार्य करता है।

9. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीडीएमए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और क्रियान्वयन संख्या के रूप में कार्य करता है। यह एनडीएमए एवं एसडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है। जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएम प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी भी डीडीएमए की है।

10. स्थानीय प्रशासन

स्थानीय प्रशासन में पंचायती राज्य संस्थाएं, नगरपालिका, डिस्ट्रिक्ट एण्ड केन्टरमेंट बोर्ड्स और टाउन प्लानिंग ऑथोरिटीज शामिल हैं, जो नागरिक सेवाओं का संचालन करती हैं। स्थानीय प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का क्षमता-वर्धन सुनिश्चित करना है जिससे वे आपदा प्रबंधन, राहत कार्यों, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों का बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकें। एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने-अपने डीएम प्लान भी तैयार करते हैं।

11 नोडल डिपार्टमेंट्स

राज्य सरकार ने आपदा के कारगर प्रबंधन के लिए कुछ विशेष नोडल विभागों का चयन किया है। उसकी सूची निम्न लिखित है।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग:—सूखा, ओला-वृष्टि, गर्मी एवं शीत-लहर, बिजली गिरना, चक्रवात, भू-स्खलन एवं कीचड़ बहाव।

ऊर्जा विभाग:— बिजली उत्पादन, वितरण एवं हस्तांतरण से जुड़ी आपदाएं।

गृह विभाग:— आतंकी हमले, पुलिस विद्रोह, कानून एवं व्यवस्था का संकट, रासायनिक, जैविक, आपदाएं, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं, त्यौहार-संबंधी आपदाएं।

जल संसाधन विभाग:— बाढ़, फ्लैश फ्लड, बांध-टूटना एवं बादल-फटना।

पब्लिक वर्क्स :— भूकम्प, इमारत ढहना, भू-स्खलन डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी)

खदान एवं पेट्रोलियम:— खदानों में आग एवं बाढ़, तेल रिसना।

उद्योग विभाग :— रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएं।

अर्बन डिवेलपमेंट एण्ड हाउसिंग :— शहरी अग्निदुर्घटनाएं।

राजस्व विभाग:— ग्रामीण अग्निदुर्घटनाएं, नाव-उलटना।

वन विभाग:— दावानल

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग:— जैविक आपदा एवं महामारी, भोजन-विषाक्षीकरण

कृषि विभाग:— रोग-जनक जीवों का आक्रमण।

पशु-पालन विभाग:— पशुओं में महामारी।

बारां जिला एक संक्षिप्त परिचय

राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी अंचल में स्थित कोटा जिले के दक्षिणी पूर्वी सीमान्त क्षेत्र को 10 अप्रैल 1991 से बारां जिले का स्वरूप प्रदान किया गया है। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती अंचल के मध्य भाग में मध्य-रेल्वे के कोटा-बीना रेल मार्ग पर बारां नगर की स्थापना चोदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी में सोलंकी राजपूत द्वारा की गई थी। बारां जिला 24.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 72.12 डिग्री पूर्वी देशान्तर से 77.26 डिग्री मानचित्रीय के मध्य स्थित है। जिले की लम्बाई पश्चिम में कालीसिंध व परवन के संगम (राजगढ़) से पूर्व में कोटा नाका (कस्बाथाना से 6 किमी. उत्तर पूर्व) तक 120 किमी. परन्तु सड़क मार्ग से 151 किमी. है। अधिकतम चौड़ाई उत्तर में भावपुरा (बम्बोरी कला के निकट) से दक्षिण में झाला-बामला (कुम्भराज नाका) तक 110 किमी. परन्तु सड़क मार्ग द्वारा 130 किमी. है। जिला मुख्यालय बारां से अधिकतम सड़क मार्ग दूरी पूर्व में कोटा नाका 111 किमी. पश्चिम में राजगढ़ 40 किमी. उत्तर में ढीबरी 54 किमी., तथा दक्षिण में कुम्भराज नाका 90 किमी. है। जिले का कुल क्षेत्रफल 6992 वर्ग किमी (नगरीय 82.18 वर्ग किमी तथा ग्रामीण 6909.82 वर्ग किमी.) है।

बारां जिला राजस्थान का सूदूर दक्षिणी पूर्वी सीमान्त जिला है। इसकी सीमायें अन्तर्राज्यीय सीमा में मांगरोल तहसील के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर स्थित भावगढ़ से छीपाबड़ौद तहसील के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित टोल खेड़ा तक बारां जिले की उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा मध्यप्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय सीमा बनाती है। अन्तर्जिला सीमा में छीपाबड़ौद तहसील की दक्षिणी पश्चिमी तथा अटरू तहसील की आधी पश्चिमी सीमा बारां जिले को झालावाड़ जिले से पृथक करती है।

स्थल आकृति की दृष्टि से बारां जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का एक भाग है। जिसे हाड़ौती के पठार की संज्ञा दी गयी है। यह मुख्य रूप से कालीसिंध व पार्वती नदी के दोआब है। जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 210 से 275 मीटर है। इस मैदान का क्रमिक ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है।

हाड़ौती का पठार गोंड़वाना लैण्ड पर स्थित एवं सन्तुलित होने से भूकम्प शून्य है। अप्रवाह प्रणाली बारां जिले का क्रमिक ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस जिले का सम्पूर्ण जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है। जिले की नदियों की प्रणाली वृक्षसम या दुमाकार है।

1.3 प्रशासनिक संरचना:-

प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से बारां जिला 8 उपखण्ड, 8 तहसील एवं 8 पंचायत समिति क्षेत्रों में विभाजित है। जिले में कुल 232 ग्राम पंचायतें तथा कुल 1252 राजस्व ग्राम हैं जिनमें से 122 गैर आबाद ग्राम हैं। जिले में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तों की संख्या 59 तथा 242 पटवार मण्डल हैं। जिले में कुल 20 पुलिस स्टेशन तथा 28 पुलिस चौकियां हैं। जिले में पाँच नगर निकाय हैं— बारां, अन्ता, मांगरोल, छबड़ा, अटरू। जिले में 6 उपतहसील हैं:- केलवाडा, नाहरगढ़, सीसवाली, कवाई, हरनावदाशाहजी एवं कोयला।

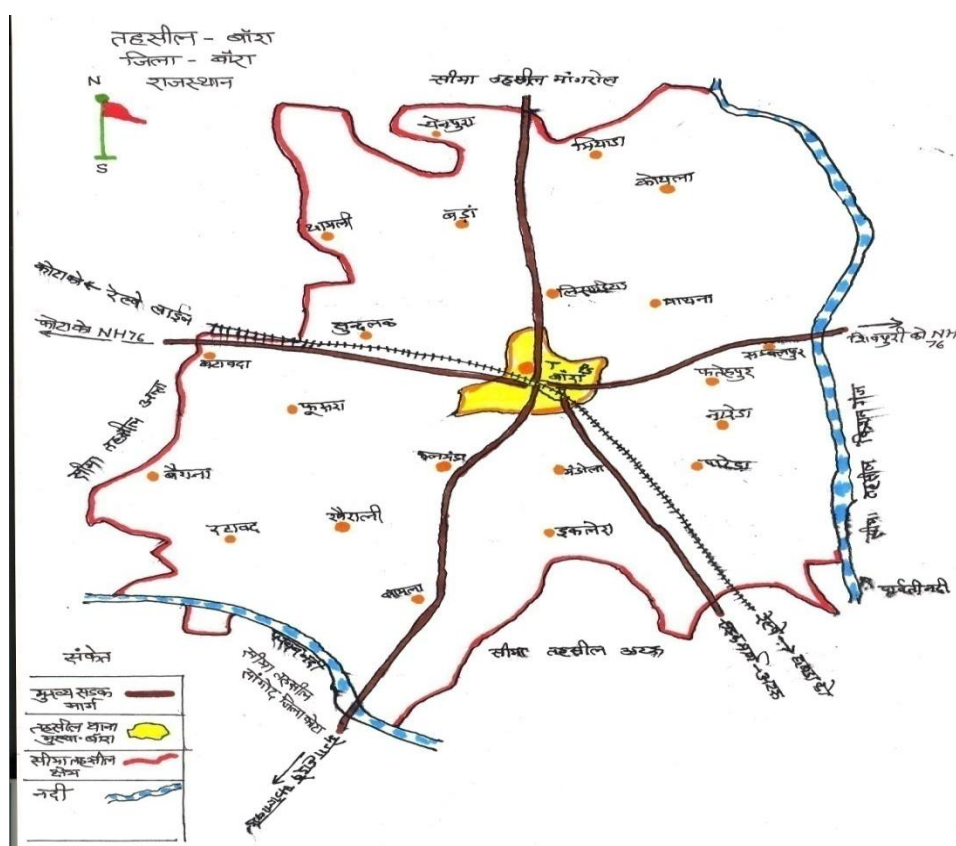
क्र.सं.	उपखण्ड एवं तहसील का नाम	पंचायत समिति	कुल ग्राम पंचायतें	पटवार सर्किल	आबाद ग्राम	कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना अनुसार)
1.	बारां	बारां	26	32	105	213555
2.	अन्ता	अन्ता	24	29	83	120038
3.	मांगरोल	मांगरोल	18	22	73	106963
4.	अटरू	अटरू	32	34	146	149959
5.	छबड़ा	छबड़ा	27	28	190	152429
6.	छीपाबड़ौद	छीपाबड़ौद	30	30	178	170886
7.	किशनगंज	किशनगंज	39	34	186	166864
8.	शाहबाद	शाहबाद	36	33	169	142061
	योग		232	242	1130	1222755

5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों/नगरों का विवरण:-

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्राम का नाम	कुल आबादी
1.	बारां	बारां शहर	117992
		कोयला	6117
		आमापुरा	5988
		फतेहपुर	5833
2.	अन्ता	अन्ता शहर	32377
		पलायथा	5369
		बड़गांव	6243
3.	मांगरोल	मांगरोल शहर	25073
		सीसवाली	12753
		बोहत	5415
4.	अटरू	अटरू	11141
		बडोरा	5108
		कवाई	9487
		खेड़लीगंज	7022
5.	छबड़ा	छबड़ा शहर	32285
6.	छीपाबड़ौद	हरनवावदाशाहजी	9303
		छीपाबड़ौद	18837
7.	किशनगंज	किशनगंज	7944
		भंवरगढ़	9266
		नाहरगढ़	8867
8.	शाहबाद	देवरी	5908
		कस्बाथाना	5166
		घटा	7081

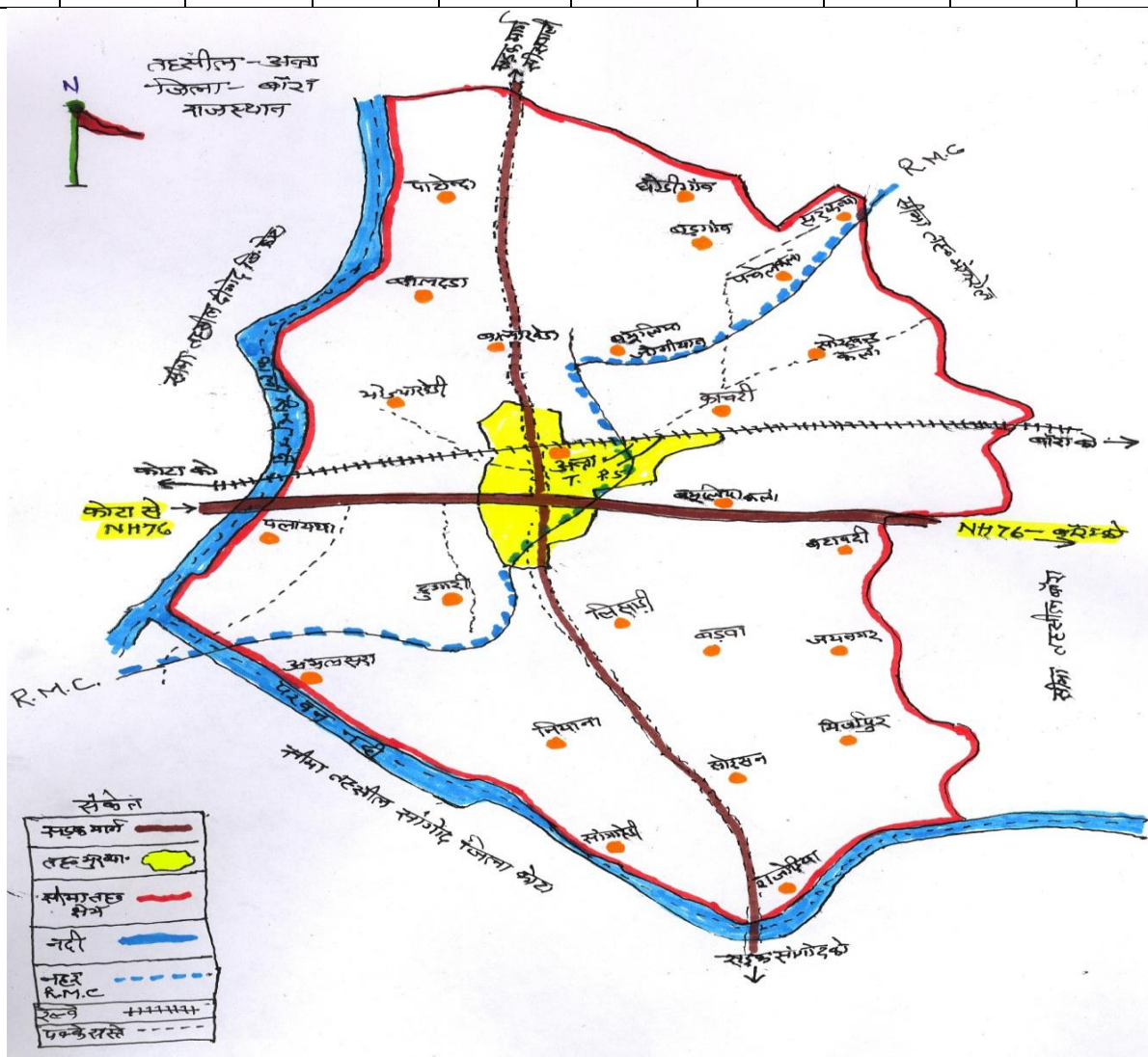
(1) तहसील बारां :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
107	105	8	32	213555	93390	230082	230322	237006	237015



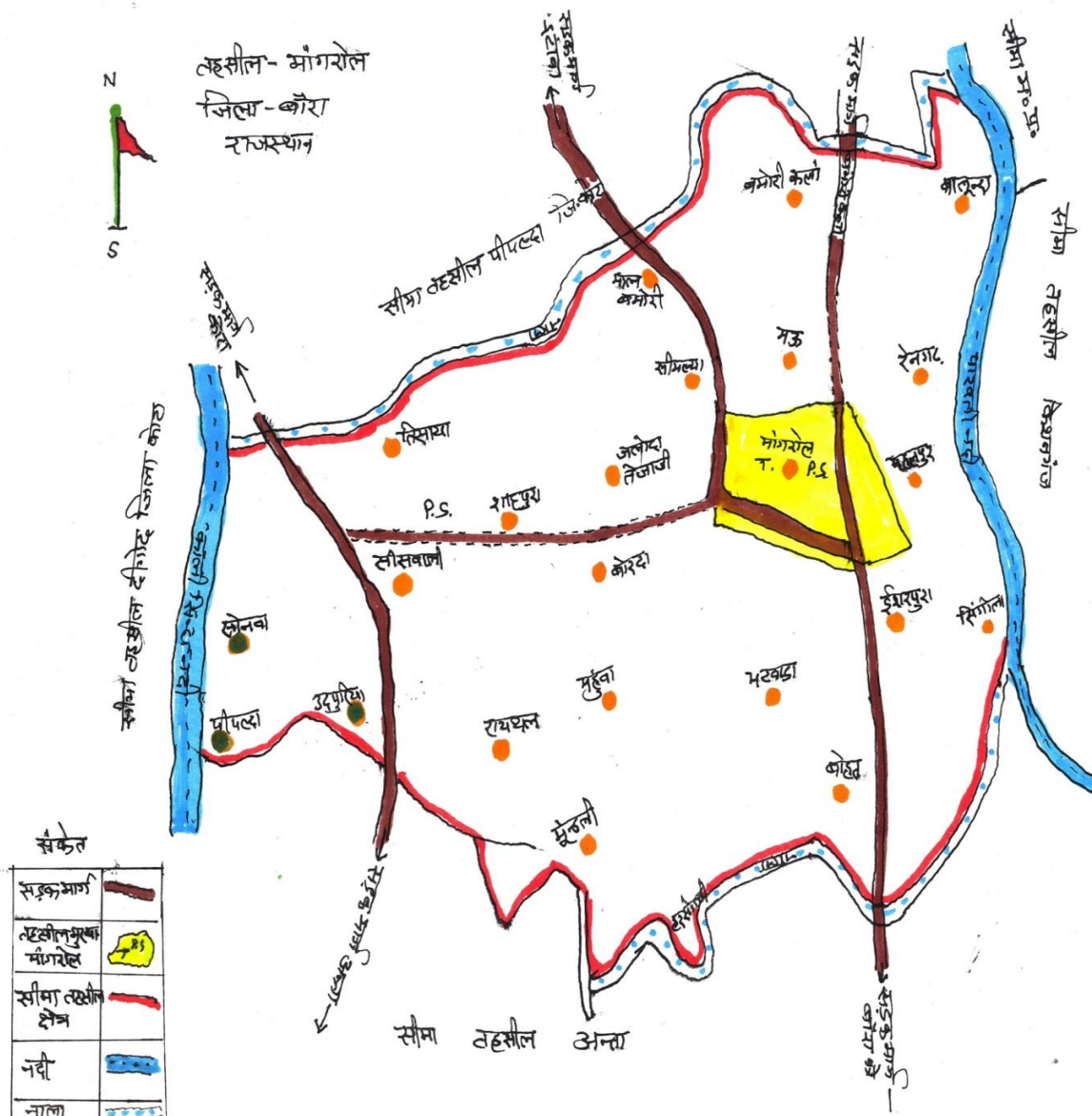
(2) તહસીલ અન્તા :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
86	83	7	29	120038	162099	244253	232247	244800	244101



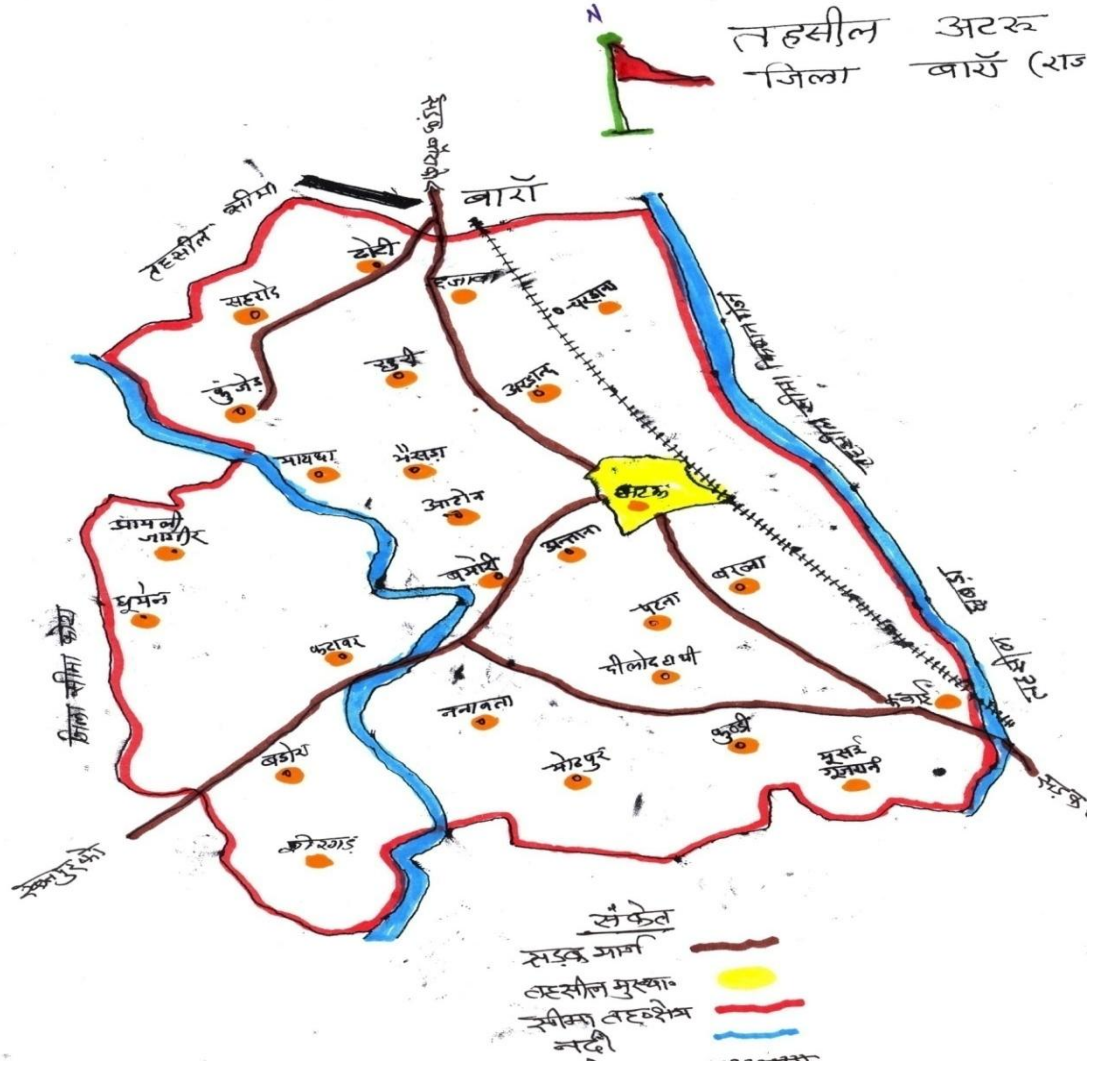
(3) तहसील मांगरोल :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
80	73	5	22	106963		225223	225340	223700	223229



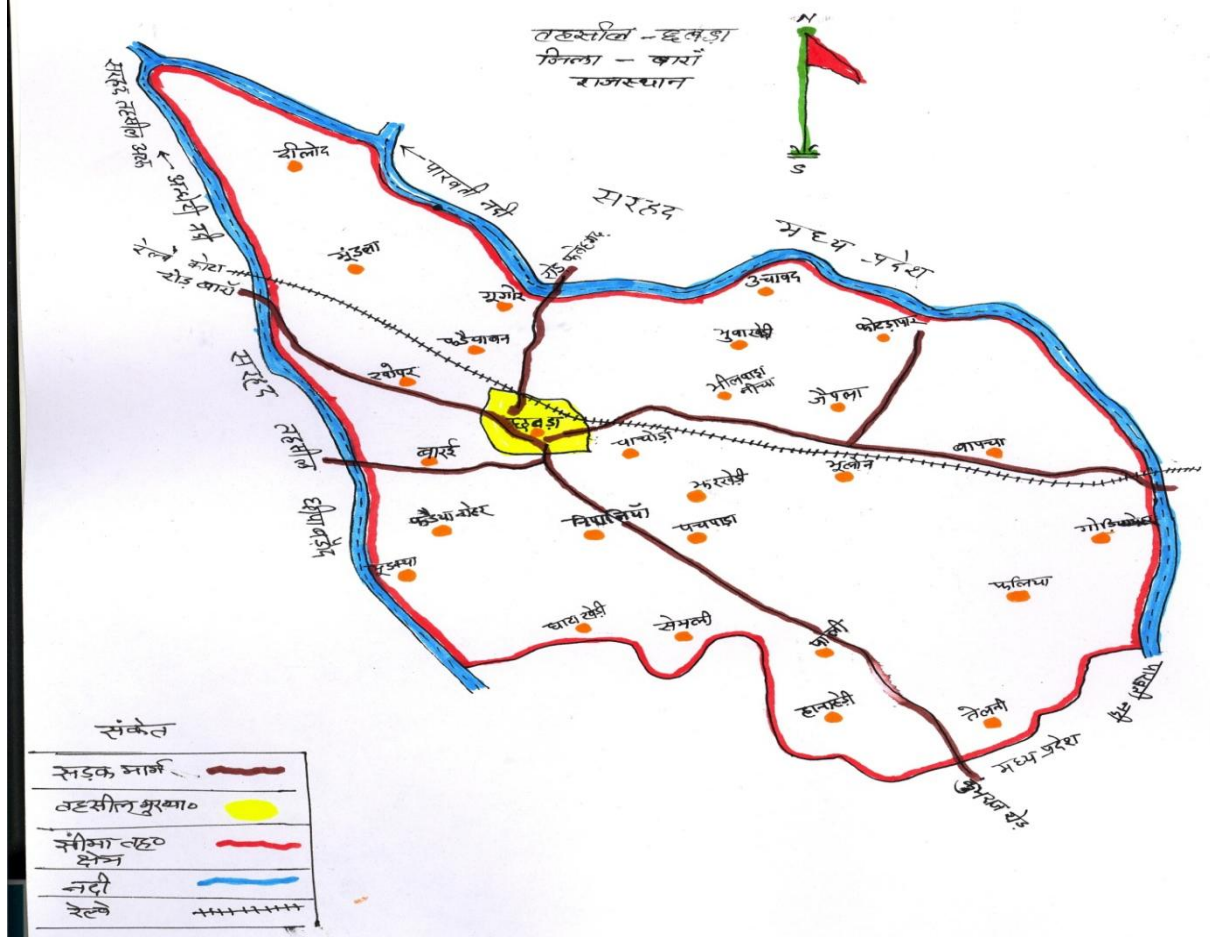
(4) तहसील अटरू :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
148	146	8	34	149959	119489	240222	240215	240864	240235



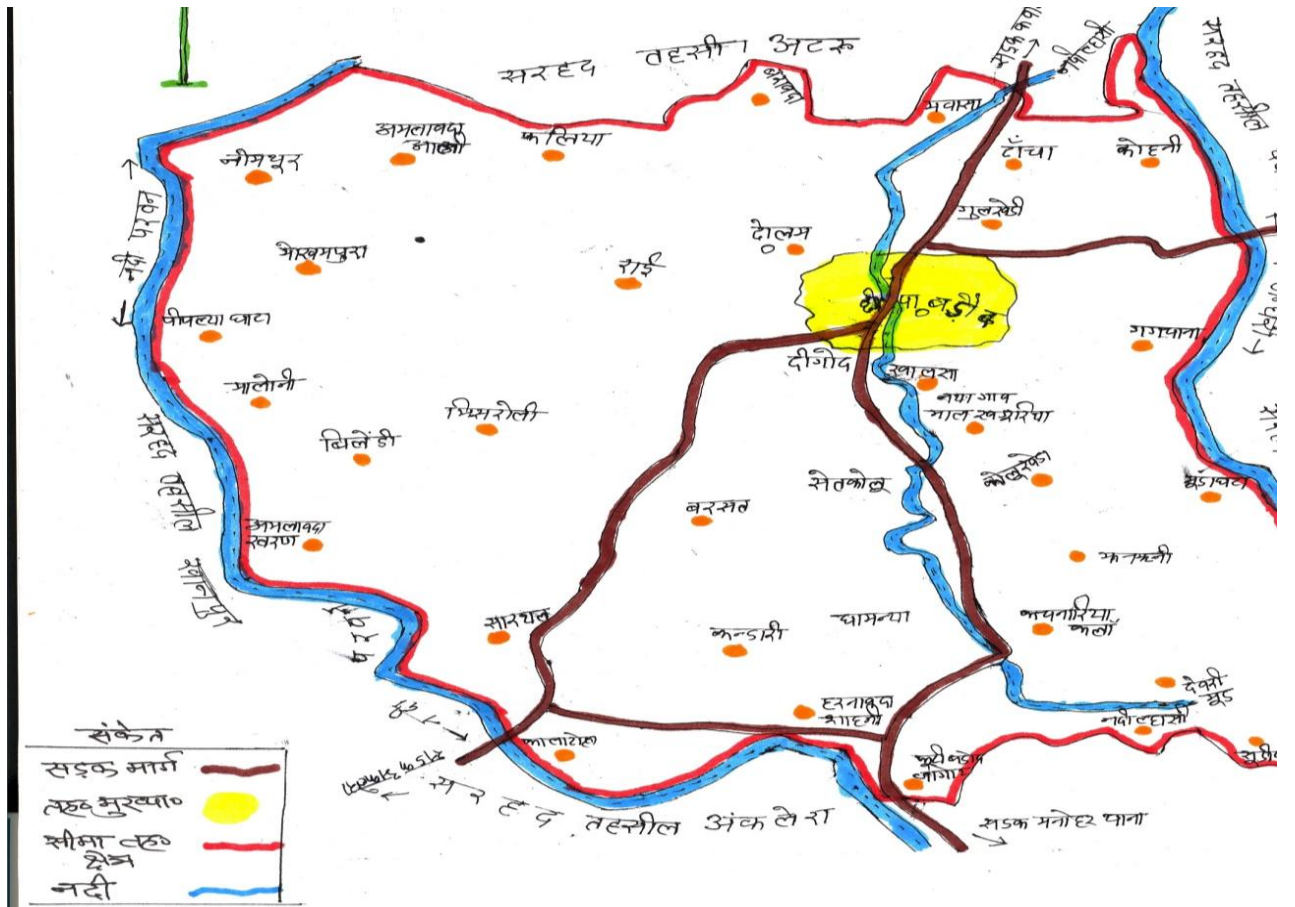
(5) तहसील छबड़ा :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
196	190	7	28	152429	109083	222020	222875	222022	222028



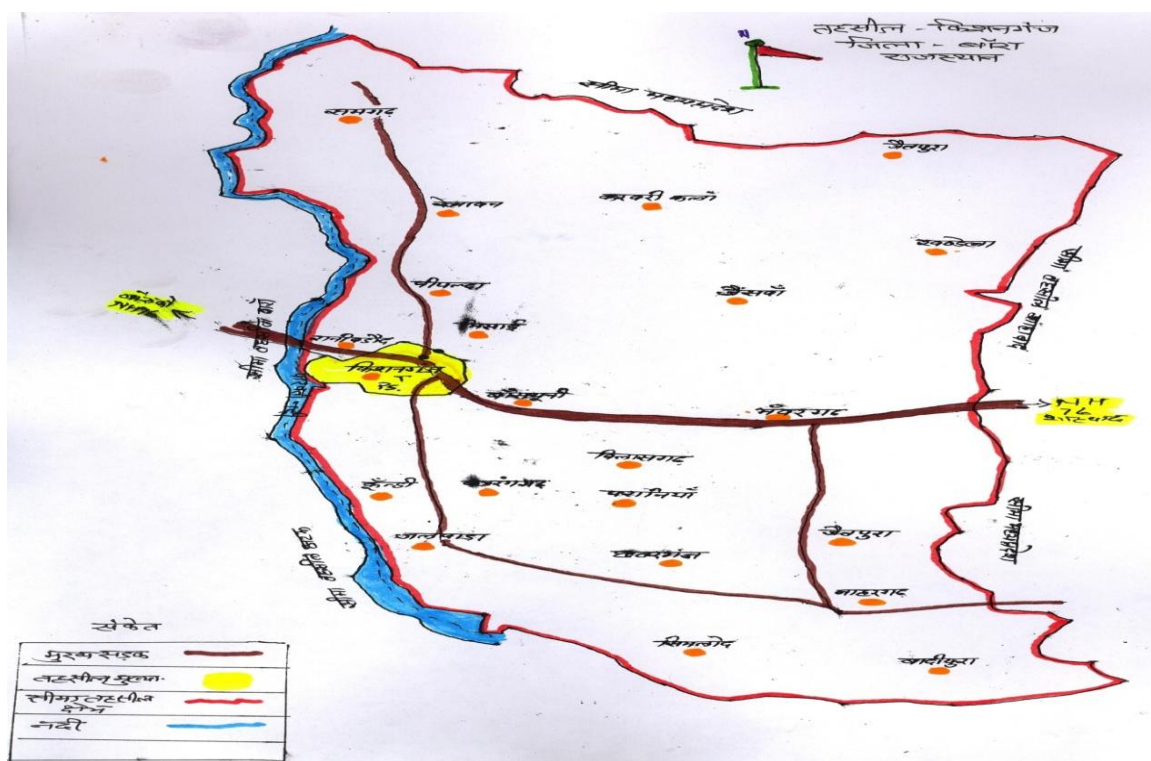
(6) तहसील छीपाबडौद :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
186	178	8	30	170886	149510	285446	285399	285600	285424



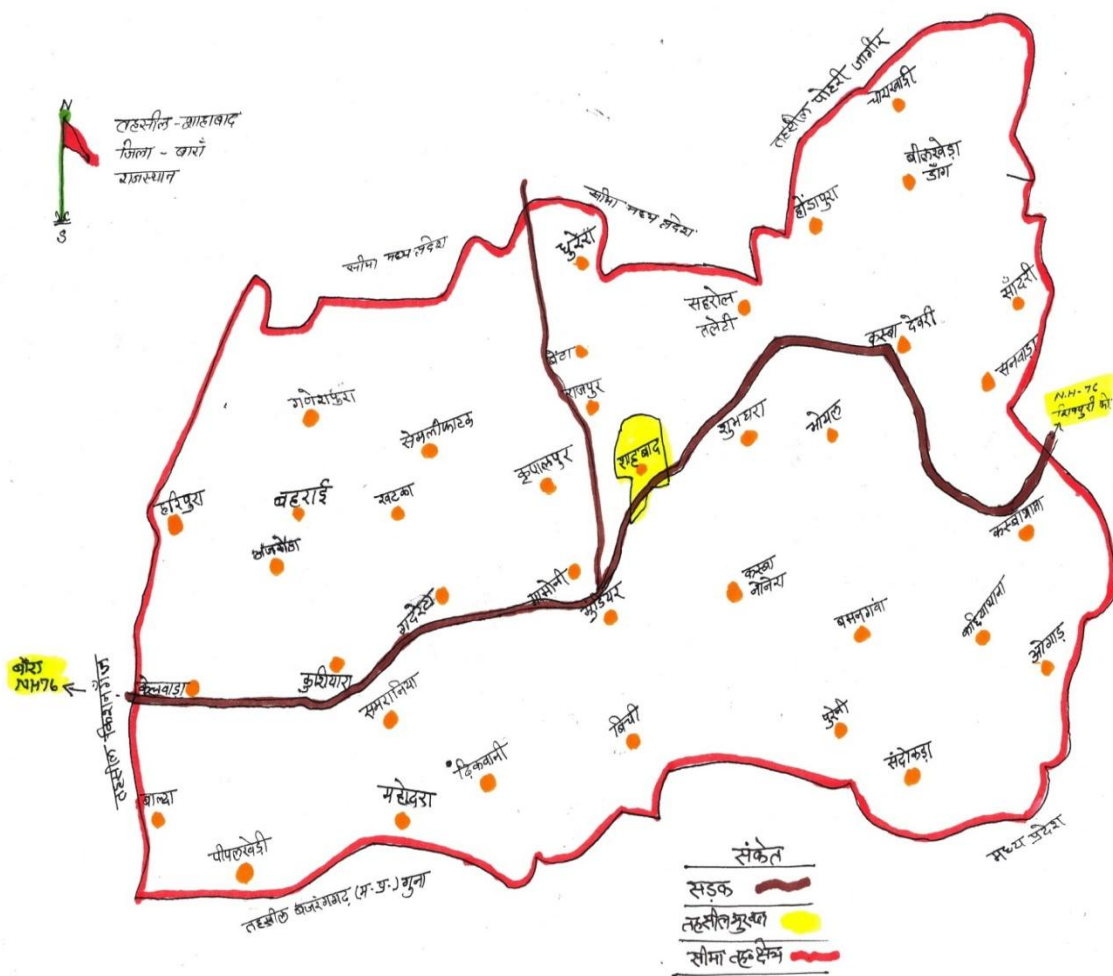
(7)तहसील किशनगंज :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
213	186	8	34	166864	139593	253305	253380	253304	253306



8. तहसील शाहबाद :-

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ.नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
236	169	8	33	142061	117421	262315	262490	262327	262305



अध्याय:-3

आपदा सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण

आपदा विश्लेषण

आपदा एक ऐसी घटना है जिसमें जान-माल को हानि पहुंचाने की क्षमता होती है। किसी आपदा की प्रमुख विशेषताओं का पता करके उसकी प्रकृति के अध्ययन को जोखिम विश्लेषण कहते हैं—जैसे उसकी प्रचंडता की मात्रा, अवधि, और प्रभावित क्षेत्र।

जोखिम विश्लेषण

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किसी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान एक विशेष परिमाण में घटित होने वाली आपदा से होने वाले नुकसान के आकलन को जोखिम कहते हैं। जोखिम का स्तर आपदा की प्रकृति, प्रभावित होने वाले घटकों की सुभेद्यता और उन घटकों के आर्थिक महत्व पर निर्भर करता है। आपदा सुभेद्य स्थान, लोग, सम्पति एवं पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक परिणामों को भी जोखिम कहा जाता है।

जोखिम विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली है जिससे किसी आपदा से होने वाले जोखिम की प्रकृति और मात्रा का आंकलन किया जाता है। इससे आपदा की क्षमता और सुभेद्यता की स्थिति का आंकलन किया जाता है जो जान-माल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस तरह की जोखिम विश्लेषण आपदा और सुभेद्यता की ही प्रक्रिया है जो अनुमान और अनिश्चितता पर आधारित है। इसमें गलतियों की भी संभावना रहती है।

सुभेद्यता विश्लेषण (Vulnerability Analysis)

किसी समुदाय के किसी विशेष घटक के नुकसान की मात्रा को सुभेद्यता कहते हैं जो किसी आपदा के परिणाम स्वरूप होता है। सुभेद्यता की प्रकृति और इसका विश्लेषण आपदा से प्रभावित लोगों, सामाजिक व्यवस्था, भौतिक संरचना और आर्थिक सम्पति एवं क्रिया-कलापों पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र की सुभेद्यता वहां की सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक संरचना की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है कि वह किस सीमा तक किसी आपदा का मुकाबला कर सकती है।

एचवीआरए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर) की तरफ पहला कदम माना जाता है। जोखिम विश्लेषण अध्ययनों के दोनो ही, आकाशीय व लौकिक, आयाम होते हैं। इसलिए यह निश्चित करना आवश्यक है कि जोखिम विश्लेषण किस पैमाने पर किया जाय। समय-समय पर जोखिम मानचित्रों का आधुनिकीकरण जरूरी है।

एक मजबूत और कारगर योजना तैयार करने के लिए एचवीआरए आवश्यक है। इसमें तैयारी, रोकथाम, शमन और रिसर्पॉन्स संबंधी उपायों पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा। डीएम एक्ट 2005 में भी जोखिमों और सुभेद्यता का पता लगाने के लिए आपदा सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण पर विशेष बल दिया गया है।

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दूर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पूर्वस्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के प्रभाव को भयंकर बनाया है, बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित विपदाओं की पहचान

प्रमुख आपदाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1. जलवायु सम्बन्धी :-

- बाढ़
- सूखा
- चक्रवात
- बादल का फटना
- लू, गर्म एवं ठण्डी हवाएँ, पाला, आंधियाँ, तूफान/ओलावृष्टि
- बिजली का गिरना

2. भू-गर्भ सम्बन्धी :-

- भूकम्प
- भूस्खलन

- बांध का टूटना
- खान में आग लगना

3. रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धी :—

- रसायनिक विपदा
- औद्योगिक विपदा
- परमाणु विपदा

4. दुर्घटना सम्बन्धी :—

- आग
- बम विस्फोट
- सड़क, रेल, वायु दुर्घटना
- खान में बाढ़ आना एवं ढहना
- मुख्य भवनों का ढहना

5. जैविक आपदाओं सम्बन्धी :—

- महामारी
- टिड्डी दल आक्रमण
- जानवरों की महामारी

6. अन्य आपदाएं :—

- आतंकवादी गतिविधियां
- उपद्रव
- दंगे
- बलवा
- त्यौहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़
- जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा बारां जिले के लिए मुख्य आपदाएं निम्नानुसार चिन्हित की गई हैं:—1. बाढ़ 2. सूखा 3. सड़क दुर्घटना 4. आग लगना 5. भूकम्प 6. बांध का टूटना 7. आतंकी गतिविधियां(बम विस्फोट) 8. महामारी 9. शीतलहर व पाला 10. आकाशीय बिजली

जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर

जिले में घटित होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मिनी सचिवालय के कमरा नम्बर 10 में जिला ईमरजेंसी सेंटर स्थापित किया गया है तथा छह आपदा राहत केन्द्र भी जिले में स्थापित किये गये हैं । किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में जिला ईमरजेंसी सेंटर के दूरभाष नम्बर **237081** पर सूचना दी जानी चाहिए । ईमरजेंसी सेंटर 24 घण्टे कार्यरत रहता है। इस सेंटर पर कोई भी व्यक्ति/संस्था/दुकानदार/मकान मालिक/अधिकारी/ कर्मचारी जिले में किसी भी प्रकार आपदा आने पर सूचना दे सकता है। जहां पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम में **100** नम्बर तथा **230383** पर भी सूचना देना उचित रहता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि ई0ओ0सी0/जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर कार्यरत स्टॉफ के पास जिले की महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा दूरभाष नम्बर उपलब्ध रहे। इस पुस्तिका की प्रति भी 24 घण्टे ई0ओ0सी0 /जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर रहनी चाहिये।

ई.ओ.सी. में उपलब्ध उपकरण/ सामग्री

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	वायरलैस सैट (एच.एफ कम्पलीट)	1
2	फायर बाल्टी लोहा	9
3	कम्बल लाल गर्म	20
4	एल्यूमिनियम सीढ़िया	4
5	पर्स	1
6	चदनीं	2
7	चैन	5
8	वायर कटर	2
9	चैन पुलिज	5
10	फनर	2
11	आरी	1
12	हथौड़ी	2
13	पाईप रिन्च	2

14	छिनी	4
15	बेद्री छोटी	08
16	मोटा रस्सा	2
17	हेल्मेट नोन मेटल	14
18	रस्सा बारिक	6
19	लाईफ जैकेट	23
20	छाते	8
21	कुल्हाडी	05
22	लाईफ बाय	12
23	फावडें	16
24	गेंती	10
25	गम बूट जोड़ा	29
26	बेलचा	6
27	स्ट्रेचर फोल्डिंग "डी" टाईप	2
28	स्ट्रेचर स्पाइन बोर्ड फाइबर	3
29	ड्रोन	1
30	लाईफ रिंग	08
31	इमरजेंन्सी लाईट	01
32	ड्रेग्न लाईट	6
33	मेगा फोन	3
34	Nose Mask	20
35	Fire entire suit	4
36	बोलोरो वाहन संख्या	01

बाढ़ :-

बारां जिला वर्ष 1957 से ही बाढ़ आपदा से ग्रस्त रहा है। जिले में पिछले 10 वर्षों में औसत वर्षा 1009.04 रही है। जिले में वर्ष 1957, 1975, 1976, 1984, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001, 2005, 2007, 2011, 2013, में मुख्य रूप से अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात बनें। जिले में पार्वती, परवन, कालीसिन्ध, बाणगंगा, अन्धेरी, केथली, ल्हासी, कुनु, करई, रेपी, आदि प्रमुख नदियों के बहाव क्षेत्र में 100 से अधिक ग्रामों/शहरों में बाढ़ के हालात बनते हैं।

क्र.सं.	वर्ष	बाढ़/अतिवृष्टि में मृतकों की संख्या	
		मृतक की संख्या	घायलों की संख्या
1.	2011-12	15	0
2.	2012-13	08	0
3.	2013-14	12	0
4.	2014-15	10	3
5.	2015-16	01	1
6.	2016-17	16	0
7.	2017-18	04	0
8.	2018-19	11	4
9.	2019-20	01	0
10.	2020-21	00	0
11.	2021-22	12	0
12.	2022-23	14	0
13.	2023-24	04	0
14.	2024-25	13	0
15.	2025-26	14	0

बाढ़ के प्रमुख कारण :-

- कई दिनों तक लगातार बारिश होना।
- कुछ समय के लिए तेज बारिश होना, तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होना।
- नदी के अपने औसत स्तर से अधिक उपर तेजी से बहना।
- बादल फटना।
- बांध टूटना।
- विभिन्न कारणों से जल प्रवाह में अवरोध होना।
- बारां जिले में बाढ़ आपदा से प्रभावित होने वाले 100 से अधिक ग्राम/शहर का उपखण्ड वार चयन किया गया है, एवं आपदा से निपटने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाई गयी है।

ओलावृष्टि, पाला एवं आकाशीय बिजली :-

ओलो से फसलो और पेड पोधो को भारी हानि पहुचती है, ओलावृष्टि से कुछ अनुपूरक जोखिम भी पैदा हो जाते है। जैसे पेडो के गिरने से बिजली के खम्बों का टूट जाना या संचार व्यवस्था का ठप हो जाना।

क्र.सं.	वर्ष	आकाशीय बिजली से मृत्यु	
		मृतक की संख्या	घायलों की संख्या
1.	2011-12	10	4
2.	2012-13	03	0
3.	2013-14	05	0
4.	2014-15	07	0
5.	2015-16	03	3
6.	2016-17	14	0
7.	2017-18	04	2
8.	2018-19	01	0
9.	2019-20	02	0
10	2020-21	01	0
11	2021-22	06	10
12	2022-23	11	0
13	2023-24	04	04
14	2024-25	05	03
15	2025-26	06	04

सूखा :-

कम बरसात एवं मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है। सूखे का असर सबसे ज्यादा लोगों एवं पशुओं पर पडता है, सूखे का सीधा असर खाद्यान्न के उत्पादन पर पडता है। जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पडता है। धीमी गति के कारण, इसका असर धीरे-धीरे महसूस होता है और लम्बे समय तक रहता है।

बारां जिले में पिछले 10 वर्षों में वर्षा का वार्षिक औसत 1009.04 रहा है परन्तु वर्ष 2001 से 2003 तक अनावृष्टि के कारण जिले ने सूखे का सामना किया है।

भूकम्प :-

बारां जिला भूकम्प की दृष्टि से निम्न जोखिम क्षेत्र में आता है, जिला प्रशासन द्वारा भूकम्प के जोखिम से निपटने हेतु करो ना करो एवं भूकम्प के दौरान मिटिगेशन हेतु कार्ययोजना तैयार की है एवं सम्बन्धित विभागों को इस हेतु दायित्व सोपे गये है।

अग्नि :-

शहरी एवं ग्रामीण अग्नि दुर्घटनाएँ – आगजनी की दुर्घटनाएँ अक्सर भूकम्प, विस्फोट, या बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। गैस सिलिण्डर या पटाखें फटने से भी आग की दुर्घटनाएँ होती हैं। शुष्क प्रदेश होने के कारण पहाड़ों एवं जंगलों में पेड़ों के आपसी रगड़ से आग लगने की सम्भावना रहती है, एवं जंगलों में आग शीघ्रता से फैलती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के द्वारा खेतों में आग लगाकर छोड़ देने से, फसल पक जाने के बाद, खलिहानों में बीड़ी सिगरेट माचिस आदि का लापरवाही से प्रयोग करने और फसलों की कटाई के उपरान्त सूखे डंढलों को लापरवाही से जला देने के कारण भी हवा चलने से चारों ओर आग फैलकर भयावह रूप धारण कर सकती है। वर्षा ऋतु में कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग सकती है।

पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों एवं छविगृहों में भी थोड़ी सी असावधानी से आग लग सकती है। औद्योगिक ईकाइयों में अत्यधिक रसायनों का भण्डारण अथवा असावधानी पूर्ण प्रयोग भी भयंकर आग का कारण हो सकते हैं।

बारां जिले के धार्मिक स्थल, मेला, विशेष आयोजन, संस्थानों का आपदा विश्लेषण

1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (N.T.P.C.)—अन्ता:—

एनटीपीसी अन्ता गैस पावर स्टेशन की शुरुआत 24-08-1986 से हुई। यह स्टेशन कस्बा अन्ता जिला—बारां (राजस्थान) अक्षांश 25.11.N देशांतर 76 E 19 के मध्य स्थित है। एनटीपीसी से अन्ता रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र एक किलोमीटर है। इसकी क्षमता 419.33 मेगावट (3 गैस टारबाइन 88.71 मेगावट प्रत्येक एवं स्टीम टारबाइन 1583.2 मेगावट) है। संस्था का मुख्य ईंधन प्राकृतिक गैस है। इसके अतिरिक्त दूसरा ईंधन नेफता है। जल संयंत्र कोल राइट मेन कैनाल है। यहाँ उत्पादन की जा रही विद्युत राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चण्डीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को प्रदत्त की जाती हैं।

2. थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा छबड़ा:—

वृत्त छबड़ा के थाना क्षेत्र बापचा में मोतीपुरा में 250-250 मेगावट की 4 परियोजनाएँ चालू हैं तथा 650-650 मेगावट की पांचवी व छठी ईकाई है। सीटीपीपी परिसर में लगा हुआ संयंत्र जिसकी सुरक्षा हेतु बोर्डर होमगार्ड के 100 सुरक्षाकर्मी मय हथियार एस0एल0आर0 के तैनात हैं तथा परिसर में बने आवासीय कॉलोनी और मुख्य प्रवेश द्वार पर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षकर्मी तैनात हैं। प्लान्ट में सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रा में लगाये गये हैं। प्लान्ट में 2 फायर टेण्डर एवं 36 प्रशिक्षित स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध है।

3. अडानी पावर प्लांट कवाई—सालपुरा अटरू :—

अडानी पावर प्लांट कवाई में 660-663 मेगावट की दो विद्युत इकाईयाँ हैं। वर्तमान में उक्त प्लांट में मिशा प्राइवेट सुरक्षा कम्पनी अहमदाबाद (गुजरात) के सुरक्षा गार्ड द्वारा सुरक्षा की जा रही है। साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा भी गश्त व निगरानी की जाती है।

4. जल झूलनी ग्यारस (डोल एकादशी) :—

कस्बाबारां में उक्त त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर बारां नगर में देव विमान, शोभायात्रा तथा अखाड़े निकाले जाते हैं। बारां शहर में इस दिन निकाली जाने वाली शोभायात्रा व लगने वाला 15 दिवसीय मेला बारां जिले का ही नहीं पूरे हाड़ौती क्षेत्र का महत्वपूर्ण मेला है।

इस अवसर पर बारां शहर में विभिन्न हिन्दू समाजों के मन्दिरों से देव विमान सजाकर शोभायात्रा निकाली जाती है। विभिन्न मन्दिरों से लगभग 61 विमान व 9 अखाड़े चलकर श्रीजी मन्दिर के पास आकर एकत्रित होते हैं, जहाँ से लगभग 3.00 पी0एम0 पर रवाना होकर चौमुख बाजार, सराफा बाजार, सदर बाजार, धर्मादा चौराहा, मांगरोल रोड, कोयला खिडकी होते हुए डोल मेला तालाब पर पहुँचते हैं। जहाँ पर सभी विमानों की पूजा-अर्चना की जाती है। तत्पश्चात् सभी देव विमान अपने-अपने मन्दिरों पर चले जाते हैं। बारां शहर में निकाली जाने वाली देव विमान शोभायात्रा को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में स्त्री-पुरुष आते हैं। जिनकी संख्या लगभग (एक लाख) तक हो जाती है। डोल विमान यात्रा के मार्ग में मांगरोल रोड पर भाईजान वकील के मकान से कोयला खिडकी तक मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। शोभा यात्रा के दौरान ग्रामीण

क्षेत्र से आये हुयेलोग शोभा यात्रा को देखने के लिये भवनो की छतो पर एकत्रित हो जाते है। जिससे पुराने व जर्जर भवनों के छज्जो आदि के गिरने से जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। उक्त मेले के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु जिला बारां के अलावा रेंज से भी पर्याप्त जाप्ता लगाया जाता है।

5. सीताबाड़ी धार्मिक स्थल कस्बा केलवाडा पुलिस थाना केलवाडा :-

उक्त धार्मिक स्थल के परिसर में 5 पवित्र कुण्ड एवं मन्दिर है हिन्दु रीतिरिवाज के अनुसार सुबह एवं साय: पूजा एवं आरती की जाती है। माह मई व जून के मध्य 15 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें जिले व जिले के बाहर से दुकानदार व खरीददार आते है। मेले के दौरान लगभग (40000-50000) श्रद्धालुओ की भीड़ दर्शन व स्नान करने आती है। सीताबाड़ी कस्बा केलवाडा के समीप काफी प्राचीन धार्मिक स्थान है। यहां पर लक्ष्मण जी, सूर्यदेव,राम,जानकी, लवकुश,बाल्मिकी, व सीताजी के मन्दिर है। मेले के दौरान मध्य प्रदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु आते है। यह धार्मिक स्थल आदिवासी सहरियाओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। सुरक्षा की दृष्टि से धार्मिक स्थल सीताबाड़ी में पुलिस चौकी स्थापित की हुई है। वार्षिक मेले के दौरान जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया जाता है।

नोट:-

जब कभी जिले मे स्थित धार्मिक स्थलों/संस्थानों पर आतंकवादी/बम विस्फोट की घटना होने पर जिला स्तर से त्वरित कार्यवाही हेतु आवश्यक व उपलब्ध साजो सामान लेकर पर्याप्त पुलिस बल के घटना स्थल पर रवाना किया जावेगा एवं बीडीएस/एटीएस टीम को मौके पर अविलम्ब भिजवाने हेतु उच्चाधिकारियो को अवगत कराया जावेगा।

बीएमटीपीसी में विभिन्न आपदा जोखिम विशलेषण एवं अन्य सहायक सूचना के विशलेषण के बाद विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में बारां जिले की स्थिति निम्न प्रकार है

क्र.सं.	आपदा	सुभेद्यता
1.	तूफान	सामान्य
2.	बाढ़	सामान्य
3.	सूखा	सामान्य
4.	भूकम्प	निम्न
5.	औधोगिक दुर्घटना	निम्न

अध्याय 4

रोकथाम एवं शमन

जिलों में होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ शामिल है, जबकि मानवकृत आपदाओं में दुर्घटनाएं एवं आगजनी प्रमुख हैं। रोकथाम एक ऐसी अवधारणा एवं अभिप्राय है जिससे समय रहते कार्यवाही करके सम्भावित प्रभाव से बचा जा सकता है। मानवकृत आपदाओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात इत्यादि को टाला नहीं जा सकता लेकिन जोखिम भरे क्षेत्रों में विकास कार्यों की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों को आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। शमन एक ऐसा कार्य है जिसके तहत ढांचागत एवं गैर-ढांचागत उपायों द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

जोखिम मूल्यांकन

आपदाओं की पहचान और उनसे हाने वाले जोखिमों का मूल्यांकन आपदा को कम करने की दिशा में पहला कदम है। आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग, एजेंसियां, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का जोखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करवायें। जिलों में सम्भाव्य जोखिम क्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी पूर्व के अध्याय में दी गई है। इसके अतिरिक्त भी जोखिम मूल्यांकन का कार्य निरंतर किया जाना चाहिए।

तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था

आपदाओं के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है। इसके लिए कारगर नीतियाँ एवं कानूनों के बनाये जाने के साथ विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं एजेंसियों द्वारा उनको लागू किया जाना भी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वय प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है।

सुरक्षित निर्माण

भूकम्प जैसी आपदाएं लोगो को नहीं मारती वरन गलत तरीके से डिजाइन और कमजोर इमारतें लोगो की मौत का कारण बनती है। नई इमारतों में सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतों में रीट्रोफिटिंग को वरीयता दी जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के डिजाइन और विशेषताओं को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जांचा जायेगा। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ठेकेदारों और राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रमुख इमारतों यथा विद्यालय, अस्पताल इत्यादि की भूकम्परोधी बनाया जायेगा एवं उनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाये जायेंगे।

सभी विभाग एवं एजेंसियों के लिए आपदानुसार रोकथाम के उपाय

क्रमांक	आपदा	उपाय
1	बाढ़	● बाढ़ की तीव्रता कम करने हेतु भू-संरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबंधन और चेक डेक के निर्माण कार्यों को बढ़ावा एवं पुलियों अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निरंतर मरम्मत कार्य करवाना ● बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समय से चेतावनी देने के लिए स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करना ● बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में जान-माल नुकसान कम करने के लिए संबंधित कानूनों की जानकारी प्रदान करना ● बाढ़ की स्थिति की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों जल संसाधन, कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की स्थापना ● जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी सर्वे अध्ययन ● ऐसे निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाना जो जल के प्राकृतिक बहाव में रुकावट डालते हैं ● बाढ़ग्रस्त इलाकों में भवन निर्माण कार्यों में बाढ़ नियमावली की अनुपालना सुनिश्चित करना ● बाढ़ से बचाव हेतु सामग्री यथा मिट्टी के कट्टे, बांस इत्यादि का पर्याप्त भंडारण निकटतम जगह पर करवाना ● आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संभाव्य आश्रय स्थल यथा स्कूल, सामुदायिक भवन आदि की चिन्हीकरण ● पशु आश्रय स्थलों का निर्माण एवं चिन्हीकरण ● सामुदायिक जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाना
2	सूखा	● सतही एवं भू-जल का संयुक्त प्रयोग ● जलग्रहण क्षेत्रों का विकास ● सिंचित कृषि में जल प्रबंधन ● उचित फसल पैटर्न का चयन ● बरसाती जल का भंडारण एवं भू-जल का कृत्रिम रिचार्ज ● कुओं, तालाबों, बावडीयों आदि का जीर्णोद्धार

		● सिंचाई जल का पुनः प्रयोग ● जल सम्पदा का एकीकृत डेटा बेस तैयार करना ● बरसात संबंधी आंकड़े प्राप्ति हेतु रेन गॉज स्टेशनों का विस्तारीकरण ● जलापूर्ति तंत्र की स्थापना ● फसल एवं पशु बीमा को प्रोत्साहित करना
3	भूकम्प	● आम जनता को जागरुक करना तथा मीडिया के माध्यम से करो और मत करो कीज जानकारी देना ● रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना ● इंजीनियरों, आर्किटेक्ट और राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमतावर्धन ● समय-समय पर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना ● सरकारी इमारतों, अस्पतालों, विद्यालयों इत्यादि में निकासी मार्गों की स्थापना ● शहरी/ग्रामीण इलाकों में भवनों के निर्माण कार्य में भूकम्प नियमावली के अनुपालना सुनिश्चित करना
4	महामारी	● लक्षित टीकाकरण अभियान ● संकटकालीन देखभाल के लिए उपकरणों एवं दवाइयों का प्रबंध/भंडारण ● कुंओं, ट्यूबवेलों, तालाबों आदि के जल का नियमित उपचार ● मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण ● सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाइजीन, घरेलु जल उपचार, ओआरएस के प्रयोग, अन्य निरोधक दवाइयों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार ● वैक्टर-बोर्न बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव ● विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मंच की स्थापना ● स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों का आयोजन
5	दावानल	● वनों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का माइक्रो-जोनेशन ● पूर्व चेतावनी एवं निगरानी हेतु रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग ● उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए चेतावनी बोर्ड आदि का प्रयोग ● आधारभूत संरचनाओं का अद्यतनीकरण एवं नवीनीकृत आग प्रतिरोधक तकनीकों का प्रयोग

		● आग प्रतिरोधक क्षमता वाले निर्माण सामग्रीयो का प्रयोग ● समुदाय के लिए आग से निपटने के प्रशिक्षणकार्यक्रमों का निरंतर आयोजन ● महत्वपूर्ण भवनों यथा सरकारी इमारत, विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, गोदाम इत्यादि में निकासी मार्गों की सुनिश्चितता ● समय-समय पर मॉक अभ्यासों का आयोजन
6	औद्योगिक / रासायनिक	● औद्योगिक इकाइयों, शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी इमारतों की जोखिम सुरक्षा का विश्लेषण विभिन्न मानकों के प्रयोग से करना ● उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के आस-पास मध्यवर्ती क्षेत्रों का विकास ● खतरनाक औद्योगिक इकाइयों के आस-पास बसावट प्रतिबंधित करना ● पर्यावरण पर औद्योगिक दुष्प्रभाव कम करने हेतु आस-पास हरित पट्टी क्षेत्रों के रूप में विकास ● औद्योगिक इकाइयों की आपदा प्रबंधन योजनाओं का सख्ती से अनुपालन एवं उनका समय-समय पर परीक्षण ● औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा ऑडिट ● औद्योगिक इकाइयों का वैधानिक निरीक्षण
7	आतंकवाद	● इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी ● सभी प्रमुख सार्वजनिक सीनों, संस्थानों व होटलों में सीसीटीवी एवं एक्सेस कंट्रोल रूम की व्यवस्था ● सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश व्यवस्था का निर्माण ● गुप्त सूचना तंत्र का विकास ● विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के इन्टेलिजेंस विश्लेषण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग ● प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबंध ● मीडिया, संचार व सूचना तकनीक एवं सोशल नेटवर्क का प्रयोग
8	सड़क दुर्घटनाएं	● संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्डों, स्पीड ब्रेकर्स, गार्ड स्टोन्स का प्रयोग ● उच्च जोखिम क्षेत्रों में मार्गों का विस्तारीकरण, समतलीकरण एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य ● जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण ● सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन ● वाहन पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी करने में मानकों का सख्ती

		से प्रयोग राजमार्गों पर सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालना हेतु पेट्रोलिंग आदि का प्रयोग
9	न्यूक्लियर एवं रेडियोएक्टिव	- मजबूत पूर्व चेतावनी सिस्टम - इंफ्रास्ट्रक्चर(निकासी के लिए सड़के आदि) का विकास - पड़ोसी जिलों के साथ बेहतर तालमेल - मीडिया,संचार व सूचना तकनीक,सोशल नेटवर्क का प्रयोग - सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम एवं जुर्माने का प्रावधान

विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के आपदानुसार शमन उपाय

आपदा / संबंधित विभाग	ढांचागत उपाय	गैर-ढांचागत उपाय
बाढ़ (संबद्ध एजेंसिया:जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग,सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग)	- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना। - प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना। - बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना। - मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत। - नदी के बांध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना। - तटबन्ध पर बनाये गये	- बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी तंत्र सुदृढीकरण - शहरी और गांवों में बाढ़ शमन के लिए निर्माण कार्यों की विभिन्न योजनाओं में समन्वय - बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का विस्तृत प्रचार-प्रसार - मानव-जीवन, पशुधन एवं सम्पत्ति बीमा स्कीमों करवाने के लिए लोगो को प्रोत्साहित करवाना - बाढ़ क्षेत्र का नक्शा बनाना एवं जीआईएस के प्रयोग द्वारा चिन्हिकरण - स्वयंसेवकों एवं तकनीकी व्यक्तियों का क्षमता वर्धन - पशुधन सुरक्षा पर जागरुकता कार्यक्रम - लोगों को जलग्रहण क्षेत्रों की सफाई हेतु प्रेरित करना - प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं सहित प्रशिक्षित मेडिकल प्राथमिक

	स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना। ● सुरक्षित आश्रय घरों का निर्माण ● निचले इलाकों में ढांचागत विकास के लिए कानूनों की सख्ती से अनुपालना ● बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान जलनिकासी तंत्र में क्षमतावर्धन एवं नये नालों का निर्माण ● सार्वजनिक सुविधा स्थलों को बाढ़ से बचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ● भूमि अपरदन से बचाव हेतु वानस्पतिकरण, वनीकरण	कार्यकर्ताओं को तैयार करना।
आग(संबद्ध एजेंसिया: जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय,अग्निशमन केन्द्र, एन.टी.पी. सी. अग्निशमन केन्द्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग)	● शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उंची इमारतों में, अग्नि सुरक्षा मानकों की सख्ती से अनुपालना ● अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का आकलन, खरीद एवं अवास्थिति ● अग्नि शमन उपकरणों का आधुनिकीकरण ● अग्नि शमन सेवाओं की पहुंच में निरंतर विस्तार करते रहना ● आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का सीमांकन ● वन-क्षेत्रों का निर्धारण	● समुदाय के लोगो को आग से निपटने/बचाव के तरीकों के बारे में निरंतर प्रशिक्षण ● समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर वर्ष भर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना एवं उसमें आम-भागीदारी ● अग्नि शमन सेवाओं को एक बहु-आपदा प्रतिरोधक इकाई के रूप में तैयार करना ● प्रमुख भवनों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से अग्नि आपदा निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना ● अग्नि दुर्घटनाएं रोकने के लिए करो एवं मत करो का विस्तृत प्रचार-प्रसार ● अग्नि शमन कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण

भूकम्प(संबद्ध एजेंसिया:जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)	● शहर, कस्बों एवं गांवों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग (पुनः-संयोजन) ● सभी इमारतों में भूकम्प सुरक्षा से संबंधित कानूनों का सख्ती से अनुपालन ● शहर, कस्बों व गांवों में भूकम्परोधी निर्माण	● प्रमुख भवनों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक भवनों पर का सुरक्षा अंकेक्षण करवाया जाना ● भूकम्प रोधी विशेषज्ञों, रामिस्त्रियों, इंजीनियर्स का क्षमतावर्धन ● सभी विद्यालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक इमारतों में मॉक-अभ्यास ● मेडिकल पूर्व-तैयारियां ● रोगी सुरक्षा आधारित विकास एवं निकासी योजनाएं
सूखा(संबद्ध एजेंसिया: जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, कृषि, उद्यान, विभाग, पशुपालन विभाग, भू-संरक्षण विभाग, स्थानीय निकाय, विभाग, (बैंक)	● रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करना जैसे कुएं, तालाब, चेक डेम, फार्म पोण्ड इत्यादि ● मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय ● चारागाहों का विकास ● शुष्क कृषि पद्धति को बढ़ावा ● वनीकरण ● लम्बी अवधि की सिंचाई परियोजनाएं ● जल संपदा बढ़ाने के लिए विकास योजनाओं में प्रावधान ● चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण	● वाटर शेड एवं वाटर हारवेस्टिंग तकनीक के बारे में प्रशिक्षण ● पानी की कम खपत वाली तकनीकों यथा-बूंद एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा ● फसल बीमा को प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जानकारी दी जा रही है, खरीफ 2020 से फसल बीमा स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। ● सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान एवं लगातार मोनिटरिंग ● किसानों को सूखे से कम प्रभावित होने वाली फसलें लेने को प्रोत्साहित करना ● जल का उत्तम प्रयोग

जैविक आपदाएं	● मॉस केजुअलटी मैनेजमेंट के लिए शहर, कस्बों एवं गांवों में आधारभूत संरचनाओं का विकास ● विकास की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत स्वास्थ्य संरचनाओं का विकास एवं आधुनिकीकरण	● मॉस केजुअलटी मैनेजमेंट के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों को प्रशिक्षण ● एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य, जल एवं सेनिटेशन के लिए गांव स्तर पर योजनाएं तैयार करना ● मॉस केजुअलटी मैनेजमेंट के लिए क्षमतावर्धन ● व्यक्तिगत हाइजिन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम ● संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास मोबाइल मेडिकल टीमों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण ● पशु रुग्णता दूर करने के कार्यक्रमों का प्रावधान एवं अर्न्तजिला पशु बीमारीयों के अन्तरण की रोकथाम
आतंकवाद		● सभी निजी एवं सरकारी भवनों में अनिवार्य मॉक अभ्यास ● सभी होटलों एवं गेस्ट हाउस में पहचान एवं पंजीकरण की प्रक्रिया का सुदृढीकरण ● निजी भवनों की सुरक्षा हेतु निजी सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति ● निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण ● गुप्त सूचना, आंकड़ों का एकीकरण, विश्लेषण एवं निर्णय प्रक्रिया ● सभी सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों के समायोजित प्रयासों के लिए आईसीएस का विकास
नाभिकीय आपदा	● इनबिल्ट सुरक्षा उपाय जैसे बायोलॉजिकल शील्ड सुरक्षा प्रणाली ● इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	● चिकित्सकों का क्षमतावर्धन ● प्रदूषण रोकने के लिए जानकारी एकत्रित करना एवं उसका समुदायों में प्रचार-प्रसार

	जैसे-बचाव कार्यों हेतु सड़को आदि का निर्माण	
औद्योगिक एवं रासायनिक आपदा(संबद्ध एजेंसिया: उद्योग विभाग,सार्वजनिक निर्माण विभाग,स्थानीय निकाय श्रम विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)	● कर्मचारियों एवं अन्य संबंध लोगो की सुरक्षा के लिए ऑनसाइट व ऑफसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ● औद्योगिक इकाइयों में अग्नि और हेजर्ड सामग्री के प्रबंध के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	● कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन ● जोखिम उद्योगो के आस-पास रहने वाले लोगो में जानकारी का प्रचार-प्रसार ● हैजर्ड्स अपशिष्ट सामग्री के निस्तारण की सुरक्षित व्यवस्था ● सुरक्षा हेतु नियमित निरीक्षण एवं मॉक अभ्यास ● सुरक्षा ऑडिट ● मेडिकल फर्स्ट रिसपोन्डर्स का प्रशिक्षण
सड़क दुर्घटनाएं (संबद्ध एजेंसिया: जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग)	● दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में साईनबोर्ड, स्पीड ब्रेकर्स, गार्ड स्टोन्स लगवाना ● दुर्घटना संभाव्य क्षेत्रों में पर्याप्त निर्माण कार्य, समतलीकरण, चौड़ाई कार्य करवाना ● सड़क के दोनो ओर जैब्रा क्रॉसिंग का निर्माण ● सड़क पर रिफ्लेक्टर्स की स्थापना	● राजमार्गों पर सुरक्षा पेट्रोलिंग की स्थापना ● चेतावनी बोर्डों के बारें में जागरुकता कार्यक्रम ● सड़क सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण एवं पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था

जोखिम हस्तान्तरण

सरकार बचाव, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में दी जाने वाली सहायता आपदा से हुए विशाल नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है, अतः नये आर्थिक उपायों जैसे आपदा जोखिम वित्त प्रबंध, जोखिम बीमा, माइक्रो-फाइनेन्स और बीमा आदि का प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किये जावे जिससे वैयक्तिक, सामुदायिक एवं कॉर्पोरेट सेक्टर के नुकसान की भरपाई की जा सके।

फसल ऋण

सरकार कृषि बीमा कार्यक्रमों का प्रोत्साहित करेगी जो क्षेत्रानुसार एग्रो-क्लाइमेट के अनुकूल होंगे। किसानों को विभिन्न बीमा उत्पादों की जानकारी प्रदान की जावेगी ताकी वे अपनी उपज और आय-जोखिम के लिए बीमा कवर ले सकें।

अध्याय: 5

विकास कार्यों में डी.आर.आर. का समायोजन

डीजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर-आपदा जोखिम न्यूनीकरण) के विकास कार्यों में समायोजन का मतलब देश या राज्य की नीतियों या प्रक्रियाओं में और आपदा उन्मुखी क्षेत्रों में कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते समय मीडियम टर्म के संस्थागत स्ट्रक्चर्स में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों को ध्यान में रखना है—

1. विकास एजेंसी द्वारा विकास योजना या परियोजना की पहल से पूर्व अन्य हितधारकों, डीडीएमए से परामर्श कर डीआरआर के उपाय कर लिये जायें।
2. जिलें में राज्य/जिला प्राधिकार द्वारा चल रहे सभी विकास परियोजनाओं एवं प्लेगशीप कार्यक्रमों में डीआरआर के तत्व अवश्य शामिल हो और उसके लिए अतिरिक्त बजट चिन्हित हों।
3. जिलें के सभी विभाग को डीडीएमए निर्देशित करें कि विकास योजना में डीआरआर की व्यवस्था रखे।
4. जिलें के सभी विभाग डीआरआर के पहलू को अपने कार्य की मुख्य धारा में लाने की पहल करें और इस हेतु कम से कम 10 प्रतिशत राशि योजना के बजट में रखें।
5. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद या विधायक जो योजनाएं स्वीकृत करें उनमें डीआरआर के कारक अवश्य शामिल हों।
6. कमजोर समुदाय को आजीविका के लिए स्थायी सुविधा प्रदान करने हेतु निरंतर योजना निर्माण एवं संपादन।
7. सिंचाई नहर, पक्की सड़क और सुरक्षित आश्रय स्थल जैसी विकास संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाये। ये संरचनाये आपदा शमन एवं विकास में मदद करती है।
8. स्थानीय रोजगार पैदा करने वाली और स्थानीय रूप से संपन्न होने वाली अधिकांश डीआरआर कम विकास योजनाओं को मनरेगा के तहत मजबूती के साथ किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

“प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के अन्तर्गत जिले में खरीफ 2020 हेतु मौसम हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.06.2020 को जारी कर दी गई है। बारां जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिसके तहत जिले में अधिसूचित फसलें उड़द, मक्का, धान, बाजरा एवं सोयाबीन तथा बीमा इकाई तहसील/पटवार मण्डल है।

विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समायोजन

परियोजनाएं/सेवाएं	राष्ट्रीय/राज्य	पॉलिसी स्तर	प्रशासनिक/हस्तांतरण प्रक्रिया
हाउसिंग इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	राष्ट्रीय	- जिले के अनुसार आपदा समुत्थानशील डिजाइन को प्रोत्साहन - आवासों की क्वालिटी में कोई समझौता किये बिना इको-फ्रेंडली एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध मेटिरियल के प्रयोग को प्रोत्साहन - जलवायु समुत्थानशील आवासों को प्रोत्साहन - पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए 'अच्छा बनाओ' और 'सुरक्षित बनाओ' की नीति का अनुपालन - विशेष जरूरतों वाले समूहों पर ध्यान	- ऐसी जमीन का आवंटन जो आपदा उन्मुखी न हो - राष्ट्रीय एवं स्थानीय बिल्डिंगलॉज और जमीन आवंटन संबंधी कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करना - आवासों में प्राथमिक सुविधाओं जैसे घरेलू पानी एवं सैनिटेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना - आपदा उन्मुखी क्षेत्रों में स्थानीय बिल्डिंगलॉज का अनुपालन - विभिन्न भूकम्प एवं बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए नेशनल बिल्डिंग मानकों पर आधारित आपदा रोधी निर्माण के लिए दिशा निदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता - राज-मित्रियों का प्रमाणीकरण - प्रमुख प्रशिक्षकों का डेटाबेस तैयार करना - विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता
● कृषि हरित राजस्थान	राज्य	- फसल बीमा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की ज्यादा भागीदारी - परियोजनाओं की योजना के समय जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता का ध्यान रखना। बायो-फार्मिक, कम पानी	फसल बीमा को प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जानकारी दी जा रही है, खरीफ 2020 से फसल बीमा स्वैच्छिक आधार पर किया गया है।

		वाली फसलें आदि ● परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने पर ध्यान, प्रयोगशाला से लेकर खेतों तक के कार्यक्रमों का मजबूतीकरण ● अन्न बैंक स्थापित करके खाद्य सुरक्षा ● विशेष जरूरतों वाले समूहों पर ध्यान	● कृषि विस्तार का मजबूतीकरण, आकस्मिक फसल योजना ● अन्न भण्डारण एवं पशुओं के लिए शेल्टर की व्यवस्था—खाद्यान्न एवं बीजों के लिए बाढ़रोधी भण्डारण की व्यवस्था जिसमें पोस्ट—हारवेस्ट प्रबंधन (भण्डारण, खाद्यान्न को सुखाना, खाद्य प्रसंस्करण) शामिल हों। ● विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता
टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम(टीपीडीएस)	राष्ट्रीय /राज्य	● अन्नपूर्णा एवं अन्तोदय जैसे कार्यक्रमों बुजर्गों पर विशेष ध्यान ● खाद्य आपूर्ति की पूर्वास्थिति	● पीडीएस के मजबूतीकरण के लिए ऑनलाइन वितरण व्यवस्था ● लापरवाही की वजह से होने वाले खाद्यान्न नुकसान को कम करने के लिए भण्डारण प्रक्रिया का मजबूतीकरण और आधुनिकीकरण
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आईडब्ल्यू—डीपी, डीडीपी, हरियाली), हरित राजस्थान	राष्ट्रीय /राज्य	● जलसंभर विकास के लिए दिशा निर्देशों में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों का समावेश ● परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गैर—सरकारी संगठनों की भागीदारी	● वितरण व्यवस्था का मजबूतीकरण ● ग्राम पंचायत स्तर पर एनआरएम एवं जल संसाधनों के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने के लिए योजना प्रक्रिया का मजबूतीकरण ● समुदाय—आधारित निगरानी तंत्र की सशक्तीकरण
रोजगार महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजी एस)		● एमजीएनआरईजीएस में डीआरआर संबंधी कार्यों को वरीयता देने का प्रस्ताव और रोजगार पैदा करने संबंधी दिशा निर्देश ● मानसून और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों की पहले से ही व्यवस्था	● स्थानीय निकायों की सहायता के लिए एक तकनीकी सहायता टीम का गठन ● कार्य—स्थल सुरक्षा कानून लागू करना ● विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता

		● विशेष जरूरतों वाले समूहों पर विशेष ध्यान	
स्वास्थ्य एवं बीमा नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (एनआरएमएम), जीवीके ईएमआरआई 108 एम्बुलेंस सर्विस, स्टेट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	राष्ट्रीय / राज्य	● सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल सुरक्षा ऑडिट ● सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा के बेहतर हस्तांतरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा ● आपदा पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवाओं के लिए पेंशन ● विशेष जरूरतों वाले समूहों पर ध्यान	● कारगर बीमारी निगरानी तंत्र ● बेहतर कवरेज के लिए एएमएम और 'आशा' कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम ● जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत सेवा-हस्तांतरण का मजबूतीकरण ● पीएचसी एवं अन्य कार्यक्रमों में सिविल सोसाइटी की भागीदारी का मजबूतीकरण ● विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता
सर्व शिक्षा अभियान (जेएनएनआरएम)	राष्ट्रीय	● स्कूल पाठ्यक्रम में आपदा जोखिम, तैयारी और शमन संबंधी शिक्षा सामग्री का समावेश ● टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट्स के प्रशिक्षण कोर्स में डीआरआर आपदाओं का समायोजन ● अधिकृत गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी	● प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की इमारतों एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर आपदासुरोधी ● सुभेद्य लोगों, जिनमें विकलांग भी शामिल हैं, की विशेष जरूरतों को मान्यता ● स्कूली बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों को जीवन-रक्षक कलाओं, जैसे फर्स्टऐड, तलाशी एवं बचाव और तैराकी में प्रशिक्षण ● छात्रों के लिए विस्तृत क्षमता-वर्धन प्रोग्राम शुरू किया जायेगा।
महिला एवं शिशु विकास इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (आईसीडीएस), मिडे डे मील (एमडीएम), कलेवा	केन्द्रीय	● आईसीडीएस की सेवाओं की बेहतरी के लिए सीबीओज ओर निजी क्षेत्र की भागीदारी ● सुरक्षित बाढ़ एवं भूकंप-रोधी आंगनवाड़ी की इमारतें ● शिशु-अनुकूल शौचालय जिनमें पानी और हाथ धोने की अन्य	● समुदायिक निगरानी प्रक्रिया का मजबूतीकरण ● एएनएम और एडब्ल्यूब्ल्यूज को प्रशिक्षण ● गर्मियों आने से पहले ओआरएस की व्यवस्था ● सद्मा परामर्श (आपदोत्तर)

पर्यटन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरटीडीसी)	राज्य	● पर्यटन और हैरिटेज स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बारे में दिशा- निर्देश ● पर्यावरण –अनुकूल पर्यटन, देशी पर्यटन	● संरक्षण एवं विकास कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी ● पर्यटकों की उचित पहचान, पंजीकरण एवं सुरक्षा
जल एवं सफाई प्रबंध स्वजलधारा, टोटल सेनिटेशन कैम्पेन, निर्मल ग्राम	राष्ट्रीय	● वाटर रिचाजिंग, पानी के संयुक्त प्रयोग और भू-जल प्रयोग कानूनों के माध्यम से दीर्घकालिक जल उपयोग	● घरेलू कूड़े-करकट का वैज्ञानिक प्रबंधन, संचालन एवं रिसाइकलिंग

अध्याय 6

तैयारी

किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को तैयारी कहते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, समुदायों विशेषज्ञों और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमताओं जिनके माध्यम से किसी संकट के आने का पूर्वानुमान लगाया जा सकें या आपदा आने की स्थिति में उससे प्रभावी तरीके से निपटा जा सके और समुत्थान किया जा सके, ऐसे उपायों को आपदा तैयारी कहते हैं। आपदा तैयारी से संबंधित क्रियाकलापों में किसी आपदा के आने का पूर्वानुमान और एहतियातन के तौर पर किये गये उपायों शामिल हैं जिनके आधार पर पूर्व चेतावनी दे सकें। ये उपाय किसी आपदा की स्थिति में उससे कारगर तरीके से निपटने और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से अंजाम देने संबंधी हमारी क्षमताओं का वर्धन करते हैं। इसमें समय-समय पर चेतावनी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना और संकट सूचना के दौरान लोगो की निकासी के प्रभावी उपाय शामिल हैं, जिससे जान और माल का नुकसान कम से कम हो सके।

वर्तमान पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियां—

यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित की जाएं, समय-समय पर उनमें सुधार एवं उनका आधुनिकीकरण किया जाए। विशेष प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियां तकनीकी खामियों की पहचान करेगी और उनके सुधार के लिए निश्चित समय-सीमा में पूरा होने वाले प्रोजेक्ट्स तैयार करेगी।

भूकम्प—

भूकम्पीय क्रियाकलापों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी भारतीय मौसम विभाग(आईएमडी) होगा जो भूकम्प आते ही उसके स्रोत सूचकांक का पता लगाना व उसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। भूकम्प संबंधी सूचना चैनलों और प्रैस को भी दी जायेगी। यह सूचना आईएमडी की वेबसाइट पर भी मौजूद रहेगी। आईएमडी भूकम्प के परिणाम और अधिकेंद्र की जानकारी भी संबद्ध एजेंसियों को देगा जिससे उन्हें उचित तरीके से रिसपॉन्स देने में सहायता मिलेगी।

बाढ़, फ्लैश फ्लाड, बांध टूटना, बादल फटना, ओला वृष्टि—

पूर्वानुमान और चेतावनी सूचना के प्रसार की प्रणाली निम्नानुसार है—

- आंकड़ों का संग्रह
- आंकड़ों का पूर्वानुमान केन्द्रों तक संचारण
- आंकड़ों का प्रसंस्करण और पूर्वानुमान का प्रतिपादन
- बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी का प्रसार

केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग व राज्य सरकार ने मिलकर रेन गेज और रिवर गेज स्टेशनों की घाटी-अनुसार सघनता बढ़ायेंगे और बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी के घाटी-अनुसार प्रणालियां स्थापित करेंगे। विशेषज्ञों द्वारा बांधों का मानसून पूर्व एवं मानसूनोत्तर निरीक्षण किया जायेगा।

सूखा, भारी वर्षा, तूफान, गर्मी एवं शीत लहर—

आईएमडी द्वारा मौसम व अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं जिसमें शामिल है—

- मौसम संबंधी अवलोकन, वर्तमान जानकारी एवं पूर्वानुमान उपलब्ध कराना
- खराब मौसम की स्थिति जैसे—चक्रवात, धूलभरी आंधियां, भारी वर्षा व हिमपात, गर्मी व शीतलहर के बारे में चेतावनी देना
- कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल निकालने व अन्य राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों के जरूरी मौसम के आंकड़ें उपलब्ध कराना
- सूखे का पूर्वानुमान जारी करना
- फ्लैश फ्लड पूर्वानुमान

जैविक आपदाएं—

इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम (आईडीएसपी) राज्य आधारित निगरानी कार्यक्रम है जिसके प्रमुख कार्य संभावित आपदाओं के बारे में चेतावनी संकेतों का पता लगाना एवं सही समय पर कारगर रिसपॉन्स देने में सहायता करना है। किसी असामान्य स्वास्थ्य संकट या महामारी की स्थिति में कोई भी 1075 पर संपर्क कर सकता है। यह सेवा निशुल्क है।

आग, सीबीआरएन, आतंकवाद और दुर्घटनाएं—

आपदा / जोखिम	एजेंसियां	ईडब्ल्यूएस	प्रचार प्रक्रिया	सहभागी
आग(स्थल पर,) दावानल, आयुधीय डिपों में आग	अग्निशमन विभाग(स्थानीय प्रशासन) स्थानीय पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेना	आग / धुआ संसूचक, समुदाय—आधारित सिस्टमस, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग	साइरन, स्वचालित सुरक्षा प्रणाली, मोबाइल तकनीक	शहरी एवं स्थानीय निकाय, वन और गृह विभाग, स्थल पर मौजूद कर्मचारी, ऑफ—साइट समुदाय, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग
औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय दुर्घटनाएं	खदान एवं पेट्रोलियम विभाग, ऊर्जा उद्योग विभाग, स्थानीय पुलिस स्टेशन	औद्योगिक इकाइयों द्वारा अलार्म, रासायनिक एवं रेडियोएक्टिव संसूचक, सेंसर, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग	साइरन, रेडियो, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, मोबाइल तकनीक	अग्निशमन विभाग, पुलिस विशेषज्ञ, गृह विभाग, स्थल पर मौजूद कर्मचारी, इलैक्ट्रॉनिक एवं ई—प्रिंट मीडिया,

		रिमोट सेंसिंग का प्रयोग		ऑफ-साइट समुदाय, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग
रेल एवं हवाई दुर्घटनाएं	रेलवे, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एयर ट्रेफिक कंट्रोल, एएआई, वायुसेना		रेडियों, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, मोबाइल तकनीक	गृह विभाग, इलैक्ट्रॉनिक एवं ई-प्रिंट मीडिया, समुदाय, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग
आतंकवाद	इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएडब्ल्यू, मिलिटरी इंटेलिजेंस, एटीएस, गृह मंत्रालय, पीएसआरए एंजेंसियां		रेडियों, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया,	गृह विभाग, केन्द्रीय व राज्य सुरक्षा बल, सेना, एनएसजी, स्पेशल फोर्स

प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां—

1. प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की प्रतिक्रिया सूची बनाए रखना
2. एंजेंसियों और संगठनों के लिए जिम्मेदारियों का सौंपना
3. जिला आपदा समिति के सदस्यों, अधिकारियों, समुदाय की विशेष प्रशिक्षणसेमिनार और कार्यशाला के माध्यम से क्षमतावर्धन
4. कार्यबल के प्रशिक्षण
5. समुदाय जागरूकता बढ़ाने
6. जिला, उपखंड और सामुदायिक स्तर पर मॉक अभ्यासों का आयोजन
7. जिला और सामुदायिक स्तर की योजनाओं का वार्षिक अद्यतन
8. प्रतिक्रिया रणनीति की समीक्षा और अद्यतन
9. विभिन्न संसाधन का संगठनों और कार्यों से जुड़े लोगो को आवंटन

आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना—

नियंत्रण कक्ष एक ऐसा केन्द्र है जहां सूचना और संसाधनों का समन्वय होता है। नियंत्रण कक्ष में निम्न गतिविधियां सम्पादित की जावेगी—

1. यह सुनिश्चित करना कि चेतावनी और संचार प्रणाली कार्य स्थितियों में हैं
2. खतरों, संसाधनों से संबंधित जिला स्तर की जानकारी का संग्रह और संकलन, प्रशिक्षित कार्य बल
3. जिला, उप-विभाजन और सामुदायिक स्तर की मॉक अभ्यासों का आयोजन
4. समुदाय, जिला और राज्य स्तर के विभागों के साथ नेटवर्किंग और समन्वय
5. योजना के तहत तैयारियों और शमन गतिविधियों की स्थिति रिपोर्ट तैयार करना
6. राज्य सरकार को जानकारी प्रदान करना

स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स(एसडीआरएफ)

आरएसी के सहयोग से एसडीआरएफ का गठन राज्य में किया जा चुका है। जिलों में वर्तमान में एसडीआरएफ की स्थापना नहीं हुई है, परन्तु संभाग स्तर पर एसडीआरएफ का गठन किया जा चुका है जिसकी उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। फोर्स को विशेषज्ञ प्रशिक्षण और उपकरणों से सुसज्जित किया गया है जिससे वह आपदा की स्थिति में राज्य की रिसपॉन्स टीम के रूप में काम कर सकें। किसी भी तरह की आपदा में एसडीआरएफ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, विशेष रूप से शुरुआती 72 घंटों के दौरान।

स्थानीय तलाश एवं बचाव दल

स्थानीय स्तर पर, सेवानिवृत्त सेना एवं पुलिस कर्मचारियों, होम गार्ड के स्वयंसेवियों को शुरुआती तौर पर तलाश और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। ये लोग आपदा स्थल पर विशेष दलों के पहुंचन तक काम करेंगे। इसके अलावा, सामुदायिक स्वयंसेवियों का चयन किया जावेगा और उन्हें समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन प्रोग्राम के माध्यम से तलाश एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

मेडिकल फर्स्ट रिसपॉन्डर्स (एमएफआर)

डिजास्टर मेडिकल असिस्टेंस टीम (आपदा चिकित्सा सहायता दल) को विभिन्न मेडिकल सुविधाएं जैसे ऑपरेशन थियेटर, पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी, आईसीयू, एक्स-रे, दवाइयां एवं अन्य उपकरण मुहैया कराई जायेंगी। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संबलित एमएफआर जिलों से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। आपातकाल/आपदा की स्थिति में, एमएफआर रोगियों की देखभाल करेंगे, और घटना स्थल पर अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें लाइफ सपोर्ट मुहैया करायेंगे।

विद्यालय सुरक्षा योजना

प्रत्येक विद्यालय अपनी-अपनी विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा जिसमें छात्रों, अध्यापकों और छात्रों के माता-पिताओं की भागीदारी होगी। योजना में निम्न घटकों का समावेश होगा—

- विद्यालय परिसर में जोखिमों, सुभेद्यताओं और क्षमताओं की पहचान
- विद्यालय के आस-पास सम्भावित सहयोग-एजेंसियों की पहचान
- क्षमतावर्धन के लिये कार्ययोजना— प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल आदि
- आपात स्थिति में निकासी योजना
- हर तरह की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया एवं इंतजामात— आग, लैब आदि
- डेटा बैंक का निर्माण जिसमें प्रमुख लोगों के नाम व दूरभाष संख्या का समावेश होगा
- प्रमुख जीवन रक्षक सामग्री, उपकरणों दवाइयों आदि का भंडारण

स्कूल की ढांचागत एवं गैर-ढांचागत सुरक्षा एवं छात्रों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त माहौल के विकास का जिम्मा एसएमसी का होगा। आपदाओं की स्थिति में विद्यालय एक सुरक्षित स्थान होने चाहिए।

अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना—

अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना में दोनों चीजे शामिल होगी—अस्पताल की आन्तरिक योजना और आपदा के दौरान हताहतों के प्रबंधन के लिए। इसमें निम्न घटक शामिल होंगे—

- चिकित्सा दलों एवं पैरामेडिकल का विकास एवं प्रशिक्षण
- निश्चित अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- अधिकाधिक रोगियों को बचाने पर विशेष ध्यान एवं उपचार की गुणवत्ता से समझौता नहीं
- आपदा के दौरान बिस्तरों, एम्बुलेंस, चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और मोबाइल मेडिकल दलों की बढ़ती मांग पूर्ति करने का प्रावधान, चिकित्सा उपकरणों, जरूरी दवाइयों का संग्रहण, निजी चिकित्सा क्षेत्र का सहयोग लेना इत्यादि का समावेश
- मॉक ड्रिल्स का आयोजन

डेटाबेस

सभी विभागों के संसाधनों के आंकड़ों को इकट्ठा करके इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नैटवर्क, इंडिया डिजास्टर नॉलेज नैटवर्क और कॉरपोरेट डिजास्टर रिसोर्स नैटवर्क के डेटाबेस में डालने की जरूरत है। संग्रहित और संकलित करने योग्य डेटाबेस है—

1. सुभेद्य क्षेत्रों, क्षमताओं और संसाधनों के जीआईएस-आधारित स्थानिक मानचित्र
2. जीआईएस-आधारित विकास आंकड़े
3. प्रमुख व्यक्तियों के फोन नम्बर, पता और क्षमताओं का विवरण
4. राहत सामग्री और उनके सप्लायर्स का डेटाबेस
5. अग्निशमन संसाधनों, उनकी उपलब्धता वाले स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटाबेस

6. भारी उपकरणों जैसे—ट्रक, डम्पर्स, अर्थमूवर्स, केन्स और ड्रिल मशीनों के मालिको, उपलब्धता स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटाबेस
7. ट्रांसपोर्टर्स, उपलब्धता स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटाबेस
8. प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और निर्माण कर्मचारियों का डेटाबेस
9. राहत कर्मियों का डेटाबेस— तलाश एवं बचावकर्मी, जल एवं सैनिटेशन इंजीनियर्स, आवास इंजीनियर्स, पब्लिक हैल्थ विशेषज्ञ, कृषि एवं आजीविका विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता
10. एनजीओज, सीबीओज, अन्य स्वयंसेवी संस्थानों का डेटाबेस
11. ऐसी निजी कंपनियों की सूची जो अपने संसाधनों को दूसरे सहभागियों, जिनमें सरकार भी शामिल है, को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर देने को तैयार है।
12. आपदा विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षकों और तलाश एवं बचाव, अग्निशमन, निकासी, आपातकालीन रिसपॉन्स, और फर्स्ट एड कर्मियों का डेटाबेस
13. तकनीकी एवं शोध संस्थानों को डेटाबेस
14. चिकित्सा सुविधाओं, मास केजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमताओं एवं अन्य वस्तुओं को डेटाबेस

विभागीय तैयारियां

कृषि विभाग:—

- जोखिम संवेदनशील जोनों को पहचानें
- अधिकारियों/सहायक कर्मचारी और स्वयंसेवकों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- उपकरण/मशीन आदि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना।
- किसानों द्वारा फसल बीमा को प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना।
- आपातकाल के मामले में मात्रा, प्रकार के बीज/पौधों/दवाइयां/उपकरण और उपकरणों आदि का निर्धारण करें, जो कि जिला/ ब्लॉक/गांव के लिए आवश्यक होगा।
- लोगों/किसानों को सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा उपलब्ध नई योजनाओं, प्रौद्योगिकी और सुविधाओं का लाभ उठाएं।
- संभव भंडारण गोदामों को सूचीबद्ध करना।
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व अनुबंध (बीज/पौधे/दवाएं/खाद/उपकरण/उपकरण)

- कृषि पद्धतियों के प्रकार, भूमि उपयोग पैटर्न, मौसमों के अनुसार फसलों के प्रकार, उत्पादन की मात्रा, खेती की गई खेती की राशि, बीमाकृत फसलों आदि का अनुमान और रखरखाव जारी रखें और उन्हें अद्यतन रखें।
- कीट और बीमारी नियंत्रण की निगरानी करें।
- सामुदायिक स्तर की तैयारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग—

- आपदाओं से जुड़े संभावित रोगों की पहचान करें
- टीम लीडर और सहायक स्टाफ (नाम और आवंटन द्वारा पहचान) के साथ स्थान-वार त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना।
- जिले में अलग-अलग जगहों पर दवाइयों/डिस्नेटाइजेंट्स/टीकों का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जाना चाहिए
- प्राथमिक चिकित्सा किट/एम्बुलेंस का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहें
- अधिकारियों/सहायक कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- कर्मचारियों के लिए आपातकालीन आवास और बाहरी क्षेत्रों के अन्य अधिकारियों के लिए योजना।
- उपकरण / मशीन आदि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना
- मात्रा, प्रकार की दवाइयों, चिकित्सा सहायता, उपकरणों आदि का निर्धारण करना होगा जिनकी आपातकाल के मामले में राहत शिविर आदि सहित प्रतिदिन जिला/ब्लॉक/गांव के लिए आवश्यकता होगी।
- विभिन्न स्थानों पर पोर्टेबल उपकरणों सहित सूची बनाए रखें

पशुपालन विभाग—

- अधिकारियों / सहायक कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- उपकरण/मशीन आदि को कार्यरत स्थिति में रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना।
- आपातकालीन स्थिति के मामले में मात्रा, चारा/दवाइयां आदि का निर्धारण करना चाहिए जो कि प्रति दिन जिला/ब्लॉक/गांव, राहत शिविर आदि सहित आवश्यक होंगे।
- जानवरों के लिए संभावित आश्रयों (शिविर) को सूचीबद्ध करना।

- आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्री-कॉन्ट्रैक्ट (फॉर्डर/दवाइयां/उपकरण)
- पशुधन अद्यतन को बनाए रखें
- जोखिम संवेदनशील जोन पहचानें
- रोग नियंत्रण को मॉनिटर करें
- किसानों को अपने पशुओं का बीमा करने के लिए प्रोत्साहित करें

पुलिस विभाग—

- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- अधिकारियों और सहायक स्टाफ के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- योजना के अनुसार मॉक अभ्यास
- उपकरण/मशीनों का उन्नयन और कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाना।
- आपातकालीन नियंत्रण कक्ष संचालन
- निकासी के लिए पर्याप्त चेतावनी तंत्र।
- वैकल्पिक मार्गों की पहचान
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- असामाजिक तत्व/समूह की पहचान
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उसमें गश्त करना
- महत्वपूर्ण इमारतों/राजमार्गों पर गश्त करना
- स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर प्रशासन को सहायता
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग—

- जोखिम प्रवण जोनों को पहचानें टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- आपदा में आवश्यक मात्रा और प्रकार के प्रकार का निर्धारण (जैसे कि सूखे भोजन, खाने के लिए तैयार, आवश्यक वस्तुएं, एसकेओ, एलपीजी, पीओएल, टॉयलेटरीज, कंबल इत्यादि) और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करें।
- भंडारण सुविधाओं, स्थान और क्षमता के अनुसार पहचानें।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व अनुबंध

सार्वजनिक निर्माण विभाग—

- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- योजनाओं के अनुसार मॉक अभ्यास
- कमजोर संरचनाओं/कमजोर निर्माणों की पहचान करें जो भूकंप / भूस्खलन के लिए कमजोर हैं।
- सभी सड़कों, पुलों का निरीक्षण करना, जिसमें नींव और पियर्स के पानी का निरीक्षण शामिल है। सभी ठोस और स्टील के काम पर एक पूर्ण जांच होनी चाहिए।
- उपकरण/मशीन आदि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना, टेंट उपकरणों की खरीद
- आपातकालीन ईंधन संग्रहीत, वाहनों सहित वाहनों का निरीक्षण करना और काम कर रहे हालत में बनाए रखना।
- संभव हेलीपैड तैयार करना एवं उनके स्थान की जानकारी देना— राज्य/जिला कंट्रोल रूम में उनके दीर्घकालिक / अक्षांश।
- गैर-विनाशकारी परीक्षण और जीवनरेखा भवनों और महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुर्न कोटिंग के लिए भूकंपी प्रूफिंग (शहरी मामलों के विभाग के साथ) सुनिश्चित करने के लिए।
- भारी उपकरणों, जैसे फ्रंट एंड लोडर, क्षतिग्रस्त होने की संभावना वाले क्षेत्रों में ले जाया जाना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखा जावे।
- सड़कों की मरम्मत
- सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों की सूची
- महत्वपूर्ण टेलीफोन / संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- भवन निर्माण एवं पुनःसंयोजन पर निर्माणकर्ताओं का प्रशिक्षण (शहरी मामलों के विभाग के साथ)।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना।
- आवश्यक उपकरण / दुकानों के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व अनुबंध की व्यवस्था।
- सामुदायिक स्तर की तैयारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

विद्युत विभाग—

- अधिकारियों / सहायक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- जोखिम संवेदनशील जोन पहचानें, टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- उपकरण / मशीन आदि, कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।

- आपूर्तिकर्ताओं (उपकरणों) के साथ पूर्व अनुबंध
- प्रत्येक उप-स्टेशन पर आपदा प्रबंधन उपकरण किटों की व्यवस्था करें, जिसमें केबल कटर, पुली ब्लॉक, चाकू, कुल्हाड़ियों, क्रॉबर्स, रस्सियों, आरी स्पैनर्स और कू के लिए टेंट शामिल हैं।
- सामुदायिक स्तर की तैयारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

वन विभाग—

- सार्वजनिक ज्ञान के लिए प्रकाशन करें— वन क्षेत्र का विवरण, वन विभाग के तहत भूमि का उपयोग, कमी की दर और इसके कारण
- काम की स्थिति में आरी (पॉवर और मैनुअल दोनों) को रखें।
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेड़ों के विनाश के मामले में पौधों को रोपाई प्रदान करने के लिए नर्सरी को बढ़ावा देने, समुदाय को रोपाई का प्रावधान और वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- आपात स्थितियों के दौरान संरक्षण के लिए पेड़ों और जंगलों की भूमिका के बारे में अधिक जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का क्षरण, आदि जैसे वनों की कटाई के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
- बागान, संरक्षण और अन्य वन सुरक्षा, कायाकल्प और बहाली की गतिविधियों में समुदाय, एनजीओ और सीबीओ की भागीदारी बढ़ाना।
- घटनाओं को कम करने और जंगल की आग के प्रभाव को कम करने की योजना

जनसम्पर्क विभाग—

- मीडिया प्रसार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करना
- विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं और जनता के बारे में और अन्य लोगों के लिए प्रसार करना।
- मीडिया प्रिंट और विजुअल के साथ नियमित रूप से प्रदर्शित करना।
- मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आपदाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करना
- आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, के बारे में संबंधित अन्य लोगों को जानकारी प्रसार करना।
- नवीनतम आपातकालीन स्थिति के बारे में सार्वजनिक जानकारी रखें (प्रभावित क्षेत्र, जान-माल नुकसान आदि)।
- लोगों को विभिन्न आपदा पश्चात् सहायता और रिकवरी कार्यक्रम के बारे में सूचित करना

अग्निशमन/स्थानीय निकाय विभाग—

- आग निविदाओं की नियमित जांच और उन्हें पूर्ण कार्यरत स्थिति में रखते हुए

- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- अग्निशमन, खोज और बचाव में अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- योजनाओं के अनुसार मॉक अभ्यास
- आपातकाल में इस्तेमाल के लिए आवश्यक सामग्री आंकलन किया जाना चाहिए और आरक्षित में रखा जाना चाहिए
- जिले में अन्य आग स्टेशनों के संपर्क में रहें
- जिला प्रशासन के निकट संपर्क में रहें

समुदाय तैयारियां—

समुदाय चेतावनी प्रणाली—

- राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष / आपदा प्रबंधन विभाग / मीडिया से सूचना
- आसानी से समझने योग्य शब्दावली के साथ चेतावनी संदेश का विकास करना
- उपखंड अधिकारी / आईसीए / जल संसाधन / पुलिस द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग करने वाले लक्षित समुदाय को आपातकालीन संदेश / चेतावनी संदेश प्रदर्शित करें

सामुदायिक जागरूकता शिक्षा— समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जैसे—

- आईसीसी सामग्री वितरण— वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, सुरक्षा टिप्स पर बैनर, हैंडबिलेन मीटिंग्स / कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान और विशेष अवसरों जैसे मेला आदि के दौरान
- समुदाय और परिवारों को भूकंप, चक्रवात और बाढ़ आदि के दौरान क्या करें और क्या ना करें— का पता हों
- एसडीएम, बीडीओ द्वारा समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हर महीने आयोजित किया जावे

समुदाय सहभागिता—

- समुदाय से ऐसे लोगो की पहचान करना जो चेतावनी दल, निकासी टीम, खोज और बचाव दल, प्राथमिक चिकित्सा दल और प्रबंधन दल, राहत / आश्रय आदि कार्य कर सकें।

अध्याय –7

क्षमता-वर्धन

क्षमतावर्धन से एक उपयुक्त संस्थागत फ्रेमवर्क और प्रबंधन प्रणाली तैयार करने और संसाधन आवंटन करने में मदद मिलती है जिससे आपदाओं का मुकाबला करने के लिये बेहतर रिसर्पॉन्स प्रणाली विकसित की जा सके ।

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिये क्षमतावर्धन के लिये किये जाने वाले प्रयास निम्नलिखित हैं

1. प्रशिक्षण
2. मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास
3. पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश
4. जन जागृति
5. समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम
6. आपदा से संबंधित उपकरणों की सुगमता
7. सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण क्षमता वर्धन कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं।

ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

जिला एवं स्थानीय ऑथॉरिटीज, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कर्मचारीयों, पुलिस कर्मियों , सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एसडीआरएफ, स्कूली अध्यापको और एनजीओज को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी।

प्रशिक्षण जरूरतों का मुल्यांकन

सक्षम, साधन सम्पन्न एवं जिम्मेदार कर्मचारीयों का विकास किया जावे और उनकी क्षमता का वर्धन किया जावे जिससे वे किसी भी आपदा स्थिति में कार्य कर सकें। प्रत्येक विभाग प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमतावर्धक कार्यक्रमों के लिये समय-सारिणी तैयार करेंगे। इस योजना में पूरे स्टॉफ के लिये आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रावधान होगा।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीज-ट्रेनिंग ऑफ टैनेर्स)

यह प्रोग्राम तलाश एवं बचाव, फर्स्ट एड, निकासी, अग्निशमन, सुरक्षा और इमरजेंसी रिसर्पॉन्स जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षकों को मास्टर टैनेर्स के रूप में मान्यता दी जायेगी जो आंचलिक स्तर पर ट्रेनिंग देंगे एवं वर्कशॉप आयोजित करेंगे।

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण

मास्टर ट्रेनर्स जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न सहभागियों को प्रशिक्षित करेंगे। उनमें एनजीओज, सीबीओज, समाजसेवक, युवा संगठन, नेशनल क्रेडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, अध्यापक और छात्र शामिल हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

प्रशिक्षण जरूरत मुल्यांकन के आधार पर, सभी विभाग, जो आपदा प्रबंधन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, अपने कुछ अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेजते हैं। तथा प्रशिक्षण की सालाना सारिणी तैयार करते हैं। समय समय पर कटेंट और मैथडोलॉजी का रिव्यू करते हैं। प्रशिक्षण के प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं।

1. आपदा प्रबंधन पर अधिष्ठापन प्रशिक्षण
2. लाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिये स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग्स
3. इंसिडेंट रिसपोन्स सिस्टम पर प्रशिक्षण
4. आपातकालीन राहत एवं रिसपोन्स के लिये न्यूनतम मानदंड
5. उपकरण एवं रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण

विशेष प्रशिक्षण

1. शहरी स्थानीय निकायों के लिये प्रशिक्षण
2. पंचायतीराज संस्थाओं के लिये प्रशिक्षण
3. भूकम्परोधी तकनीक पर आर्किटेक्ट्स, इंजिनियर्स को प्रशिक्षण
4. मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट के लिये पैरामैडिक एवं चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण
5. फर्स्ट रिसपोन्डर्स (सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एसडीआरएफ, एनएसएस, एनवाईके और कम्युनिटीवेस्ड टास्क फोर्स टीम) को विशेष प्रशिक्षण
6. मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षण
7. स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण
8. धार्मिक स्थलों पर प्रशिक्षण

मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास

प्रशिक्षण के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि मॉक ड्रिल्स और अनुरूपण के माध्यम से आपदा तैयारी के स्तर का प्रशिक्षण किया जावे।

सभी विद्यालयों, अस्पतालों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों स्पोर्ट्स क्लबों/मैदानों और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा मॉक ड्रिल्स किये जायेंगे जिससे यह पता चल सके कि सुरक्षा प्रणाली में क्या खामिया हैं। इसका एक उद्देश्य इन संस्थाओं का क्षमतावर्धन भी है।

जिससे जान-माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इन मॉक ड्रिल्स में पुलिस कर्मी, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, बचाव दल और विशेष रिसपोन्स दल (बाम्ब डिसपोजलस्क्वैड, एटीएस) भाग लेंगे।

कंपनिया एवं औद्योगिक इकाइयां भी अपनी-अपनी ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट आपदा प्रबंधन योजनायें तैयार करेंगी। अग्निकांड और भूकम्प के लिये साल में कम से कम 2 बार मॉक ड्रिल्स आयोजित करना अनिवार्य है।

मॉक ड्रिल्स की सूची निम्नलिखित है :-

- स्कूल स्तर पर मॉक ड्रिल्स और आपदा प्रबंधन की योजना
- मास केजुअलिटी मैनेजमेंट पर मॉक ड्रिल्स की योजना
- पर्यटक केन्द्रों व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा प्रणाली पर मॉक ड्रिल्स योजना
- धार्मिक मंदिरों, मस्जिदों आदि में सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन के लियें मॉक ड्रिल्स योजना
- सार्वजनिक स्थाना व इमारतों जैस रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे , सिनेमाघरों, मॉल मार्केट, पर्यटन स्थल, स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल, ओडिटोरियम, सभागार,सरकारी कार्यालय आदि में मॉक ड्रिल्स योजना

पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश

शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड के सहयोग से , यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा सुरक्षा एवं तैयारी विषय माध्यमिक शिक्षा (11 व 12) के पाठ्यक्रम में लागू किया जायें। विश्वविद्यालय एवं रूवायत संस्थायें अपने विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन (जिसमें भूकम्प और बाढ़ प्रबंधन शामिल हैं) लागू करेंगे। यह व्यवस्था गैर-तकनीकी कार्यक्रमों में भी लागू की जायेगी।

जन जागृति

किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले रिसपोन्ड करते हैं। आपदाओं की जानकारी एवं उनके प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जाये। साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन की संकल्पनाओं के बारे में जानकारी दी जाये। सूचना प्रसारण में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विभिन्न इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रणालियां एवं उपकरण

1. स्थानीय भाषाओं में जिगंल्स विकसित करना
2. वीडियो स्पॉटस तैयार करना
3. स्थानीय टेलिविजन एवं रेडियों पर डीडीआर पर पैनल डिसकशन
4. सामरिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाना
5. पंचायत भवनों/एडब्ल्यूसीज पर डिसप्ले बोर्ड, बैनर, चिकित्सा आदि लगाना

6. पोस्टर, पुस्तिका, पैम्फलेट, विज्ञप्ति आदि तैयार करना
7. डीडआर पर फोक मीडिया, स्ट्रीट प्ले, कलाजथा करना
8. डीडआर पर छात्र-प्रतियोगितायें आयोजित करवाना

आम जनता तक पहुंचने के लिए जन-जागृति कार्यक्रम जैसे वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विशेष, अभियान, रैली फिल्म शो, आदि आयोजित किये जायेंगे। शारिरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों, बजुर्गों और महिलाओं को जागरूकता के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहियें।

कम्युनिटी-बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट (सीबीडीएम) प्रोग्राम

सामुदायिक स्तर पर दीर्घ-कालीन कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहियें जिससे लोग आपदा जोखिम से बेहतर तरीके से निपट सकें।

- कम्युनिटी-बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की नीतियों, योजनाओं और क्रियान्वयन को संस्थागत बनाना।
- सूचना प्रसारण एवं जागृति पैदा करने के लियें लोगों के साथ गहन कार्यक्रम।

आपदा संबंधित उपकरणों की उपलब्धता

किसी भी आपदा की आपातकालीन हैंडलिंग विशेष मशीनरी और उपकरणों पर निर्भर करती है इसलिए आपदा प्रबंधन के सफल अभियान आधुनिक उपकरणों और आपदा स्थल पर उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इन उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव के लिये एक विशेष प्रशिक्षण डिजाइन किया जायेगा और इन उपकरणों के संचालकों को उसका प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी विभाग अपने-अपने प्रस्ताव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को भेजें जिनके आधार पर इन सामानों और सम्पत्ति को खरीद की व्यवस्था की जा सकें।

सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

सभी सहभागियों तक आपदा से संबंधित सूचना के प्रसार के लिये राज्य ने वेबसाइट और पोर्टल्स शुरू किये हैं जहां सभी उपयोगी सूचनायें एवं योजनाएं सहभागियों के लियें उपलब्ध करायी गयी है। सभी विभाग की पूर्व घटनाओं के बारे में सूचनायें एवं दस्तावेजों का संग्रहण करेंगे। संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की घटनाओं के बारे में अखबारों की क्लिपिंग्स, लेख और खबरें इकट्ठी की जायेगी। विभाग सर्वोत्तम प्रयोगों की सफलता की कहानियों का भी प्रलेखन करायेंगे और उनको वेबसाइट, पुस्तिकाओं और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचायेंगे।

अध्याय— 8 राहत एवं प्रत्याक्रमण

प्रत्याक्रमण (रिसपॉन्स) उपाय वे है जिनके मुख्य उद्देश्यों में जन जीवन की सुरक्षा करना , उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पत्ति को सुरक्षित बचाना और आपदा द्वारा किये गये नुकसान से निपटना शामिल है। प्रत्याक्रमण अभियान सामान्यतः विघटनकारी और कभी-कभी अभिघातज स्थितियों में चलाये जाते हैं। उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। जिसमें कर्मचारियों, उपकरणों और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है।

प्रत्याक्रमण को निम्नलिखित 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है

आपदा के दौरान	पहला प्रत्याक्रमण/राहत चरण
आपदोत्तर	प्रत्याक्रमण चरण
	समुत्थान चरण

‘आपदा के दौरान ’ चरण पूर्व वह चरण है जिसमें लोग आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को सबसे ज्यादा झेलते हैं। इसी चरण के दौरान प्रत्याक्रमण संरचना राज्य से लेकर जिला स्तर तक क्रियान्वित की जाती है। जब भी कोई आपदा आती है तो समुदाय को ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती हैं। इससे जानमाल और मानसिक एवं सामाजिक सन्दर्भ के रूप में भारी नुकसान होता है।

एम सी आई के दौरान किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

- चिकित्सकों और सुरक्षा एजेंसियों का एक संयुक्त दल संसाधनों की जरूरत और घटना स्थल का मुआयना करना
- एक नियंत्रण संरचना का गठन किया जायेगा
- संसाधनों (मानवीय, स्प्लाई एवं उपकरण)का संग्रहीकरण किया जायेगा। सुविधा केन्द्रों पर अलार्म प्रणालियों की स्थापना की जायेगी।
- रोगियों, परिवार के सदस्यों एवं मीडिया को ठहराने के लिए कुछ विशेष स्थानों का निर्धारण किया जायेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था, फार्मसी, खून की आपूर्ति और महत्वपूर्ण उपकरणों के रखरखाव के लिये विशेष दल बनाये जायेंगे।
- लोगो तक सही सूचना और उचित मदद पहुंचाई जाये जिससे घायल परिवार जनों को पहचानने, ढूंढने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।
- सभी जिलों में प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं का पहचान करना
- विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा एजेंसियों एवं अन्य सहभागियों के सहयोग से एमसीएम के लिए क्षमतावर्धन संबंधी प्रयासों में जिला प्रशासन की मदद करना।
- आपदाओं के लिए पहले से ही एसओपीज तैयार करना

- पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।
- आपातकालीन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्वों का निर्धारण करना।
- अस्पतालों की तैयारी का समय-समय पर मूल्यांकन। मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण किये जायेंगे।

रेपिड डैमेज असैसमेंट (आरडीए)

आपदा आने के तुरन्त बाद जान माल के नुकसान और घायलों की संख्या जानने के लिए रेपिड डैमेज असैसमेंट की आवश्यकता होती है। राहत कार्यों के लिए संसाधन जुटाना, नुकसान के परिणाम की जानकारी लेना, आपदा की प्रचंडता आंकना, पुर्ननिर्माण एवं पुनः स्थापना करना।

आरडीए स्थानीय स्तर पर कराया जायेगा जहाँ आपदा घटित हुई है। आरडीए टीम का नेतृत्व स्थानीय दुर्घटना कमांडर करेगा और इसमें पटवारी, उपमण्डलीय अस्पताल का सीएमओ, लोक निर्माण विभाग का जूनियर इंजीनियर और कुछ स्थानीय लोग शामिल होंगे। आरडीए टीम नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंपेंगे।

रिसपॉन्स के स्तर

रेपिड असैसमेंट से आपदा का स्तर (एल) घोषित करने में मदद मिलेगी जिसके आधार पर रिसपॉन्स के स्वरूप के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

एल-0 स्तर सामान्य समय का घोटक है जिसका इस्तेमाल निगरानी, प्रलेखन, रोकथाम और तैयारी संबंधी क्रियाकलापों के लिए किया जायेगा। इस समयावधि के दौरान तलाश एवं बचाव संबंधी प्रशिक्षण, पूर्वाभास, मूल्यांकन, और संभरण आदि कार्यक्रम चलाये जायेंगे जिसमें रिसपॉन्स क्षमता में सुधार लाया जा सके।

एल-1 स्तर (चिन्ता) उस आपदा का उल्लेख करता है जिसका प्रबंधन जिला स्तर पर किया जा सकता है।

एल-2 स्तर (विपत्ति) आपदा स्थितियां वे हैं जिनमें राज्य के सक्रिय सहयोग की जरूरत पड़ती है जो आवश्यक संसाधन जुटाने के रूप में दिया जा सकता है।

एल-3 स्तर (संकटावस्था) यह एक बड़ी आपदा की स्थिति है जिसमें राज्य और जिला मशीनरी को पुनः पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है।

संचार व्यवस्था

आपदा प्रबंधन में कारगर रिसपॉन्स के लिए बेहतर संचार व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि आपदाओं में संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए सौर उर्जा से संचालित संचार व्यवस्था और वीएचएफ एवं सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल, किया जाना चाहिए।

जनता का सहयोग

रिसपॉन्स ऑपरेशन की सफलता के लिए आपदा रिसपॉन्स अधिकारियों और जनता के बीच सहयोग बहुत आवश्यक है।

रिसपॉन्स और समुत्थान चरण का तात्पर्य “ उनआपातकालीन सेवाओं एवंलोक सहयोग से है जो आपदा के दौरान या ठीक तुरन्त बाद लोगो की जान बचाने, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को कम करने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए मुहैया कराई जाती है।कारगर रिसपॉन्स के लिए आवश्यक वस्तुएं निम्न लिखित है।

इमरजेन्सीसपोर्ट फन्क्शन (ईएसएफ)

इसमें विभिन्न सपोर्ट एजेंसियों शामिल है, जो सभी तरह की आपदाओं के लिए सामान्य है, मुख्य एजेंसियों का प्रबंधन, प्रस्तावित ईएसएफ्स जरूरी वस्तुओं की पहचान करेंगे, संसाधन जुटाएंगे एवं उन्हें प्रभावित इलाकों तक पहुंचाएंगे और जिला प्रशासको की रिसपॉन्स कार्यवाही में मदद करेंगे।

शिविर प्रबंधन

आपदा की वजह से विस्थापित लोगो के लिए शिविर अस्थाई आवासीय व्यवस्था है।

जिला प्रशासन शिविर प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे जो निम्नलिखित है:

- सुरक्षा एवं मान-सम्मान, मान-मर्यादा की रक्षा, सांस्कृतिक मान्यतायें शामिल है।
- पंजीकरण एवं आबादी :-सभी शिविर निवासियों का डेटा बेस तैयार करना, जनसांख्यिकीय विवरण जैसे प्रवेश और प्रस्थान का पंजीकरण, शिविर प्रबंधन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।
- सूचना प्रसार :-वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य, कुल संख्या और अन्य पहलुओं के बारे में जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान को समायोजित किया जायेगा।
- समन्वय एवं प्रबंधन
- संगठन एवं सहभागिता
- शरणस्थल की योजना एवं पर्यावरणीय मामले :-शरणस्थलों की योजना शिविर प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी व्यवस्था संभावित आबादी,बुनियादीसुविधाओं एवं सेवाओं, प्रवेशएवं निकासी द्वारों की व्यवस्था, सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए।इनके अलावा भूजल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी इतने ही महत्वपूर्ण है।
- बुनियादी सेवाएं जैसे जल, सैनिटेशन, हाइजीन और प्रबंधन की व्यवस्था शिविर प्रबंधन के प्रमुख अवयव है।
- परिवर्ती शिक्षा :-अगर शिविर के तीन या ज्यादा महीने तक चलने की संभावना हो तो वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस काम के लिए स्थानीय अध्यापकों, युवकों और विशिष्ट एजेंसियोंएवं विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य सुविधाएं :-शिविर में स्वास्थ्य एवं हाइजीन की उचित देखभाल करना शिविर प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी है। जिसमें मौसमी एवं चिरकालिक बीमारियों और पानी एवं वैक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों की निगरानी एवं इलाज की जिम्मेदारी चिकित्सकों के किसी विशेष दल को सौंप देनी चाहिए। समय समय पर टीकाकरण एवं विसंक्रमण अभियान चलाये जाने चाहिए।

- विशेष जरूरत वाले समूह :-विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करेजिसमें गर्भवती महिलाएं, चिरकालीन बीमार , शिशु, विकलांग, बुजुर्ग, अनाथ और एचआईवी-एडस से पीड़ित लोग शामिल है ।

डैमेज एंडनीड्स असेसमेन्ट

समुत्थान चरण में जिला स्तर पर नुकसान का विस्तृत निर्धारण किया जाना चाहिए। जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा से होने वाले आर्थिक एवं वित्तीय नुकसान का आंकलन करना है। इसमें इमारतों, कृषि और सम्पत्ति के नुकसान का भी आकलन किया जायेगा। टीम का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कलक्टर करेंगे। इसमें जिला राहत अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के इग्जेक्यूटिव इंजीनियर, प्रभावित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिले में कार्यरत प्रमुख एनजीओज और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।

अध्याय –9 समुत्थान एवं पुनर्निर्माण

समुत्थान एवं पुनर्निर्माण आपदा प्रबंधन का आखरी चरण है यह “BUILD BACK BETTER” के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बेहतर, सुरक्षित निर्माण करने की प्रक्रिया है। समुत्थान एवं पुनर्निर्माण, अधिक सुरक्षित विकासशील व सुनियोजित सुविधाओं को नये सिरे से निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सामाजिक व आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया में ऐसे प्रयास किये जाते हैं जिससे जीवकोपार्जन प्रणालियों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सुविधाओं को व्यवहारिक रूप से नया आयाम दिया जा सकें। समुत्थान एवं पुनर्निर्माण की मुख्य योजनाएँ जो कि प्रभावित समुदाय को दीर्घकालीन पुर्नवास व समुत्थान प्रदान करती हैं, वे सामान्यतया केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ होती हैं।

आवासीय सुविधायें:- इस प्रक्रिया में आपदा ग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी सभी इलाकों के घरों की डिजाईन व योजना शामिल हैं। किसी भी प्रकार की आपदा का डेमेज असेसमेंट किया जाता है। डेमेज के कारणों का आंकलन कर पुनर्निर्माण में बुनियादी सिद्धांतों को शामिल किया जाता है।

नये आवास निर्माण के समय सरकारी योजनाओं जैसे की इंद्रा आवास योजना , प्र.मंत्री शहरी आवास योजना आदि से प्रभावित समुदाय को नये सिरे से पुर्नवास दिया जा सकता है।

बुनियादी सुविधायें:- बुनियादी सेवाएँ जैसे की जल आपूर्ति , सेनीटेशन, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि की स्थायी सुविधाओं का चयन किया जाना चाहिये । इन सुविधाओं के लिये जन समुदाय में जागरूकता पैदा करवानी चाहिये । उदा. के तौर पर जल आपूर्ति के लिये वर्षा के जल को इकट्ठा करना, वॉटर शेड के कार्य, वेस्ट मैनेजमेंट के स्थायी प्लांट व रोजगार के अवसरों को तलाश कर पुर्नवास प्रक्रिया को और भी बल दिया जा सकता है। आधुनिकीकरण से सुविधायें इतनी मजबूत हो कि भविष्य में आपदाओं का प्रकोप सह सके।

क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर:- बिजली संचार व परिवहन आपदा के पश्चात पुर्न स्थापन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इन माध्यमों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित जन समुदाय को सेवाएँ पहुंचाना नामुमकिन सा हो जाता है। बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ ही आपदा के पश्चात नये मास्टर प्लान बनाने, प्राथमिकता युक्त नई सुविधाओं के निर्माण का भी अवसर प्राप्त होता है।

वित्तीय ढांचा:- शीघ्र पुर्नवास के लिये समुत्थान प्रक्रिया को वित्तीय सेवाओं जैसे छोटे व आसान ऋण के विस्तारीकरण पर ध्यान दिया जाता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता में बीमा एवं पुर्न बीमा को बढ़ावा देना चाहिये जिससे जोखिम में कटौती की जा सके।

मलबा निकासी:- किसी भी प्राकृतिक आपदा के पश्चात मलबा निकासी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपदा घटित मलबों में मिट्टी , कलछट, बनस्पति, घरों का कूड़ा-कड़कट , टुटी इमारतों का मलबा ,वाहन , वाईट गुड्स जैसे की फ्रीज और विभिन्न प्रकार के जानवर आदि चीजे होती हैं यह मलबा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। और यदि समय पर यह मलबा साफ नहीं हो पाये तो संक्रामक बिमारिया फैलना शुरू हो जाती है अतः आपदा के पहले ही

यदि हर प्रकार के वेस्ट का सही मैनेजमेंट होना शुरू हो जाये तो बहुत अधिक समस्याओं का हल पहले ही किया जा सकता है।

जिला प्रशासन :- जिला प्रशासन का दायित्व है कि जन सामान्य को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के आने के कारणों की विस्तृत जानकारी दी जाए , साथ ही आपदा शमन के उपायों में जनभागीदारी सुनिश्चित हों। आपदा हेतु रेस्पोंस प्रक्रिया में कमियों में सुधार किया जाना चाहिए। इनमें ऋण, मुआवजा आदि शामिल है।

अध्याय-10 सूखा-कार्ययोजना

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है—प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है। बदलती भौगोलिक परिस्थितियों से जिले में सूखे/ अकाल की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। जिससे मुख्य समस्या जानवरों के चारे पानी के साथ साथ छोटे काश्तकारों एवं ग्रामीण क्षेत्र में नई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। जिनसे व्यवस्थित रूप से मुकाबला करना हमारा दायित्व होता है। जिले में उस दौरान जानवरों के चारे पानी, पेयजल आदि की माकूल व्यवस्था हेतु किस क्षेत्र में चारे की फसल अधिक उगाई जाती है तथा पेयजल के बेहतर स्रोत कहां पर मौजूद है। जिनकी जानकारी पूर्व में होना अतिआवश्यक है।

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- ✓ लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को 3 बार सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- ✓ पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- ✓ गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- ✓ पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- ✓ कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- ✓ घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- ✓ जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- ✓ सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।

- ✓ ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- ✓ नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- ✓ शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- ✓ हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- ✓ अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- ✓ फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- ✓ कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- ✓ जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

मुख्य पशुधन : पंचायत समितिवार (पशुगणना 2017)

पशुधन	अन्ता	अटरु	बारां	छबड़ा	छीपाबड़ ौद	किशनगंज	मांगरोल	शाहबाद	योग
गाय	24839	33233	36586	29211	46990	58801	21549	46911	298120
भैस	20225	42513	31800	36721	41713	40497	22269	30305	266043
भेड़	2612	861	895	103	165	4888	1577	351	11392
बकरी	17470	19247	22822	22310	27941	27731	19833	26759	184813
ऊंट	0	215	512	88	113	327	140	01	1396
शूकर	312	1268	487	459	1123	668	182	1910	6409
कुत्ते	1108	1863	1097	874	202	2237	406	793	8280
घोड़े	65	45	87	57	46	38	44	25	407
खच्चर/ टट्टू	0/0	1/0	0/0	0/17	0/0	0/0	0/28	0/0	01/45
गधे	25	115	33	75	76	95	53	45	517
खरगोश	30	70	44	19	24	12	7	39	245
योग	66686	99431	94363	89934	118393	135294	66088	107139	777668

कार्ययोजना

सूखा पूर्व तैयारी

- ✓ अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- ✓ चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण
- ✓ अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- ✓ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- ✓ स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- ✓ सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- ✓ रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्य आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे से कैसे निपटना है

- सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- राहत कार्य की शुरुआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुर्नजीवीकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था, पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं एवं आम जनता हेतु उस दौरान चालू जलस्रोतों का चिन्हीकरण कर पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन

सरकारी विभागों का दायित्व

जिला प्रशासन :-

सूखा पूर्व स्थिति

1. सूखा आकस्मिक योजना तैयार करना।
2. आने वाली स्थिति का कारगर और समन्वित तरीके से मुकाबला करने के लिए सभी सम्बद्ध विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश/हिदायतें जारी करना।

आपदा स्थिति के दौरान

1. सभी विभागों, एजेंसियों, एनजीओज और अन्य सहभागियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना।

2. जरूरी संसाधन एवं उपकरण जैसे पानी के टैंकर, खाना एवं चारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक, मोबाइल चिकित्सा वाहन, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।
3. लाशों के क्रिया-कर्म की व्यवस्था करना।
4. राहत कार्यों की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना और उनका प्रसार करना।
5. जहां जरूरत हो वहां राहत शिविर लगाना और शुद्ध पेय जल, सेनिटेशन, भोजन, अस्थाई आवास, जरूरी राहत सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
6. राजनेताओं को स्थिति से अवगत कराना और समय-समय पर बुलैटिन जारी करना।
7. मीडिया प्रबंधन।
8. इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर का कुशल संचालन।

कृषि विभाग

सूखा पूर्व स्थिति : –

- फसल संभाव्यता योजना तैयार करना।
- चारा डिपो की जरूरत का मूल्यांकन।
- चारा आपूर्ति: चारागाहों की पहचान जिनमें वन भूमि भी शामिल है।
- फसल बीमा को प्रोत्साहन।

सूखा स्थिति के दौरान :—

- फसलों की क्षति का मूल्यांकन।
- जरूरत के अनुसार खाद्यान्न डिपो तैयार करना।
- प्रभावित इलाकों तक चारा पहुँचाना।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सुखोत्तर उपाय :—

फसल चक्र बदलाव—कम पानी से पैदा होने वाली फसलों जैसे फूल, कास्टर, बाजरा, तिलहनों की खेती को सूखाग्रस्त इलाकों में प्रोत्साहन।

- स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा।
- वर्षा जल के संचय हेतु फार्म पोन्ड का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहन किया जा रहा है।
- पानी की कम खपत वाली फसलों को प्रोत्साहन, और दीर्घकालीन सूखा—उन्मुखी क्षेत्रों में सूखा सहनशील बीजों और वैकल्पित आजीविका साधनों को प्रोत्साहन।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

1. आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
2. जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
3. टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
4. हैंडपम्पों की मरम्मत के लिए कार्यक्रम, नये हैंडपम्प और ट्यूब वेल्स लगाना।

5. पानी के परम्परागत स्रोतों को कुएँ, बावड़ी, तालाब आदि का जीर्णोद्धार।

पशुपालन विभाग

1. आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
2. जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
3. पशुओं के शवों का निस्तारण करवाने में स्थानीय निकाय को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
5. आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर में पहुँचाने में स्थानीय निकाय को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।।

खाद्य एवं रसद विभाग खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।

1. निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।
2. राहत शिविरों में जरूरी खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति। जमाखोरी के खिलाफ एहतियाती कदम उठाना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाना।
2. लोगों, विशेषरूप से महिलाओं और बच्चों, के पौषणिक स्तर का परीक्षण और जरूरी इलाज।
3. सामुदायिक रसोई में खाद्यान्नों एवं पके हुये खाने का परीक्षण।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :-

1. ऐसे कामों की सूची तैयार करना जो राहत कार्यक्रमों के तहत किये जा सकते हैं – तालाबों से मिट्टी निकालना, नये तालाब या बावली की खुदाई और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण।
2. राहत कार्यों का निरीक्षण एवं सुपरविजन।

जल संसाधन विभाग :-

1. फसलों के लिए जल की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन और पानी की राशनिंग सुनिश्चित करना।
2. गैर कानूनी पम्पिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी।
3. बांध एवं नहरों की मरम्मत एवं देखभाल।
4. पानी वितरण प्रणाली में सीवेज रोकने के लिए नहरों की लाइनिंग।
5. कुओं को गहरा करना।
6. भू-धाराओं/एक्विफर्स की तलाश।

मीडिया

- समय-समय पर बुलेटिन जारी करना।
- आपदा में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी देना।

अध्याय-11

भूकम्प-आपदा कार्ययोजना

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन , भ्रंशन , भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।



26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

5.1 भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव)	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाते हैं। पाइप लाइने टूट जाती हैं।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती हैं। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

क्या करें क्या न करें :

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती हैं, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखें। भारी गमलों वाले पोथों को झूलने हेतु नहीं लटकाएँ। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती हैं।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं उन्हें बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिकचर फ्रेम आदि नहीं लटकायें।

- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर हैं तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प झटके रुकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस कंट्रोल रूम को टेलीफोन नं० 100 पर अग्निशमन हेतु नगरपालिका , बारां को दूरभाष नं० 230106 एवं एन. टी.पी.सी. अन्ता के फायर स्टेशन नम्बर 07457 246053-54 पर एवं रोगी वाहन हेतु समीपस्थ स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नहीं हो रही है।

- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते हैं।

सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं का दायित्व :-

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- बेहतर संचार, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- विशेष उपकरण और सामग्री जैसे क्रेन, डोजर्स, जनरेटर, डम्पर आदि की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों के लिए टेन्ट, सेनिटेशन ब्लॉक, जरूरी सामग्री आदि की व्यवस्था करना।
- राहत कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भिजवाना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।
- बचाव एवं राहत ऑपरेशन के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान निर्धारित करना और निर्विघ्न यातायात की व्यवस्था करना।
- महिला सम्बन्धी समस्या से निपटने के लिए राहत शिविरों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- गम्भीर घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।

पशुपालन विभाग :-

1. मृत पशुओं का डिस्पोजल करवाने में स्थानीय निकाय को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. फसे हुए पशुओं के बचाव एवं निकासी की व्यवस्था करवाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
3. प्रभावित क्षेत्र के पशुओं में टीकाकरण।
4. स्टॉफ और दवाईयों को तैयारी की स्थिति में रखना।

नगरपरिषद् एवं नगरपालिकाएँ :-

अलर्ट एवं चेतावनी चरण

1. सातों दिन 24 घण्टें नियन्त्रण कक्ष चालू रखना।
2. सभी अग्निशमन केन्द्रों को चेतावनी जारी करना।
3. सभी संसाधनों को तैयार अवस्था में रखना।

आपदा के दौरान

1. पानी के टैंकर, ट्रेक्टर, क्रेन्स और अन्य उपकरण जैसे अग्नि सूट, मास्क, कम्बल, जैनरेटर, आदि तैनात करना और पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. तलाश, राहत एवं निकासी कार्यों में सहायता करना।
3. भूकम्प के बाद सभी तरह के अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. खुदाई कार्य के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना, असुरक्षित इमारतों को गिराना, कूड़े-करकट एवं मलबे का प्रबंधन, और मृत लोगों के दाह-संस्कार की व्यवस्था करना।
5. तेल, गैस एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के रिसाव से पैदा होने वाली संभावित संकटकालीन स्थितियों पर नियंत्रण रखना।

रिसपॉन्स एवं पुनर्वास चरण

1. जहां जरूरत हो वहां राहत शिविर लगाना और जरूरत के अनुसार शुद्ध पेय जल, भोजन, सेनिटेशन, अस्थाई आवास, बुनियादी राहत सामग्री आदि उपलब्ध कराना।
2. आपदोत्तर रिसपॉन्स और पुनर्वास कार्य में सहायता करना।

विद्युत विभाग :-

1. प्रभावित क्षेत्र की विद्युत सप्लाई तुरन्त बन्द करना।
2. पुनर्वास एवं राहत शिविरों में विद्युत का प्रबंध करना।
3. क्षतिग्रस्त लाईनो की मरम्मत करके पुनः चालू करना।

जल संसाधन विभाग :-

1. नहरों, बांधों और अन्य जल संसाधनों पर लगातार गश्त की व्यवस्था करना।
2. सिंचाई तालाबों, बांधों आदि के रिसाव या टूटने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. जल संरचनाओं की स्थिति के बारे में समय-समय पर बुलेटिन जारी करना।

रसद विभाग :-

1. सभी गोदामों और पीडीएस दुकानों की स्थिति का निरीक्षण करना।
2. खाने के पैकेट, सूखा भोजन, ईंधन, तेल आदि वितरित करना।
3. जमाखोरी के खिलाफ ऐहतियाती कदम उठाना और मार्केट में वस्तुओं की सामान्य कीमतें सुनिश्चित करना।
4. राहत शिविरों में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं, भोजन आदि की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना।

पंचायती राज संस्थाएं :-

- 1 फर्स्ट रिसपॉन्डर्स के रूप में पीआरआईज बेहतर आपदा रिसपॉन्स और निर्णय के लिए उचित सूचनाओं का संग्रह और व्याख्या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती है।
- 2 आपदा का कारगर तरीके से मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी, सीबीओज, एसएचजीज, एनजीओज में समन्वय स्थापित करना।
- 3 खुदाई असुरक्षित इमारतों को गिराने, गारबेज को ठिकाने लगाने और मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए लेबर का इंतजाम करना।
- 4 पंचनामा के आधार पर मुआवजा दिलवाना।
- 5 जहां भी जरूरत हो राहत शिविर लगाना और उनके लिए शुद्ध पेय जल, भोजन, सेनिटेशन, अस्थाई आवास, राहत सामग्री सुनिश्चित करना।
- 6 विस्तृत टीकाकरण के लिए लोगों को इकट्ठा करना।
- 7 घरेलू पशुओं का टीकाकरण।

मीडिया

1. समय-समय पर बुलेटिन जारी करना।
2. दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
3. सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी देना।

अध्याय-12

बाढ़, फलैश फ्लड, बादल फटना, बांध टूटना –आपदा कार्ययोजना

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती हैं और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।



जिले की मुख्य नदियाँ



बारां जिले की प्रमुख नदियां इनकी लम्बाई एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या :-

क्र.सं.	नाम	लम्बाई मि.मी. में	अनुमानित प्रभावित व्यक्तियों की संख्या
1.	पार्वती नदी	125	2000
2.	परवन नदी	120	2500
3.	कून्नू नदी	33	500
4.	ल्हासी नदी	60	2500
5.	अंधेरी नदी	45	2500
6.	घडावली नदी	26	1500
7.	बिलास नदी	25	500
8.	बैथली नदी	25	700
9.	बरनी नदी	24	200

बारां जिले में नदियों में बाढ़ आने पर प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

तहसील	नदी	प्रभावित होने वाले गांवों की सूची
बारां	पारवती	लुहारिया
	परवन	चौकी बोरदा, कोटडीतुलसी
अंता	परवन	मऊ, ढाबला, राजोडिया, नकटी का आसन
	कालीसिंध	पाटोदा, बालदडा, रायपुरा, लदवाडा
मांगरोल	बाणगंगा	मांगरोल कस्बे को बस्ती अबाब चौक, रेगरबस्ती, रहमतनगर, करौमनगर, भगवानपुरा, ग्राम बमोरीकला ।
	बमोरीखाडी	कस्बा सीसवाली में मदारबस्ती, रेगरान बस्ती, हरिजन बस्ती, बैरवा बस्ती, मस्जिद मोहल्ला
किशनगंज	पारवती	किशनपुरा, कुण्डी, लालापुरा, दीगोदपार, मजरा कारताबमोरी, महताबपुरा, दण्ड छत्रपुरा, पीपल्दाकलां, बिसलाई
शाहबाद	कूनू नदी	मूंगावली, महारी, हरयानगर, कस्बानोनेरा
	करई नदी	तिलगंवां
	रेपी नदी	होंडापुरा, चौराखाडी, सांदरी
अटरू	अडेरी	रतनपुरा
	पारवती	रहलाईजागीर, बहादुरगंज, रामबिलास, डाबडिया
	परवन	रीछन्दा, कुन्जेड
छबड़ा	रेतली नदी	छबड़ा, टोडी, बरई, चावलखेड़ी, बडोदिया खांकरा, देहरी, पचवाडा
	अंधेरी नदी	बमोरा, दोहनी, रीझा, खांकरा, पीपल्या, कोलूखेड़ा
	केथली नदी	भूलोन, भानपुरा, रूपारेल, राजपुरा, कुलिजरा, फलिया
	पारवती नदी	कराडियापार, धोलाड़ा, गूगोर, खोखाई, उचावद,

		शेखापुर, आलमपुरा, कछावन
छीपाबडौद	परवन	पीपलखेडा, पथरी, ब्रह्माखेडी, हलेसरा, पटपटी, टाबूड़ा, अपलावदा, पीपल्याघाटा, बोरदा, मालोनी, नीमथूर, अमलवदाआली
	ल्हासी	छीपाबडौद, मवासा, टांचा, गुलबेड़ी, हरनावदा, कुम्भाखेड़ी, लम्बाखेड़ी, बोरखेड़ी, ढोलम, रतनपुरा
	अंधेरी	फूलबडौदा, कोहली, घाघोनिया, गगवानाना, उदपुरिया, बल्लूखेड़ी, मूण्डली, मोहम्मदपुरा
		नदखेड़ी, रूपपुरा, भगवानपुरा, रतनपुरावाला

निचले क्षेत्र में बसे हुए गाँव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होने वाले क्षेत्र

नगर/ग्राम	प्रभावित बस्तियों गाँवों/अधिवासों की सूची	प्रभावित होने वाली जनसंख्या
बारां	बारां शहर की राजीव कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, खजूरपुरा वार्ड, रावणजी का चौक, जगजीवनराम कॉलोनी, मंडोलावार्ड, प्रमोदभाया की बाड़ी, शिवाजी नगर, बागबस्ती, गांधी कॉलोनी, बाबजी नगर, कृष्णा कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, श्रमिक कॉलोनी, ओडपुरा, गोपाल कॉलोनी, शिव कॉलोनी, खाती कॉलोनी, धर्मादा चौराहा, प्रतापचौक, दीनदयाल पार्क, धौलाई बस्ती, हरिजन बस्ती, शाहाबाद वार्ड, धाकडपाडा	28,000 लगभग
अंता	अंता शहर की ख्वासपुरा बस्ती, नयापुरा बस्ती, गुलाबबाड़ी मौहल्ला, गांव रातडिया कडारिया खाल के पास की बस्ती, बालाखेडा, कडारिया खाल के पास की बस्ती	2500 लगभग
अटरू	बडोरा, कवाई, पतल्या, महेशपुरा, गोविन्दपुरा	10,000 लगभग
छीपाबडौद	छीपाबडौद, टांचा, फूलबडौदा, मवासा, गुरुखेड़ी, घाघोनिया, कोहनी, गणेशपुरा, झनझनी, काजल्या, मोहम्मदपुरा, गगचाना, नयाना, उदपुरिया, मूणकी, बल्लूखेड़ी	22,000 लगभग

1.4 बाढ़ के मुख्य कारण :

- कई दिनों तक लगातार बारिश होना
- कुछ समय के लिए तेज बारिश होना तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होना
- नदी के अपने औसत स्तर से अधिक ऊपर तेजी से बहना
- बादल फटना
- बांध टूटना
- भूकम्प
- पेड़ों की संख्या कम होना
- विभिन्न कारणों से जल प्रवाह में अवरोध होना

बाढ़ से बचाव के संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बांध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

नियंत्रण कक्ष

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग, जिला कलक्टर कार्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किया जाता है। जिन पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जाता है।

1. जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर नियंत्रण कक्ष – 07453 237081
2. सिंचाई विभाग, बारां – 07453 237090
3. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय – 07453 237004
4. तहसील बारां – 07453 237015, अन्ता – 07457 244101, मांगरोल – 07457 225229, अटरू – 07451 240235, छबड़ा – 07452 222028, छीपाबड़ौद – 07454 285424, किशनगंज – 07456 253306, शाहबाद – 07460 262305

किसी भी स्थान पर आकस्मिक आने वाली बाढ़ से बचाव के अन्तर्गत तत्काल बचाव दलो हेतु आवश्यक सामग्री की संकलित सूचना परिशिष्ट में संलग्न है।

बाढ़ से बचाव हेतु प्रशासन के उत्तरदायित्व :

बाढ़ पूर्व तैयारियां :-

- बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की शिनाख्त करना तथा उनके विस्तृत मानचित्र बनाना।
- विगत वर्षों में, दो या तीन बार भीषण रूप से आई बाढ़ का विवरण तैयार किया जाना, जिससे बाढ़ के बाद पुनः सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही का उल्लेख हो।
- जिन स्थानों पर उचित रूप से पानी का बहाव न होता हो व पानी रुके रहने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों से पानी निकालने संबंधित योजना बनाई जाना।
- बाढ़ से बचाव हेतु सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करना, जहां अधिक मात्रा में लोगों को ठहराने व पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। साथ ही पर्याप्त मात्रा में अन्न संग्रहण की व्यवस्था करना। इन स्थानों के बारे में जन-जन को पूर्व में सूचित करना।
- जिला मुख्यालय पर कलक्टर की अध्यक्षता में राहत कमेटी बनाना जिसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता हो।
- चिकित्सा विभाग को बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों से निबटने हेतु दवाईयों व रेस्पॉन्स टीम के साथ तैयार रखना।
- बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए जीप, ट्रैक्टर, बैलगाड़ियों का अग्रिम रूप से प्रबंध रखना जो तीन फुट तक के पानी में परिवहन व्यवस्था में काम आ सके।
- बाढ़ से प्रभावित होने वाले चार-पांच गांवों की बचाव व राहत टीम तैयार करना जो आपदा के समय मनुष्यों व जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने व उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराने में मदद कर सके।

बाढ़ के दौरान तैयारियां :-

- निवास क्षेत्र से बाढ़ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- बाढ़ के पानी के लिए उचित मार्ग बनाना ताकि यह शीघ्र प्रवाहित हो सके।
- जहां भी आवश्यक हो पानी निकालने हेतु फलड़ पंप लगाना।
- बाढ़ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु नहर/निकास के प्रयोग को संभव बनाना।

बाढ़ के बाद तैयारियां :-

- जहां भी संभव हो, लोगों व जानवरों को मूल क्षेत्र में पुनः स्थानांतरित करना।
- मकानों की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करना।
- प्रभावित परिवारों को नियंत्रित दरों पर आवश्यक वस्तुएँ और राशन उपलब्ध कराना।
- जल्द से जल्द सड़को/रेलवे लाईन का पुनर्निर्माण कर परिवहन सेवाएँ परिचालित करना।
- जल्द से जल्द दूरसंचार प्रणाली को प्रारंभ करना।
- हानि मूल्यांकन और दावा मूल्यांकन हेतु विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।

- प्रशासन द्वारा तैयार मानदण्डों पर प्रभावित लोगों को राहत राशि देने की व्यवस्था करना।

सरकारी विभागों का दायित्व

पुलिस विभाग :

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना। खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।
- उपलब्ध नावों की सूची (परिशिष्ट)
- तैराक/गोताखोर की सूची (परिशिष्ट)

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग :

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।

- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों के निस्तारण हेतु नगर पालिका की मदद लेना।
- चिकित्सालय एवं चिकित्सको की सूची (परिशिष्ट)
- अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

सिंचाई विभाग

अलर्ट एवं चेतावनी चरण

- मानसून/बरसात के मौसम में बांधों/जलाशयों का रोजाना निरीक्षण/जल स्तर की भी रोजाना जांच पड़ताल जिससे ईओसी एवं स्थानीय लोगों को अलर्ट व चेतावनी जारी की जा सके।
- बांधों या जलाशयों में पानी जैसे ही खतरे के निशान तक पहुंचे नदी के नीचे इलाकों में लोगों को खाली करने की चेतावनी जारी करना।
- नाव व गोताखोरों की व्यवस्था और सामुदायिक स्वयंसेवियों को तलाश, बचाव एवं निकासी कार्यों का प्रशिक्षण देना।

आपदा चरण

- सिंचाई तालाबों या बांधों के टूटने या रिसने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

रिसपॉन्स एवं पुनर्वास चरण

- पानी खाली करने एवं गिरे हुए पेड़ों व बिजली के खम्बों को हटाने के लिए पम्पसेट, क्रेन, पुली, डोजर्स, अर्थमूवर्स एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों में प्रशासन की सहायता करना।
- जहां भी आवश्यकता हो वाटर बॉडिज की मरम्मत करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

- आपदा क्षेत्र में आपदा के दौरान बिजली की सप्लाई तुरन्त बन्द करना।
- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।
- लापता लोगों एवं उनके परिवारजनों के बारे में सूचना देने के लिए सूचना केन्द्रों की स्थापना करना।
- वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से तुरन्त चेतावनी जारी करना।

नगर पालिका

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्राली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।
- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)
- तलाश बचाव व पानी निकासी कार्यों के लिए नाव गौताखोर और स्वयंसेवी उपलब्ध कराना।

- खुदाई असुरक्षित इमारतों को गिराने कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने और मृत लोगों और पशुओं के डिस्पोजल के लिए श्रमिकों की व्यवस्था।
- तेल गैस एवं अन्य खतरनाक मटेरियल के रिसाव से होने वाली सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करना।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।
- जरूरत के अनुसार पानी के टैंकर, मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और प्लास्टिक की टंकियों की व्यवस्था करना।
- क्षतिग्रस्त जल संसाधनों जैसे ट्यूब वेल आदि की मरम्मत करना।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा। पेट्रोल पम्प की सूची परिशिष्ट – पर संलग्न है।

विद्युत विभाग

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पशुपालन विभाग

- मृत पशुओं का डिस्पोजल करने में स्थानीय निकाय को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- फसे हुए पशुओं के बचाव एवं निकासी की व्यवस्था करवाने में स्थानीय निकाय को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- प्रभावित क्षेत्र के पशुओं में टीकाकरण।
- स्टॉफ और दवाईयों को तैयारी की स्थिति में रखना।

पंचायती राज विभाग

- सभी कर्मचारियों को अलर्ट करना और सभी संसाधनों को तैयार अवस्था में रखना।
- नियंत्रण कक्ष 24 घण्टें सातों दिन चालू रखना।
- ग्रामीण क्षेत्र से उपयोगी सूचनाएँ एकत्र कर उच्च स्तर तक पहुँचाना।

- आपदा का बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, एस.एच.जी. एवं एनजीओं से सहायता प्राप्त करना।
- पानी निकालने, उखड़ें हुए वृक्षों एवं बिजली के खम्बों को हटाने, असुरक्षित इमारतों को तोड़ने, मृत लोगों का दाह संस्कार करने, मृत जानवरों को ठिकाने लगाने के लिए पम्पसैट, जैनरेटर, क्रेन, डोजर्स, अर्थमूवर्स पुली, डम्पर, श्रमिकों आदि की व्यवस्था करना।
- जहां भी जरूरत हों वहां राहत शिविर लगाना और आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल भोजन, सेनिटेशन, अस्थाई आवास और बुनियादी राहत सामग्री का प्रबंध करना।
- जरूरत पड़े तो लोगों को विस्तृत टीकाकरण के लिए संगठित करना।
- घरेलू जानवरों का विस्तृत टीकाकरण।
- पंचनामा के आधार पर पीड़ित लोगों को मुआवजा दिलवाना।

मीडिया

- समय-समय पर बुलेटिन जारी करना।
- आपदा में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी देना।

जनसाधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां:-

बाढ़ आने से पहले :

यदि कई घण्टों तक तेज बारिश हो रही हो अथवा कई दिनों से धीरे-धीरे बारिश हो रही हो तो बाढ़ आने की सम्भावना से सतर्क हो जायें।

- संकट कालीन सूचनाओं के लिए रेडियो व टेलीविजन को निरंतर ध्यानपूर्वक सुनें।
- ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय स्टेशन, लाउडस्पीकर अथवा अन्य माध्यम से आपको सबसे सही सलाह प्रदान करता है, उसे ध्यान पूर्वक सुने व उनका अनुसरण करें।
- बाढ़ के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें। चेतावनी का मतलब होता है कि बाढ़ आपके क्षेत्र में आ सकती है अथवा आना आरम्भ हो गयी है।
- सबसे महत्वपूर्ण आपका बचाव है। बाढ़ की सम्भावना होने पर तुरन्त अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जायें।
- पलायन करते समय अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था करें।
- सुरक्षित स्थान न मिलने पर जानवरों को खोल दें ताकि वे स्वयं सुरक्षित स्थान ढूँढ़ सकें।
- बाढ़ आने से पहले गाड़ी चलाना अधिक सुरक्षित व आसान होता है इसलिए कोशिश करें कि आप शीघ्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल जायें।
- बाहर निकलने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुँचना सम्भव न हो तो अपने घर में प्राथमिक चिकित्सा का सामान तथा अन्य खाद्य सामग्री व पेयजल पर्याप्त मात्रा में ऊँचे व सुरक्षित व स्थान पर रख लें।
- अपने घर की नालियों को साफ रखें।

बाढ़ के समय :

- अपने घर के सभी विद्युत उपकरणों व मुख्य स्विच को बंद कर दें।
- तुरन्त ऊंचे स्थान पर चले जाएं। यदि आप घर के अन्दर, कमरे में हैं, जहां पानी भरना शुरू हो गया हो तो तुरन्त छत पर चले जाएं।
- जहरीले जन्तुओं के प्रति सतर्क रहे।
- सुरक्षित जल व खाद्य समग्री का ही प्रयोग करें।
- यदि आप बाहर हैं तो बाढ़ के पानी से दूर किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाएं।
- यदि आप बहते हुए पानी में आ जाएं जहां पानी आपके घुटने से ऊपर हो तो तुरन्त रुक जाएं तथा दूसरे रास्ते की तरफ बढें।
- अधिकतर दुर्घटनाएं बाढ़ के पानी में तैरने व खेलने से होती है, उनसे बचें।
- यदि आप गाड़ी चला रहें हो तो बाढ़ वाले क्षेत्र की तरफ न जाएं।
- यदि गाड़ी चलाते समय आप पानी का स्तर बढ़ता हुआ देखें तो तुरन्त अपना रास्ता बदल लें व बहते पानी को पार करने की कोशिश न करें।
- तेज बारिश के दौरान पुल, बांध व नदियों से दूर रहें।

बाढ़ के बाद :

- बाढ़ के दूषित पानी से कई बीमारियां फैल जाती हैं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए तुरन्त नजदीक के अस्पताल अथवा क्लिनिक में जायें।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र से दूर चले जायें, क्योंकि आपकी उपस्थिति अन्य राहत कार्यो में व्यवधान डाल सकती है तथा दूषित पानी व संक्रमित रोग आप पर असर डाल सकते हैं।
- अपने क्षेत्र की खबरों को रेडियो, टेलीविजन व लाउडस्पीकर के माध्यम से निरंतर सुनते रहें व निर्देश मिलने पर ही अपने घर में पुनः प्रवेश करें।
- बाढ़ प्रभावित इमारतों से दूर रहें क्योंकि बाढ़ के पानी से कई-कई बार इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है व उनके ढह जाने का खतरा बढ़ जाता है।
- इमारत में प्रवेश करते समय पूर्ण सावधानी रखें।
- टॉर्च अथवा लालटेन से इमारत की दीवारों, खिडकियों, फर्श व सीढ़ियों का निरीक्षण करें तथा पूर्ण सन्तुष्टि होने पर ही आगे बढ़ें।
- इमारत के अन्दर बीड़ी अथवा सिगरेट न पीयें।
- खाद्य पदार्थों को ढक कर रखें व पानी को विसंक्रमित करके ही पीयें।
- अपने आस-पास के बच्चों, बुजुर्गों व अन्य असहाय लोगो को सहायता उपलब्ध कराने में मदद करें।
- सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।
- राहत कार्यो में प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्ताओ की मदद करें।

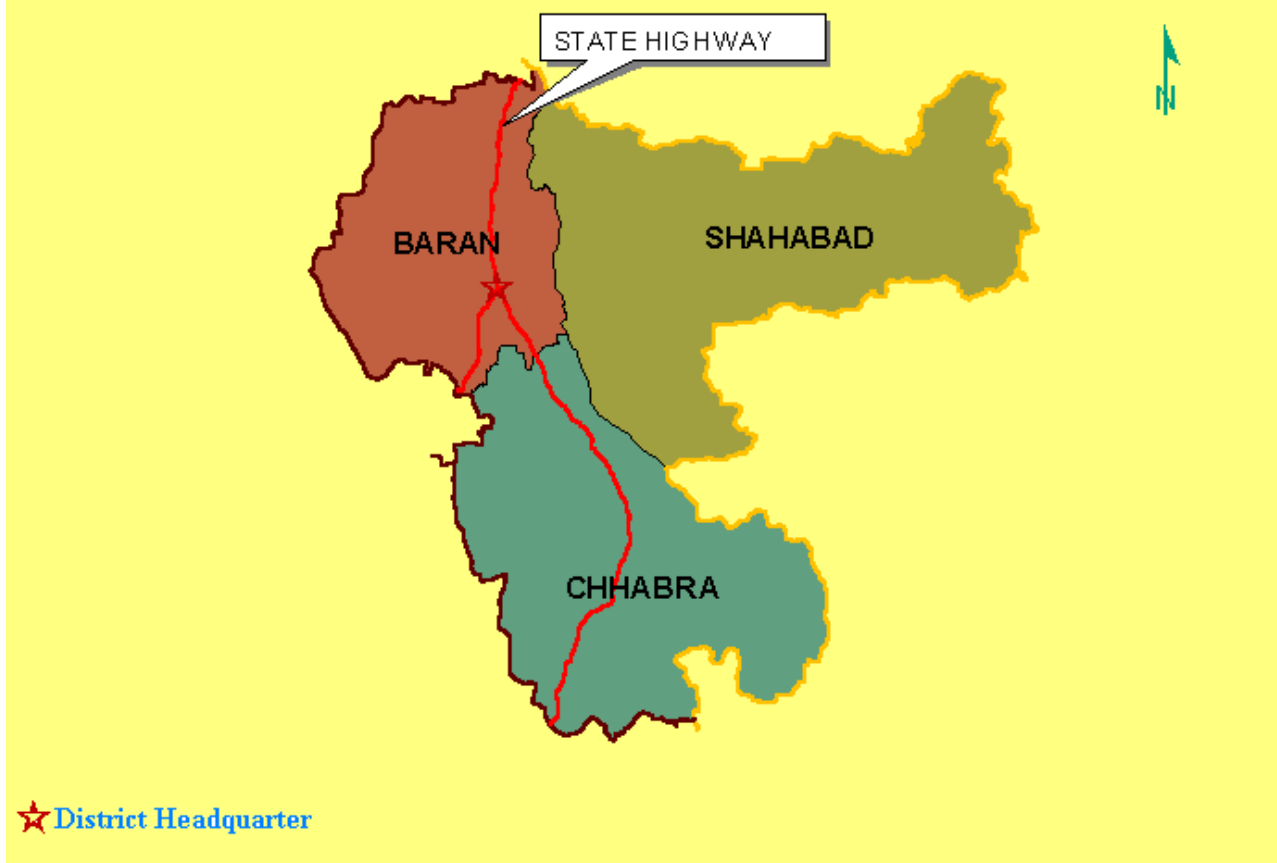
अध्याय—13

प्रमुख दुर्घटनाएँ (रेल, सड़क)

- विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
- भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।
- मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 तहसील क्षेत्र अन्ता, बारां, किशनगंज व शाहबाद से गुजरता है। जिस पर आये दिन सड़क दुर्घटनाये देखने को मिल जाती है। सर्वप्रथम तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिये कि हम दुर्घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं व फिर भी ! जो दुर्घटना जिले में घटती है, तो प्रभावित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह को हम कैसे तत्काल राहत पहुंचा सकते हैं।



State Highways in Baran



सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- तेज गति से गाड़ी चलाना
- नशे में वाहन चलाना
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़क
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- वाहन में आई आकस्मिक खराबी

जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्गों पर कुछ प्वाइन्ट ऐसे हैं, जहाँ अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ घटती हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

सड़क मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
कोटा—बारां राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27	अन्ता से पलायथा के मध्य बमूल्याकलां से बटावदी के मध्य
मांगरोल इटावा राजमार्ग पर	मांगरोल इटावा रोड पर मालबमोरी के पास
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर	शाहाबाद घाटी शाहाबाद से देवरी के मध्य कुनू नदी
राजमार्ग बारां से मोठपुर वाया कवाई	अर्दान्द एवं आमली व छजावा के मध्य
अटरू से खानपुर मार्ग पर	गणेशमंदिर अटरू से दडा के मध्य एवं गउघाट पुलिया
छीपाबड़ौद से इकलेरा राजमार्ग पर	सारथल की घाटी

दुर्घटना घटित होने पर हम क्या कर सकते हैं :

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उपजिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें। यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी, ग्रामसेवक, अध्यापक, ए.एन.एम., सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। घबराइये नहीं घायल की मदद करना मानवीय दायित्व है। (दूरभाष नम्बर हेतु कृपया परिशिष्ट देखें)

दुर्घटना बाद प्राथमिक उपचार :

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये। किसी भी व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि उसके समक्ष कोई दुर्घटना घटित हुई है अथवा अज्ञात वाहन से कोई घायल सड़क पर पड़ा है तो वह 108 एम्बुलेंस पर कॉल करे। पुलिस नियंत्रण कक्ष बारां के दूरभाष नम्बर 100 पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां का नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 07453- 230451 एवं जिला ईमरजेंसी सेन्टर कलेक्ट्रेट बारां के दूरभाष संख्या 237081 है। आपने देखा कि :-

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा) सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आएँ जिससे रुकावट खुल जाए।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक-डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।

- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं, ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

सरकारी विभागों का दायित्व :

जिला प्रशासन

- प्रभावित यात्रियों के लिए इमरजेंसी टेंट की व्यवस्था करना और धर्मशाला, स्कूल आदि में रोके गये लोगों के लिए पेयजल, दवाइयां, भोजन एवं अन्य जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराना।
- सम्बद्ध विभागों और सहभागियों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा दिशानिर्देश देना।

चिकित्सा विभाग

घटनास्थल पर इमरजेंसी मोबाइल स्थापित करना जिससे घायलों का तुरन्त इलाज हो सके।

- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

नगर परिषद्/नगर पालिका

- फायर टैंडर्स, बचाव उपकरण, सीढ़ी, वाटर टैंकर्स, ट्रेक्टर, क्रेन, गैस कटर, फायर शूट, मास्क, कम्बल, रस्सियां, जैनेरेटर और श्रमिक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।
- क्षतिग्रस्त ट्रेन, बस, ट्रक, आदि से लोगों को बचाकर निकालना।
- सभी तरह के अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराना।

सड़क परिवहन विभाग

- यात्रियों के बचाव के लिए समुचित प्रबंध एवं उन्हें घटना स्थल से उनके गन्तव्य स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था ।
- बचाव एवं राहत सामग्री लाने के लिए ट्रक एवं बसों की समुचित व्यवस्था ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था ।
- घटना स्थल की बैरिकेटिंग करना और बचाव कार्यों के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान निर्धारित करना ।

स्वयंसेवी संगठन

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना ।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना ।

दूरसंचार विभाग

- बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना ।
- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना ।

विद्युत विभाग

- घटना स्थल पर बिजली की सप्लाई बन्द करना ।
- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना ।

रसद विभाग

- प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार खाने के पेकेट, सूखा राशन, ईंधन, तेल आदि वितरित करना ।

मीडिया

- समय-समय पर बुलेटिन जारी करना ।
- दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना ।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी देना ।

मालवीय मानव सेवा समिति जोधपुर के तत्वाधान में श्री दाउलाल मालवीय द्वारा बाढ़/जल में डूबने से बचाने के उपायों का संक्षिप्त विवरण :

आज के इस कलयुगी और भौतिकवादी संसार में जहाँ लोग हाथ पकड़ कर एक दूसरे को डूबाने में लगे हुए हैं, वही दुसरी तरफ जोधपुर के मालवीय बन्धु लगातार तीन पीढ़ियों से एवं दाउदयाल स्वयं पिछले 45 वर्षों से डूबतों को बचाने और डूबकर मरजाने की स्थिति में उनके शवों को जलाशयों से निकालने का पूण्य भरा कार्य करते आ रहे हैं, जैसे कि :-

- कबूतरों का कुए में बैठना इस बात का सबूत होता है कि कुआं जहरीली गैसों से मुक्त है और वहाँ जीवन सम्भव है ।
- पानी में डूबे व्यक्ति का ब्रेन डेमेज थोड़ी देर बाद होता है ,इसलिए थोड़ी देर उलटा करने से मरीज का रक्त संचार मस्तिष्क की तरफ जाएगा फिर सिर में तालू पर धीरे धीरे झटके देने से बेहोशी व ताने आना बंद हो जाएगी बाद में उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है,कि पानी के हादसों में डूबने वाले के फेफड़ों और

श्वास नली में संक्रमण बहुत जल्दी होता है, ऐसे में एक सेकेण्ड के लापरवाही भी उस की जान ले सकती हैं ।

- बाढ़ के समय में उफनते बहाव में बस, कार इत्यादि बह जाती है, ऐसे में ट्र्यूब, रस्सी के सहारे यात्रियों को बाहर निकाला जा सकता है ।
- पानी में डूबने का मुख्य कारण तैराकी का अभाव है । पिकनिक स्पॉटों पर घूमने-फिरने जाने वालों के पांव फिसलने की वजह से गहरे पानी में डूब जाना, मानसिक तनाव, क्रोध से आत्महत्या, आर्थिक स्थिति का गड़बड़ाना, घरेलू हिंसा, भौतिकतावादी की अन्धी दौड़, परीक्षा परिणामों का आघातीत ना आना, गलत शिक्षा प्रणाली, बेराजगारी इत्यादि है ।
- झोपड़े अन्दर से बन्द है और 9 फूट गहरे पानी में झोपड़े डूबे हुए हैं, सलाह मशविरा करके मौके पर नाव में जाकर कुल्हाड़ियों की सहायता से झोपड़ों के उपरी हिस्सा को दो तरफ से काट डाला । बाद में बिलाई को फंसाकर रस्सियों को लगभग 500 फुट दूर किनारे पर खड़े लोगो को पकड़वाने के बाद जोरो से खिचवाया तो झोपड़े उपर से अलग हो गए और सड़ी गली पांच लाषे एक साथ बाहर आ गई । इसी प्रकार बंद मकानों के छतों की पट्टियों पर चढ़कर बड़ी ही सावधानी पूर्वक तरिके से ताड़ी जिसमें से 9 शव एक साथ बाहर निकाले ।
- पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसे कपड़ों के सहारे बचाना । उदाहरण के तौर पर पेन्ट, बुशर्ट, साफा साड़ी इत्यादि तुरन्त डूबते के सामने फँकी जाएं जिसका एक सिरा बचाने वाले के हाथ में हो । ऐसा कृत्य जितना जल्दी हो सके करना चाहिए ताकि डूबते को तिनके का सहारा मिल सके, गौरतलब ये है कि जिन्हें तैरना नहीं आता वे 8-10 फुट किनारे पर ही डूबता है और बचाने में आसानी होती है । डूबे व्यक्ति को बाहर निकालने के बाद उसे किनारे पर लाकर उलटा करके सिर नीचे, पैर उपर, मुँह में हाथ डालकर उल्टी करवानी चाहिए । जरूरत लगे तो कृत्रिम रूप से सांस भी देना चाहिए उसकी कमर में धीरे धीरे मारते रहना चाहिए ताकि मरीज की धड़कन शुरू हो सके ।
- छोटे बच्चों को डूबने से बचाने के लिए घरों में मौजूद पानी की टंकियों को ढक कर, उन पर ताले लगाकर रखना चाहिए । जिससे छोटे छोटे बच्चे डूबकर मरने से बच सकें ।
- सलाह है कि ऐसे मौसम में अपनी गाड़ियों में ट्र्यूब, रस्सियां और संभव हो तो हाथ पैर से हवा भरने वाला पम्प भी रखें ।

अध्याय-14

अग्नि दुर्घटनाएं कार्ययोजना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। जिले में पेट्रोल पंप, कारखानों, गोदामों, भूमिगत गैस पाइप लाइन, खेत खलिहान, दुकान, सिनेमाघर आदि में कभी भी आग लग सकती है। अतः आग की रोकथाम हेतु आग लगने के प्रकार के अनुसार ही बचाव कार्य प्रारम्भ किया जाता है।



4.1 आग लगने के मुख्य कारण:-

(1) शहरों में :-

- शहरों में रसोई घर में गैस जलाकर इधर उधर चले जाने से या गैस का पाइप लीक होते रहने से आग लग सकती है।
- कभी-कभी पाइप पुराना होने के कारण लीक करने लगता है तथा जैसे ही गैस जलाने के लिए माचिस जलाई जाती है या बिजली का बटन ऑन किया जाता है तो आग लग सकती है।
- कच्चे घरों में पुराने तरीके के चूल्हों पर भोजन पकाने के लिए लकड़ी या कोयले की अंगीठी जलाई जाती है, वह भी असावधानी बरतने के कारण आग को बुलावा देती है।
- यंत्रों के अधिक गर्म हो जाने अथवा चिंगारियों छोड़ने के कारण।
- आजकल शादियों में पंडाल बनाये जाते हैं। वहीं पर भोजन पकाया जाता है, जिसमें गैस की या लकड़ी की भट्टियाँ जलाई जाती हैं जिससे आग लगने की सम्भावना बनी रहती है। डबवाली अग्निकांड इसका एक उदाहरण है। साथ ही बिजली का शार्ट सर्किट भी इन पंडालों में आग लगने का कारण हो सकता है।
- व्यावसायिक और रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती हैं क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, विद्युत उपकरण, रसोई गैस, मिट्टी का तेल आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि थोड़ी सी असावधानी के कारण आग लगने का कारण बन सकते हैं।
- बिजली फिटिंग में लापरवाही के कारण।
- उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल को अलग करने के लिए दीवार का न होना।

- कपड़े, प्लास्टिक, लकड़ी एवं कागज के उद्योगों में असावधानी के कारण।
- पैकिंग सामग्री के असावधानी पूर्वक प्रयोग के कारण।
- ज्वलनशील पदार्थों के अधिक मात्रा में एक स्थान पर एकत्रित होने से भी आग लग सकती है। बहुमंजिली इमारतों में यह आग भयावह रूप धारण कर लेती है।
- शहरों में भी कई खाली प्लाटों में झाड़-झंकाड़ उगे रहते हैं जहां लापरवाही से बीड़ी फेंक देने से उनमें आग लग सकती है, जो आसपास के मकानों के लिए खतरनाक हो सकती है।
- वर्षा ऋतु में कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग सकती है।
- कपास की मंडियों में कपास के ढेरों में असावधानीवश आग लग सकती है।
- पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों एवं छविगृहों में भी थोड़ी सी असावधानी आग लगने का कारण हो सकती है। जिससे जान माल की अपार हानि हो सकती है।
- औद्योगिक इकाईयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भंडारण अथवा असावधानीपूर्ण प्रयोग भी भयंकर आग का कारण हो सकते हैं।
- कई स्थानों पर कई परिवार बिजली के तारों से सीधे ही तार लगाकर बिजली ले लेते हैं। कभी-कभी यह भी आग लगने का कारण हो सकता है।
- आजकल गृहणियों नायलोन आदि के कपड़े पहनकर रसोईघर में काम करती हैं जिससे थोड़ी सी भी लापरवाही से इन कपड़ों में आग लगने की संभावना रहती है। कई गृहणियों की इस प्रकार की असावधानी के कारण मौत भी हो चुकी है।
- बच्चों द्वारा आतिशबाजी करने एवं माचिस आदि से खेलने के कारण।

(2) गांवों व जंगल में :-

- ग्राम्य क्षेत्रों में कच्चे मकान व फूस की झोपड़ियों में बीड़ी एवं सिगरेट पीकर एवं माचिस आदि जलाकर इधर-उधर फेंक देने से आग लगने की संभावना अधिक रहती है।
- बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण भी यह संभावना रहती है।
- शुष्क प्रदेश होने के कारण पहाड़ों एवं जंगलों में पेड़ों के आपसी रगड़ से आग लगने की संभावना रहती है एवं जंगलों में आग शीघ्रता से फैल जाती है।
- कई लोग बिस्तरों में लेटकर बीड़ी व सिगरेट पीते रहते हैं। यह आग को निमंत्रण देने का एक साधन है।
- राख में बिना बुझी आग आदि इधर-उधर फेंकने से, जलती हुई चिमनी आदि के बिना ढके होने से और कचरे आदि बचे हुए पदार्थों को असावधानीपूर्वक जलाने से भी आग लगने की संभावना रहती है।
- आतिशबाजी करने से, सूखी घास में आग लगा देने और एक घर से दूसरे घर में असावधानीपूर्वक आग ले जाने से भी आग लग सकती है।
- अधिकांश गांवों में अभी भी मिट्टी के दीपक या चिमनी अथवा लालटेन जलाकर रोशनी की जाती है जिसकी वजह से थोड़ी भी हवा चलने पर या थोड़ी भी लापरवाही के कारण कच्चे व फूस के घरों में आग लगने की संभावना रहती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के द्वारा खेतों में आग लगाकर छोड़ देने से, फसल पक जाने के बाद खलिहानों में बीड़ी सिगरेट माचिस आदि का लापरवाही से प्रयोग करने से और

फसलों की कटाई के उपरान्त सूखे डंडलों को लापरवाही से जला देने के कारण भी हवा चलने से चारों ओर आग फैलकर भयावह रूप धारण कर सकती है।

आग से बचाव सम्बन्धी सावधानियाँ :-

प्रशिक्षण एवं जनजागृति

- नगर निगम, नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतें समय-समय पर लोगों को आग से बचाव सम्बन्धी सावधानियाँ बरतने व आग लगने पर की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी प्रशिक्षण दें। इस सम्बन्ध में महिलाओं एवं बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- स्कूलों में विद्यार्थियों को, फैक्ट्रीयों में मालिकों व मजदूरों को और किसानों आदि सभी वर्गों को आग से बचाव व आग रोकने सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
- आग लगने के संभावित स्थलों की पहचान करना।
- बचाव सम्बन्धी पोस्टर छपवाना, प्रदर्शनियां लगवाना, समाचार पत्रों आदि विभिन्न तरीकों से जनजागृति करना भी आवश्यक है।

बिजली से :-

- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा प्रमाणित तार, सामान व यंत्रों का उपयोग करें।
- किसी भी प्रकार की वेल्डिंग एवं गैस कटिंग करते समय ध्यान रहे कि उसमें जलने वाला पदार्थ न भरा हो।
- भवन में अतिरिक्त कनेक्शन करने से पूर्व बिजली के सभी बटन बन्द किये जावें।
- बिजली के उपकरणों में आग लगने पर पानी का प्रयोग न करें।
- हीटर को ज्वलनशील पदार्थों एवं पर्दों आदि से लगभग तीन फीट दूर रखें। घर से बाहर जाते समय हीटर व अन्य स्विच बंद कर के जायें।
- बिजली के उपकरणों को नमी से दूर रखें। बाथरूम एवं रसोई में बिजली के उपकरणों का विशेष ध्यान रखें।
- गीले हाथों से बिजली के किसी भी उपकरण को न छुएं। उपकरण की मरम्मत करते समय प्लग निकाल दें। बरसात में बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें।
- बिना प्रयोग के सॉकेट पर प्लास्टिक कैप लगाकर रखें ताकि बच्चे न छेड़ें।
- घर में आई हुई पावर लाइन के नीचे कोई शेड या निर्माण न करें।

रसोई घरों में :-

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलची को समय-समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलची आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूले।

- अगर नलची में आग लग रही हो तो रेग्यूलैटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लीकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

शहरों में :-

- प्रत्येक कॉलोनी में सार्वजनिक स्थान पर बोरिंग किया हुआ होना चाहिए, ताकि आग लगने पर फायर ब्रिगेड वहां से पानी ले सके।
- प्रत्येक भवन में आग बुझाने के यंत्रों जैसे वाटर स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
- आग के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- आग दुर्घटना सम्बन्धित बीमा करवाया जाना आवश्यक है। गांवों में फसल, अनाज रखने के स्थान, पशु व मकानों का अग्नि बीमा करवाना चाहिए।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमा घरों, फैक्ट्रियों आदि में समय-समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग तथा संयुक्त अभ्यास करवाते रहना चाहिए।
- शहरों में खाली प्लॉट के आसपास कचरा आदि न डालें। साथ ही इन प्लॉटों में झाड़ झंखाड़ आदि उग आने पर समय-समय पर उनकी सफाई करवाते रहना चाहिए।
- औद्योगिक इकाईयों एवं बहुमंजिला इमारतों के लिए आग सुरक्षा योजना बनाना उचित होगा।
- भवनों के नक्शे, निर्माण एवं रखरखाव सम्बन्धित नियम बनाना एवं उनको कार्यरूप में परिणित करना आवश्यक है।

गांवों में :-

- बच्चों को आग से दूर रखें। चूल्हे को कभी खुला न रखे। बीड़ी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझा कर ही फेंके।
- खलिहानों में, मंडियों में जहाँ अनाज, कपास आदि का ढेर हो वहाँ जलती हुई बीड़ी या सिगरेट न फेंकें व लालटेन आदि जलावें तो सावधानी रखें। समय-समय पर टार्च का प्रयोग किया जा सकता है।
- मंडियों एवं खलिहानों में सुरक्षा हेतु निगरानी करने के लिए चौकीदार या मजदूर रखना उचित होगा।
- खलिहानों, कच्चे घरों व फूस की झोपड़ियों के पास आतिशबाजी न करें। खलिहानों में चाय नाश्ता, आदि न बनावें।
- गांवों में अग्निशमन समितियों का गठन किया जाना चाहिए। उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए व आग बुझाने के तरीकों का संयुक्त रूप से अभ्यास करवाना चाहिए।
- गांवों के बीच जहां चौपाल हो वहां पर आग बुझाने के यंत्र, साइरन, फावड़े, कुदाल, कापा, हुक, बाल्टी, टार्च, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पर फायर ब्रिगेड के फोन नम्बर भी लिखे होने चाहिए।

- बारां में विशेष रूप से रबी फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे अपशिष्ट को किसानों द्वारा जला दिया जाता है, जिसे न्योलाई कहा जाता है। इसके कारण आस-पास के खेत या खलिहान में आग पकड़ जाती है और कभी-कभी विकराल रूप धारण कर लेती है।

जंगल की आग में :-

- वन विभाग को स्थानीय ग्रामीणों एवं महिलाओं का सहयोग लेना चाहिए। सुरक्षा प्रहरियों के रूप में स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाना उचित होगा।
- आग लगने के स्थानों को चिह्नित किया जाना चाहिए।
- अग्निशमनदस्तों को हमेशा तैयार रहने सम्बन्धित प्रबंध किया जाना चाहिए। स्थानीय फोरेस्ट गार्ड, ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान को इस प्रकार का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।
- वन उत्पाद संग्रहण करने वाले एवं जलाऊ लकड़ी लाने वाले व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिये जाएं। अधिकृत व्यक्तियों को ही यह कार्य करने की आज्ञा दी जानी चाहिए।
- आसपास के व्यक्तियों को आग लगने के कारणों एवं बचाव के विषय में सावधान किया जाना चाहिए।
- अग्निरेखा का सुनिश्चयन, गर्मी के पूर्व सफाई करना एवं पाक्षिक रूप से निरीक्षण की व्यवस्था।
- राज्य प्रशासन (फोरेस्ट विभाग) द्वारा अग्निशमन योजना बनायी जानी चाहिए।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेंट पाइन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाइन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ओ.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेंट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।

- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहाँ तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।
- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

आग बुझाने के काम में आने वाले संसाधनों का विवरण :-

सूखी घास में लगी आग तीव्रता से आगे बढ़ती है अतः उसे शीघ्र बुझाने एवं तीव्रता कम करने की आवश्यकता होती है, जिससे वनस्पति, जैविक एवं मानवीय नुकसान से बचा जा सके। इस विपदा से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन बाराँ में निम्नांकित संसाधन उपलब्ध है—

क्र.सं.	नाम	संख्या
1	फायर प्रूफ जैकेट	28
2.	फायर प्रूफ दस्ताने	28
3.	ड्रेगन लाइट	4
4	टार्च –3सेल	4
5.	फस्टेड बॉक्स	5
6	फावड़ा	25
7	तगारी	62

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेंसी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, “समेकित आपदा प्रबन्ध समिति” को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कंट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड

भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

जिले में दो महत्वपूर्ण पावर प्लांट एन.टी.पी.सी. अन्ता एवं छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी स्थित है। जिनमें भी आग लगने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इन प्लांट को आपदा से बचाने में स्वयं के द्वारा अपनी कार्ययोजना तैयार की हुई है। फिर भी प्रशासन को सूचित करना एवं सहायता हेतु अवगत करवाया जाना आवश्यक है। परन्तु जिले में पावर प्लांट को गैस आपूर्ति करने हेतु बिछायी गई भूमिगत लाइनो की जानकारी भी प्रशासन को होनी चाहिये ताकि ऐसी परिस्थितियों में आपदा प्रबन्ध सुनिश्चित किया जा सके। जिले में भूमिगत गैस लाइन का विवरण निम्न प्रकार है।

स्थानीय कार्यवाही :-

आग लगने पर ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जिला कलेक्ट्रेट बारां— 237081, पुलिस कंट्रोल रूम, बारां — 100 तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, थाना, नगरपालिका से सम्पर्क करे।

फायर ब्रिगेड स्टेशन बारां के दूरभाष नम्बर 07453 230106, एवं एन.टी.पी.सी. अन्ता के फायर स्टेशन दूरभाष नम्बर 07457 246053, 246054 पर भी सूचना दे सकते हैं।

- आग ने यदि भीषण रूप धारण न किया हो तो तुरन्त घर में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र का उपयोग करके आग बुझाने का प्रयत्न करें।
- घर में उपलब्ध रेत व धूल की भरी बाल्टी का प्रयोग भी आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही घर में उपलब्ध पानी का भी तुरन्त उपयोग करें।
- शरीर के कपड़ों में आग लगने पर तुरन्त अपने आपको कम्बल में लपेटकर लोट लगाना चाहिए। पास वाले व्यक्ति, आग लगने वाले वाले व्यक्ति को तुरन्त कम्बल में लपेटकर लिटा दें।
- आग लगने के स्थान पर आस-पास के व्यक्तियों, एन.जी.ओ., स्काउट, अग्निशमन समितियों आदि को भी इधर उधर से पानी लाकर बुझाने का प्रबंध करना चाहिए।
- यदि पेट्रोल, तेल अथवा बिजली से आग फैले तो आग बुझाने के लिए पानी स्थान पर रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग करें।
- जले हुए व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। जाते समय रास्ते से ही अस्पताल में पूर्व सूचना दे देनी चाहिए।

4.5 सरकारी विभागों का दायित्व :

जिला प्रशासन :-

- सभी विभागों, एजेंसियों और सहभागियों को अलर्ट/चेतावनी जारी करना।
- स्थिति का जायजा लेने और जान-माल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फसलो आदि को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने लिए एक कमैटी का गठन करना।
- पूरी घटना का विवेचन करना तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
- मुआवजा देने की व्यवस्था करना।
- राहत एवं रिसपॉन्स कार्यों की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना।
- मीडिया प्रबंधन करना।

अग्निशमन केन्द्र के कार्य :-

- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रस्थान।
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- स्वयंसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।
- रेत के ढेरों, मृत लोगों, मृत पशुओं, कूड़े-करकट आदि के डिस्पोजल की व्यवस्था करना।
- उखड़े हुए पेड़ों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियों, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- पीडित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
- मेगा फोन के माध्यम से अलर्ट एवं चेतावनी जारी करना।
- राहत शिविरों की सुरक्षा जिम्मेदारी।

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :-

- प्रशासन को उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराना जैसे सीढ़ियां, क्रेन, ट्रैक्टर, जेसीबी, एलएण्डरी, रस्सियां, पुलि, डोजर्स श्रमिक आदि जिससे टूटे हुए वृक्षों, बिजली के खम्बों, हॉर्डिंग्स, टेलिफोन लाइंस आदि को हटाया जा सके।
- दुर्घनाग्रस्त इलाकों की बैरिकेटींग करना और बचाव कार्यों के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान निर्धारित करना।
- वैकल्पिक रूट तैयार करना।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता।
- जहाँ बिजली की सप्लाई बन्द हो गई है वहाँ जनरेटर सेट की व्यवस्था करना तथा पानी के टैंकर का इंतजाम करना।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना।
- आपातकालीन बर्न वार्ड और ट्रौमा सेन्टर स्थापित करना।
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना।
- एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, रक्त, दवाइयों, स्ट्रैचर, एक्स-रे मशीन और घायलों को फर्स्ट एड देना।



गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

नगरपालिका

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाईयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु संवय सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- कृषि विभाग का दायित्व है कि किसानों में न्योलाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों में जागरुकता पैदा करें तथा इस परम्परा को समाप्त करने का प्रयास करें ।

दूरसंचार विभाग

- बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना ।
- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना ।

पशुपालन विभाग :-

- पीड़ित पशुओं का इलाज करना ।
- मृत जानवरों के डिस्पोजल की व्यवस्था करने में स्थानीय निकाय को तकनीकी सहयोग प्रदान

मीडिया

- समय-समय पर बुलेटिन जारी करना ।
- दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना ।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी देना ।

पंचायती राज विभाग

- मेगा फोन, केबल टीवी, रेडियों आदि के माध्यम से चेतावनी जारी करना ।
- सभी सम्बन्धित विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के साथ समन्वय ।
- उखड़े हुए पेड़ों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियों, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना ।

अध्याय—15

खदानों में दुर्घटनाएं—आपदा कार्ययोजना

संभावित परिदृश्य :-

(क) भूमिगत खदान में विस्फोट जिसमें भारी संख्या में श्रमिक फंस जायें।

(ख) खदान क्षेत्र में भू-स्खलन होने पर तुरंत बचाव, राहत, रिसर्च और पुनर्वास कार्य में जुटे विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्ययोजनाएं हैं :

जिला प्रशासन :-

- आपदा का मुकाबला करने के लिए सभी विभागों, अधिकारियों और एजेंसियों के कार्यों में समन्वय सुनिश्चित करना।
- विशेष उपकरणों और वस्तुओं जैसे क्रेन, डोजर्स, जेनरेटर सैट, डंपर आदि की व्यवस्था करना।
- राहत सामग्री की व्यवस्था करना।
- जान-माल के नुकसान का मूल्यांकन करना।
- नियमानुसार वित्तीय सहायता देना।
- समय-समय पर बुलैटिन जारी करना।
- मीडिया प्रबंधन।

खदान विभाग :-

- दुर्घटना स्थल पर एलएण्डटी, जेसीबी, गैस कटर, लिफ्ट्स, सुरंग के लिए उपकरण, डंपर, ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराना।
- आपदा स्थल पर तलाश एवं बचाव कार्यों के लिए अनुभवी श्रमिकों की व्यवस्था करना।
- सभी श्रमिकों का बीमा करवाना।
- स्थानीय संचार व्यवस्था।

पुलिस :-

- सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना।
- भीड़ को नियंत्रित करना और बचाव एवं राहत कार्यों व उचित ट्राफिक व्यवस्था के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान नियत करना।
- अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी उपाय करना।
- बेहतर संचार नेटवर्क की व्यवस्था करना।

- ऐम्बुलेंस (108) तैनात करना एवं उनकी निगरानी करना।

अग्निशमन विभाग एवं नगर निगम :-

- बचाव एवं तलाश कार्यों में सहयोग करना।
- सभी तरह के उपकरण उपलब्ध करना – फायर टैंडर्स, खुदाई मशीन, सीढ़िया युक्त वाहन, पम्पसैट, जेसीबी, क्रेन डम्पर, रस्सियां, गोताखोर, ऑक्सीजन बीए सैट आदि।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

- पर्याप्त मात्रा में ऐम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, स्ट्रेचर, विशेषज्ञ, दवाइयां, फर्स्ट एड, पैरामैडिक्स आदि की व्यवस्था करना।
- घायलों को फर्स्ट एड देना।
- अस्पतालों में बैड एवं रक्त की व्यवस्था करना और दुर्घटना स्थल के पास ऑक्सीजन, ऑर्थोपेडिक एवं एक्स-रे मशीनों, पोस्टमॉर्टम की व्यवस्था करना।
- सामान्य स्थिति होने तक दवाइयों की सप्लाई और आपातकालीन सेवाएं जारी रखना।

इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर :-

- बचाव कार्यों का समन्वयन करना।
- शीघ्र कार्यवाही के लिए सम्बद्ध विभागों को दिशानिर्देश जारी करना।
- आपदा प्रबंधन एवं राहत कमिश्नर को जानकारी देना।
- स्थिति के बारी में नियमित रूप से मीडिया को जानकारी देना।

परिवहन विभाग :-

- प्रशासन की जरूरत के अनुसार वाहनों एवं ट्रांसपोर्ट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना।

बीमा कंपनियां :-

यह सुनिश्चित करना की सभी श्रमिकों को बीमा की रकम जल्द से जल्द मिले।

दूर संचार विभाग :-

- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

लोक निर्माण विभाग :-

- जेसीबी, क्रेन, एलएंडटी एवं अन्य बचाव उपकरणों की व्यवस्था करना।

पीएचईडी :-

- जैनरेटर सैट, पम्प सैट, डिवाटरिंग आदि की व्यवस्था करना।

सिंचाई विभाग :-

- गोताखोरों, पम्पसैट आदि की व्यवस्था करना।

अध्याय—16

आंधी तूफान—आकाशीय बिजली: आपदा कार्य योजना

अचानक धूलभरी आंधी/तूफान आ जाना जिसमें जान-माल का नुकसान, घरों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंचे और धूल, कूड़ा-करकट फैल जाये जिससे वातावरण संदूषित हो जाय।

वर्षा ऋतु तथा पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा (मावट) के दौरान प्रायः मेघगर्जन तथा आकाशीय बिजली तड़कने/गिरने की घटनाएं घटित होती हैं। परन्तु बिजली गिरने का खतरा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली बेमौसम बरसात के दौरान अधिक होता है।

बिजली क्या है—

वर्षा के दौरान मेघ गर्जन व बिजली चमकने की घटनाएं घटती हैं। बादलों के ऋण आवेशित क्षेत्रों (Bottom Of Cloud) तथा पृथ्वी (पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं) के धन आवेशित क्षेत्रों के बीच/मध्य विद्युत ऊर्जा बनने व विसर्जित होने के परिणाम स्वरूप बिजली चमकती है।



बिजली कितनी खतरनाक :-

जब बिजली चमकती है तो 30000 से 300000 लाख एम्पियर तथा 15 मिलियन से 125 मिलियन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। बिजली का वोल्ट (झटका) सूर्य के धरातल से 5 गुना गर्म होता है और इसकी किरणें सभी दिशाओं में विकीर्णित होती हैं। अतः यह बहुत खतरनाक होती है। किसी व्यक्ति पर आकाशीय बिजली पड़ने पर हृदयाघात, श्वसन तंत्र क्षतिग्रस्त होना, मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होना, हड्डियों का टूटना, मस्तिष्क आघात, सदमा तथा तंत्रिका तंत्र का क्षतिग्रस्त होना आदि घटित हो सकता है।

आकाशीय बिजली का कैसे पता लगायें:-

खराब मौसम के दौरान यदि बिजली चमकने के 30 सैकण्ड बाद या उससे कम समय में गर्जना सुनाई दे तो इसका तात्पर्य है कि तूफान निकट है, तुरन्त शरण लें ।

बचाव के उपाय:-

- वर्षा के दौरान यदि आप छत के ऊपर है तो किसी वस्तु को अपने हाथ में न पकड़ें ।
- यदि खुले क्षेत्र में हैं तो दोनो पैरों को मिलाकर एडी व पंजों के बल बैठ जाए, अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए सिर घुटनो के बीच रखें ।
- इस प्रकार बैठें कि पैरों के अतिरिक्त शरीर का कोई अंग पृथ्वी के संपर्क में न हो ।
- वर्षा के दौरान पृथ्वी पर कभी भी लेटें नहीं इससे हार्ट अटैक तथा अदरुनी क्षति हो सकती है
- भीड में न घुसें, एक दूसरे से कम से कम 15 फीट दूर रहें ।
- यदि बाहर हैं,तो सुरक्षित भवन के अन्दर शरण लेवें ।
- यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो कार (जिसकी छत मजबूत हों) में ही शरण लें , सारे दरवाजे बन्द कर दे किसी धातु निर्मित वस्तु को नही छुएं ।
- यदि आप अंदर हैं तो खिड़की दरवाजों से दूर रहें, विद्युत उपकरणों को बंद कर दें तथा उनसे दूर रहें ।
- कानों को ढककर रखें, आँख बन्द रखें क्योंकि बिजली कड़कने के दौरान क्षति पहुंच सकती है
- प्लास्टिक या किसी विद्युत कुचालक पदार्थ से निर्मित वस्तु पर खड़े होना चाहिए ।
- वर्षा के दौरान मोबाईल का उपयोग न करें, यह बिजली को आकर्षित कर सकता है । अतः मोबाईल स्विच ऑफ कर दें ।

पीड़ित को सहायता/प्राथमिक उपचार देना:-

1. यदि कोई व्यक्ति आकाशीय बिजलीसे घायल हो जाये तो सबसे पहले उसे घटना स्थल से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं ।
2. चिकित्सकीय सहायता हेतु नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाएं अथवा आपातकालीन सेवा हेतु 108 पर कॉल करें ।
3. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना हो तो घायल को प्राथमिक उपचार दें ।
4. सबसे पहले घायल की श्वास व धड़कन की जाँच करें । यदि श्वास नहीं चल रही हो तो कृत्रिम श्वास देवें ।

धूल भरे तूफान एवं आकाशीय बिजली से निपटने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यों में संलग्न विभागों एजेंसियों और सहभागियों के लिए कार्य योजनाएं निम्न लिखित हैं :-

जिला प्रशासन :-

- सभी विभागों, एजेंसियों और सहभागियों को अलर्ट/चेतावनी जारी करना।
- स्थिति का जायजा लेने और जान-माल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फसलो आदि को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने लिए एक कमैटी का गठन करना।
- पूरी घटना का विवेचन करना तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
- मुआवजा देने की व्यवस्था करना।
- राहत एवं रिसपॉन्स कार्यों की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना।
- मीडिया प्रबंधन करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :-

- प्रशासन को उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराना जैसे सीढ़ियां, क्रेन, ट्रैक्टर, जेसीबी, एलएण्डरी, रस्सियां, पुलि, डोजर्स श्रमिक आदि जिससे टूटे हुए वृक्षों, बिजली के खम्बों, हॉर्डिंग्स, टेलिफोन लाइंस आदि को हटाया जा सके।
- दुर्घनाग्रस्त इलाकों की बैरिकेटिंग करना और बचाव कार्यों के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान निर्धारित करना।
- वैकल्पिक रूट तैयार करना।

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
- मेगा फोन के माध्यम से अलर्ट एवं चेतावनी जारी करना।
- अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उचित उपाय करना।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुँचाना।
- एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, रक्त, दवाइयाँ, स्ट्रैचर, एक्स-रे मशीन और घायलों को फर्स्ट एड देना।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।

- जहाँ बिजली की सप्लाई बन्द हो गई है वहाँ जनरेटर सेट की व्यवस्था करना तथा पानी के टैंकर का इंतजाम करना।
- जल आपूर्ति के साधनों जैसे ट्यूब वेल, हैंड पम्प आदि को पुनः चालू करना।

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।
- क्षतिग्रस्त लाईनों को पुनः चालू करवाना।

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

पंचायती राज विभाग

- मेगा फोन, केबल टीवी, रेडियों आदि के माध्यम से चेतावनी जारी करना।
- सभी सम्बंधित विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के साथ समन्वय।
- उखड़े हुए पेड़ों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियों, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।

दूरसंचार विभाग

- बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना।

पशुपालन विभाग :-

- पीड़ित पशुओं का इलाज।
- मृत जानवरों के डिस्पोजल की व्यवस्था करना।

नगर पालिका/नगर निगम :-

- मेगाफोन, केबल टीवी, रेडियों के माध्यम से अलर्ट एवं चेतावनी जारी करना।
- पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- उचित निर्णय लेने के लिए नुकसान का मूल्यांकन करना।
- उखड़े हुए पेड़ों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियां, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।

मीडिया

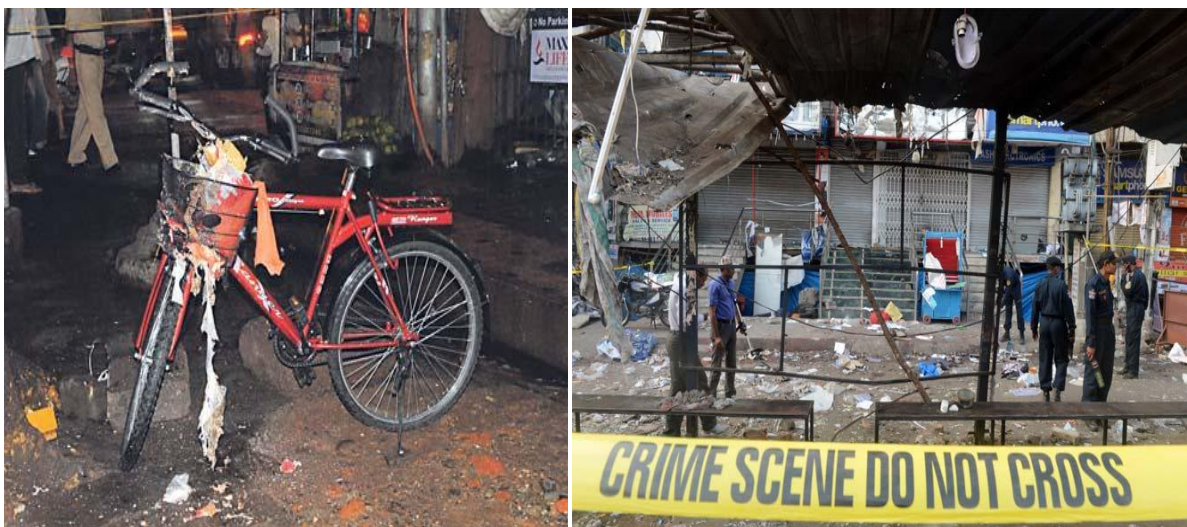
- समय-समय पर बुलेटिन जारी करना।
- दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी देना।

अध्याय –17

आतंकवाद/बम विस्फोट— आपदा कार्ययोजना

आज के युग में दुनियाभर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है " बम विस्फोट "। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान-माल को हानि पहुंचाना है। ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किये जाते हैं, जहां अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। बम विस्फोट की घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं।

किसी सार्वजनिक स्थान जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, टैक्सी स्टैंड, होटल, मॉल, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थान, महत्वपूर्ण संयंत्र आदि में बम विस्फोट जिसमें कई लोगों की मौत, अफरा-तफरी, अग्नि दुर्घटना, सम्पत्ति को नुकसान हो जाए। ऐसी स्थिति में जिसे संभालना स्थानीय प्रशासन की क्षमता से बाहर हों।



बम के प्रकार :-

बम को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है :-

1. **विस्फोट पदार्थ** : जैसे RDX, C3/C4, PEK प्लास्टिक, आदि।
2. **डेटोनेटर** : इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक होता है और ऊर्जा देयक से जुड़ा हुआ होता है जैसे बैटरी, सेल या डायनमों।
3. **स्वीच** : जैसे खींचने वाला, दबाव से काम करने वाला या विच्छेद होकर काम करने वाला। ये रासायनिक, यांत्रिक या देर से समयबद्ध (time delayed) हो सकते हैं।

सामुदायिक स्थानों, भवनों व कार्यस्थलों की बम विस्फोट से सुरक्षा के उपाय :

1. परिसर में आने जाने वाली गाड़ियों का रिकार्ड रखें एवं ड्राइवर का नाम, अन्दर आने का समय, बाहर जाने का समय आदि नोट करें तथा अगर हो सके तो टोकन जारी किया जावे।
2. सुरक्षा-कर्मियों द्वारा परिसर के अन्दर आने जाने वाली सभी तरह की गाड़ियों की जॉच-पड़ताल की जानी अत्यन्त आवश्यक है, जैसे उनका बोनट, डिकी एवं अन्दर के हिस्से को टटोला जाना चाहिये।
3. कार्यालयों की गाड़ियों के ड्राइवरों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि वे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने से पहले जॉच करें। इसी क्रम में कार्यालय की गाड़ियों की पार्किंग सुरक्षित एवं अधिकृत स्थान पर करने की हिदायत दी जाए।
4. ऐसी चीजें जो पहले परिसर में नहीं देखी गई हो, जैसे ब्रीफकेस, बैग व बिजली का तार आदि को देखकर अनदेखा न करें।
5. ऐसी जगह जहाँ पर आना-जाना कम हो उस जगह का खास खयाल रखते हुए निरीक्षण करें।
6. स्टॉफ के लोगों की गतिविधियों एवं उनके चाल-चलन पर नजर रखें एवं निरीक्षण करें।
7. ऐसे कर्मचारी (स्टॉफ) जो कि असंतुष्ट हो, उनपर खास तौर से नजर रखें।
8. ऑफिस समय के बाद व छुट्टी के दिन किसी को भी परिसर में घुसने की इजाजत न दें।
9. स्टॉफ व आगन्तुक के लिए वाहन पार्किंग स्थल अलग-अलग जगह पर निश्चित करें और ऐसी जगह बनायें जो मुख्य भवन से दूरी पर हो। किसी भी वाहन को मुख्य भवन या कार्यस्थल के नजदीक न खड़ा करने दिया जावे।
10. आने व जाने के लिए एक ही मुख्यद्वार की व्यवस्था हो।
11. एक इमरजेन्सी द्वार की व्यवस्था हो जिसकी जानकारी पूरे स्टॉफ को हो।
12. आम व्यक्तियों को परिसर के सीमित इलाकों में ही आवाजाही की इजाजत होनी चाहिये।
13. कर्मचारियों (स्टॉफ) के लिए पहचान पत्र होना जरूरी है।
14. अगर भण्डार उसी परिसर में हो तो वहाँ आवाजाही पर पूरी तरह नियंत्रण करते रहना चाहिये।
15. सफाई कर्मचारियों को स्टॉफ की उपस्थिति में ही सफाई करने को कहें।
16. सभी महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर हर टेलीफोन के पास रखें।

बम की सूचना मिलने पर सुरक्षा से सम्बंधित किये जाने वाले कार्य :

जन-साधारण एवं प्रशासन हेतु :

1. जब बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शान्ति बनाये रखना चाहिये।
2. किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झूठा करार न दें। सूचना मिलते ही तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन को दूरभाष नम्बर 100 पर सूचित करें।
3. अच्छा वक्ता बनकर कार्य करें ताकि सूचना देने वाले से ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके।
4. हर सूचना व धमकी को सही मानकर सूचना देने वाले से निम्न तरह की जानकारी हासिल करने की कोशिश करें
 - (क) सही स्थल जहाँ बम रखा है
 - (ख) विस्फोटक के फटने का सही समय

- (ग) विस्फोटक के चलाने का तरीका
 - (घ) विस्फोटक की पहचान
 - (ङ) विस्फोटक का पदार्थ
 - (च) विस्फोटक लगाने का उद्देश्य
 - (छ) विस्फोटककर्ता संगठन का नाम
5. अगर सूचना देने वाले के नाम का पता चल जाये तो निम्नलिखित रिकॉर्ड तैयार करें :
- (क) सूचना देने की तारीख व समय
 - (ख) भाषा जिसमें बोल रहा है
 - (ग) आदमी, औरत या बच्चा है, की जानकारी
 - (घ) भाषा बोलने का ढंग, जैसे खड़ी, रूक-रूक कर, आदि।
 - (ङ) बोलने का तौर-तरीका, जैसे गुस्से, शांत, खुशी, धीरे, तेज या घबराहट आदि
 - (च) टेलीफोन पर पीछे से अगर कोई आवाज आ रही हो तो ध्यान से सुनें।
6. अगर सूचना देने वाले ने बम के रखे होने के स्थान के बारे में नहीं बताया हो तो निम्नलिखित स्थानों पर खोज की कार्यवाही करें :
- (क) ईंट या लकड़ी का बुरादा
 - (ख) हटा हुआ कारपेट या जमीन पर बिछावना
 - (ग) तेल से सना हुआ या चिकनाहट वाला कागज
 - (घ) ऐसा स्थान जहां पर नया प्लास्टर किया हुआ दिखे
 - (ङ) ऐसे टेबल जिनकी दराज आधे खुले हों
 - (च) बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा एवं भण्डार स्थल
 - (छ) सभा स्थल, कैंटीन, ऑडिटोरियम, फाल्स रूफिंग आदि
7. कभी भी यह नहीं सोचें कि सिर्फ एक ही बम हो सकता है। यह सब, निरीक्षण के लिए पुलिस पर छोड़े जिसे वे सूँघकर कुत्तों द्वारा करती है।
8. अपने उच्चधिकारियों, पुलिस स्टेशन, पुलिस कंट्रोल रूम (फोन न0 100), एम्बूलेन्स(फोन न0 102), व आपदा नियंत्रण कक्ष (फोन न0 237081), को अविलम्ब सूचित करें।
9. अगर कोई बड़ी मशीनरी परिसर में चल रही हो तो बन्द कर दें, जैसे ए.सी., जैनरेटर आदि।
10. बम ढूँढने का कार्य, स्थिति को नजर में रखते हुए पुलिस पर छोड़े व जिज्ञासावश स्टॉफ को इस कार्य में रूचि नहीं लेने दें, इससे नुकसान की अपेक्षा बढ़ जाती है।
11. किसी भी सूरत में ऐसी अपरिचित वस्तु, बम/विस्फोटक(यदि दिखाई देती हो) या सन्देहात्मक वस्तु को न छुएं, न उठाये, न खोले, न ही उसे पानी में डालें, क्योंकि इन सभी तरीको से अलग-अलग बनाये हुए यंत्रों में विस्फोट हो सकता है।
12. परिसर छोड़ते समय कर्मचारियों को अपना निजी सामान साथ ले लेना चाहिए ताकि पुलिस अथवा सर्वे टीम को अपरिचित सामान को पहचानने में मदद मिल सके और कम वस्तुओं का निरीक्षण करना पड़े।

13. अगर विस्फोटक का स्थान पता हो तो परिसर खाली करते समय विस्फोटक के नजदीक से न गुजरें, न ही उसके आसपास रेड़ियो सेट, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करें।
14. कभी भी संदेहात्मक वस्तु या बम पर सीधी पलैश, लाइट या टॉर्च की रोशनी नहीं डालें, इससे प्रकाश इनिशियटर द्वारा विस्फोटक फट सकता है।
15. सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा होने की हिदायत दें, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके।
16. जब कर्मचारी अपना परिसर छोड़ दें, तो सुनिश्चित करें कि बिजली के तमाम स्विच बन्द हो।
17. मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध हों तो उन्हें विस्फोटक के चारो तरफ लगा दें ताकि विस्फोटक से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।
18. जब मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध न हों तो मैटरेस, गद्दे, दरियां, कारपेट इत्यादि को विस्फोटक के चारों तरफ लगा दें।
19. परिसर छोड़ते समय यह यकीन करें कि तमाम खिड़कियाँ, आलमारियाँ, दरवाजे, खुले हुए हो ताकि बम फटने की स्थिति में कम से कम नुकसान हो।
20. असहाय/अपाहिज व्यक्ति को मदद देकर परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाये।
21. जब तक संदेहात्मक वस्तु या बम परिसर या भवन से हटा न लिया जावे लोगों को वापिस परिसर में न आने दें।

अगर बम फट गया हो तो जन-साधारण व प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

1. जहाँ बम विस्फोट हुआ है वहाँ से चारो तरफ दूरी बनाये रखें।
2. घटना स्थल पर किसी प्रशिक्षित एवं योग्य अधिकारी को घटना अधिकारी नियुक्त करें।
3. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायें।
4. उन्हें अस्पताल पहुचाने की व्यवस्था करे।
5. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आसपास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है, इसलिये सक्रिय रहें।
6. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को दें।
7. पुलिस प्रशासन की स्वीकृति के बिना विस्फोट स्थल पर न जायें।
8. मलवा हटाने की व्यवस्था करें।

मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगो की मदद से कार्यवाही करें। आग पर नियंत्रण रखे व फायर ब्रिगेड को सूचना दें। बचाव दलों को घटना स्थल के बारे में सही जानकारी दें जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र हो सके। बचाव दलों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही कर प्रगति रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करें। सूचना केन्द्र पर हताहतों की सम्पूर्ण सूचना एकत्रित करें।

बचाव व राहत दल :

बिना फटे बमों का पता लगाना व सुरक्षोपाय हवाई हमला होने पर सभी बम फटते नहीं हैं। इसका कारण बमों को खराब तरीके से बनाया जाना, खराब फ्यूज लगाये जाने या देर से फ्यूज लगाये जाने के कारण (टाईम बम) हो सकता है। इसलिए सभी अविस्फोटित बम टाईम बम समझे जाने चाहिये। इससे लोगो में आतंक की भावना उत्पन्न होना व अव्यवस्था होना काफी स्वाभाविक है।

अविस्फोटित बमों की पुष्टि करना इसके पड़े होने के स्पष्ट संकेत हों। बमों को अविस्फोटित न होने के संकेत हों। बम के अविस्फोटित होने के संकेत खड्डे बनाना बम अविस्फोटित होने के स्थान के निकट स्टील के दौतेदार टुकड़े पड़े होना। आसपास के मकानों के दरवाजे व खिड़कियों का टूट जाना या दीवारों में दरारें पड़ जाना। विस्फोट होने के स्थान के चारों तरफ जले हुए विस्फोटक की दुर्गंध फैलना व जमीन का काला होना। रात को कौंध व दिन में धुआँ दिखाई देना। भूमिगत इमारतें व सेवायें क्षतिग्रस्त होना।

सुरक्षा उपाय :

अविस्फोटित बम पड़े होने का पता लगने पर उस क्षेत्र का घेराव करें व भारी मशीनरी तथा यातायात को रोक दें। अविस्फोटित बम के आसपास के क्षेत्र को खाली करें। बचाव कार्य— बचाव खाईयाँ, बचाव दीवारें व एबटमेंट्स आदि बनाकर।

बम का वजन	क्षेत्र को खाली करने का घेराव		खिड़कियाँ खुली रखने का घेरा
	पूर्णत	अंशत	
50 से 250 किग्रा	50 मीटर	150 मीटर	150 मीटर
250 से 500 किग्रा	100 मीटर	300 मीटर	300 मीटर
500 से 2000 किग्रा	300 मीटर	600 मीटर	800 मीटर

आतंकी घटनाओं के स्थिति में बचाव, राहत, रिसपॉन्स और पूनर्वास कार्यों में संलग्न विभागों एजेंसियों एवं सहभागियों के लिए कार्य योजनाएँ निम्नलिखित हैं :-

जिला प्रशासन :-

परिसर को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। कम से कम 100 मीटर की दूरी पर लोगों को भेजा जावे। खाली करवाने की कार्यवाही बिना घबराहट, तरतीबवार तरीके व अतिशीघ्र की जानी चाहिये। परिसर खाली करते समय एलीवेटर्स, लिफ्ट व कन्वेयर्स को काम में न लें। इससे क्षति में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।

निरीक्षण के दौरान किसी भी आवाज का खास ध्यान रखा जावे क्योंकि ज्यादातर विस्फोटक समय सारणी के साथ लगाये जाते हैं।

कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना। किसी भी हवाई हमले के तत्काल बाद लाउड स्पीकर अथवा रेडियो द्वारा बेघर व्यक्तियों को सही दिशा—निर्देश दें। लोगों में आतंक की भावना को कम करना। आवश्यक सेवाओं की बहाली करवाना जैसे— पानी, बिजली, सीवरेज, टेलीफोन, गैस इत्यादि। क्षति का पता लगाना व इसकी सूचना कन्ट्रोल रूम तक पहुँचाना। राहत दलों के पहुँचने तक तत्काल

ऐसी कार्यवाही करना, जिससे लोगों को और अधिक नुकसान न हो। आपातकालीन भोजन, कपड़ों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना। सम्पत्ति का बचाव करना। अविस्फोटित बमों को निष्क्रिय करना।

मलबे में दबे हताहतों को सावधानी से मलबा हटाकर निकलवाने की व्यवस्था करें। मृतकों को उनके रिश्तेदारों व परिवार वालों के हवाले करना अन्यथा नगर निगम के सहयोग से उनका अन्तिम क्रियाकर्म करवाने की व्यवस्था करना। खतरनाक झूलते मकानों को गिराने या सहारा लगवाने की व्यवस्था करना। घायल जानवरों को प्राथमिक उपचार प्रदान करवाएँ। मरे हुए जानवरों को हटाकर दूर फिकवायें। आग में फंसे लोगों को बचायें। फायर बिग्रेड के आने तक, स्थानीय लोगों की मदद लेकर आग पर नियंत्रण करें। आहत व्यक्ति के आस-पास से मलबा हटाते समय बहुत सावधानी बरतें। आहत को गिरने वाले मलबे या धूल से बचाने के लिए लौहे की चद्दरो, तिरपाल आदि का उपयोग कीजिये। आहत व्यक्ति के मुँह पर और नाक में से धूल, रेत वगैरह निकाल दीजिए, ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो। मीडिया प्रबंधन करना। मुआवजा देने के लिए जान-माल के नुकसान का मूल्यांकन करना।

एटीएस, पुलिस :-

कंट्रोलरूम 24 घंटे व सातों दिन चालू रखना। सुरक्षा कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी संभालना। स्थिति को समझने के लिए तत्काल मूल्यांकन करना। भीड़ को नियंत्रित करना और बचाव व राहत कार्य एवं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान नियत करना। स्थिति से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ता, और बुलेट-प्रूफ उपकरण तैनात करना। खतरे से निपटने के लिए तुरंत रिसर्पोन्स टीम तैनात करना। लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। आवश्यकतानुसार सीआरपीएफ, रेपिड एक्शन फोर्स, एनएसजी, मिलिटरी की सहायता लेना। बचाव कार्य के लिए लोगों की व्यवस्था करना। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करना। मीडिया के माध्यम से जनता को स्थिति से अवगत कराना। कारगर संचार नेटवर्क की व्यवस्था। कम्युनिटी लाइजिन ग्रुप्स के माध्यम से रक्तदाताओं की व्यवस्था करना। ऐम्बुलेंस (108) तैनात करना। आतंकियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन करना। सभी सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण संयंत्रों के लिए अलर्ट जारी करना जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थान, आदि। जनता की जानकारी के लिए आतंकवादियों के स्कैच जारी करना। सभी संभावित स्थानों जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल आदि पर तलाशी अभियान चलाना। पूरे एरिया में तलाशी अभियान चलाना। अपराधियों/आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह पर छापा मारना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :- ऐम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, स्ट्रेचर फर्स्ट एड, बैड्स, रक्त, दवाइयां आदि की व्यवस्था करना। घायलों को फर्स्ट एड देना। घायलों को अस्पताल पहुंचाना। अस्पतालों में अतिरिक्त बैड्स की व्यवस्था करना और रेलवे, निजी एवं सेना के अस्पतालों की सेवाएं लेना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :-

प्रशासन को उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराना जैसे सीड़ियां, क्रेन, ट्रैक्टर, जेसीबी, एलएण्डटी, रस्सियां, पुलि, डोजर्स श्रमिक आदि जिससे टूटे हुए वृक्षों, बिजली के खम्बों, हॉर्डिंग्स, टेलिफोन लाइंस आदि को हटाया जा सके। दुर्घनाग्रस्त इलाकों की बैरिकेटिंग करना और बचाव कार्य के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान निर्धारित करना। वैकल्पिक रूट तैयार करना।

दूरसंचार विभाग

बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना। क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना।

विद्युत

विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल। तलाश एवं बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाइट की व्यवस्था करना। क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

पीआरओं :-

अफवाहों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना कि मीडिया को दी गई सूचनाएं एकदम सही हैं।

मीडिया

समय-समय पर बुलेटिन जारी करना। दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना। सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों की जनता को जानकारी देना।

सिविल डिफेंस :-

बचाव कार्यों में पुलिस एवं प्रशासन की सहायता करना। लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। ऐम्बुलेंस, फर्स्ट एड, फायर टेंडर, अग्नि शमन कर्मचारियों की तैनाती करना।

होमगार्ड :-

कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करना। लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।

अध्याय –18

नाभिकीय दुर्घटनाएं—आपदा कार्ययोजना

नाभिकीय ईंधन चक्र, न्यूक्लियर रिएक्टर सहित, में घटित होने वाली दुर्घटना या रेडियोएक्टिव संयंत्र में दुर्घटना जिससे भारी तादात में रेडियोएक्टिव लीक होकर पर्यावरण में आ जाती है। नाभिकीय ईंधन चक्र संयंत्र, जहाँ लगातार न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलता रहता है, में घटित होने वाली दुर्घटना जिसे न्यूट्रॉन और गामा रेडिएशन फट जाते हैं। रेडियोएक्टिव मैटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के समय होने वाली दुर्घटना। आतंकवादियों द्वारा रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस में रेडियोएक्टिव पदार्थों के प्रयोग से पर्यावरण में रेडियोएक्टिव पदार्थों का फेलाव। परमाणु बम विस्फोट से पैदा होने वाली आपदा (जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी) या प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प (फूकोशिमा प्लांट, जापान) जिससे भारी तादात में जान-माल का नुकसान हो। नाभिकीय या रेडियोलॉजिकल आपदा का मुकाबला करने के लिए चलाये जाने वाले बचाव, राहत, रिसर्पॉन्स एवं पुनर्वास कार्यों में संलग्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्ययोजनाएं हैं :-

जिला प्रशासन :-

आपदा पूर्व चरण कोई डर या आतंक पैदा किये बिना जनता को नाभिकीय आपदा से निपटने के लिए तैयार करना। आपदा के तीनों चरणों (पूर्व, दौरान, एवं बाद में) के लिए सभी सरकारी संसाधनों का समन्वयन। जन जागृति फैलाने के लिए एनजीओज और स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशिक्षित करना। डोसीमीटर, एनबीएस शूट, रेडिएशन का पता लगाने वाले उपकरण आदि की खरीददारी सुनिश्चित करना और पर्याप्त मात्रा में अंशांकन। आपदा चरणसभी जिलों और बाहरी एजेंसियों जैसे एनजीओज और सहभागियों के साथ समन्वय स्थापित करना। लाउडस्पीकर, टीवी, रेडियो, केबल टीवी और अन्य प्रभावी माध्यमों के द्वारा दुर्घटना के बारे में घोषणा करना। मानव एवं पशुधन की सुरक्षा के लिए 'करो' और 'मत करो' के बारे में लोगों को जागरूक करना। भूमिगत स्थानों की पहचान करना जो पीपीएल एवं मैटेरियल से संदूषित नहीं हो। राज्य/केन्द्रीय राहत स्त्रोतों के साथ समन्वय स्थापित करना। नाभिकीय आपदा के शमन के बारे में सभी एजेंसियों को निर्देश देना। आपदा से निपटने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों एवं अटॉमिक एनर्जी विभाग को सर्वे करने के लिए आमंत्रित करना। प्रभावित क्षेत्र में लोगों पर रेडिएशन के असर का पता लगाने में रेडियोलॉजिकल अधिकारियों की सहायता करना। समय-समय पर बुलैटिन जारी करना। पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय स्थापित करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

न्यूक्लियर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल पहुंचाना। न्यूक्लियर पीड़ितों के इलाज के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना। पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल एवं पैरामैडिक्स तैनात करना और आयोडिन, प्रोटैक्टिव क्लोथिंग उपकरण वितरित करना। उचित मात्रा में शैल्टर और विसंदूषित सेंटरों की स्थापना सुनिश्चित करना। अप्रभावित क्षेत्रों से अतिरिक्त चिकित्सा दलों की व्यवस्था करना। पानी और मलबे का सुरक्षित डिस्पोजल।

विसंदूषित पीने के पानी की रखवाली के लिए मैनपावर की व्यवस्था हेतु पीएचईडी, नगर निगम और पुलिस से तालमेल करना। संदूषित वेस्ट के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए आधुनिक भस्मकों की व्यवस्था करना।

रैड क्रांस जैसी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

स्थिति सामान्य होने तक दवाईयों और आपातसेवाओं की सप्लाई जारी रखना।

पुलिस विभाग :-

सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी।

न्यूक्लियर ब्लास्ट एरिया की घेराबंदी करना।

प्रभावित क्षेत्र से आने वाले लोगों एवं जानवरों के प्रवेश पर पाबंदी।

राहत शिविरों और उनके लिए राहत सामग्री जैसे भोजन, पानी, दवाईयां लाने वालों की सुरक्षा करना।

यह सुनिश्चित करना कि लोगों में आतंक न फैलने पाये।

कानून एवं व्यवस्था के लिए आने वाली फोर्सों के लिए स्वागत कक्षों की स्थापना।

तुरंत रिसर्पॉन्स दलों की तैनाती।

सुमेद्य समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों बुजुर्गों और विकलांगों की सुरक्षा।

बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन।

निकासी कार्यों के समय प्रोटेक्टिव क्लोनिंग और उपकरण इस्तेमाल करना।

अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना।

बेहतर संचार नेटवर्क की व्यवस्था।

लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग :-

जिले में सुरक्षित जल की विस्तृत जानकारी लेना।

विसंदूषित भूजल की पम्पिंग करके सुरक्षित भण्डारण एवं ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करना।

लोगों और पशुओं की पानी की जरूरतों का मूल्यांकन करना।

राहत शिविरों और अस्पतालों के लिए भू-जल के टैंकों की व्यवस्था करना।

सुमेद्य जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ समन्वय जिससे लोगों को संदूषण से रोका जा सके।

रसद विभाग :-

डिब्बा बंद भोजन सामग्री उपलब्ध करना। विसंदूषित सामग्री के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज/भूमिगत गोदामों की पहचान। ऐसे गोदामों की सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करना जिससे भीड़ लूटपाट न कर सके। पर्याप्त मात्रा में ईंधन, तेल और लुब्रीकेंट का स्टॉक सुनिश्चित करना। अप्रभावित क्षेत्रों से अतिरिक्त सामग्री लाने की व्यवस्था करना।

पशुपालन विभाग :-

- मृत जानवरों का सुरक्षित डिस्पोजल करवाने में स्थानीय निकाय का तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित क्षेत्र से जानवर विसंदूषित इलाकों में न जा पायें।

- मांसाहारी पक्षियों और जानवरों के माध्यम से संदूषण रोकने के लिए मृत जानवरों का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित करवाने में स्थानीय निकाय का तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि दूध और अन्य उत्पाद संदूषित न हो पाए।

नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग :-

लोगों के एकत्रित होने वाले सीनों पर स्वागत कक्ष स्थापित करना। स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधनों का समन्वयन। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। लाउडस्पीकर, मेगाफोन, टीवी, केबल टीवी आदि के माध्यम से घोषणा करना। कारगर रिसर्पॉन्स के लिए सभी संबद्ध विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

परिवहन विभाग :-

प्रशासन की मांग के अनुसार वैकल्पिक वाहनों और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना।

दूरसंचार विभाग :-

संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त लाइनें चालू करना।

जल संसाधन विभाग :-

संदूषित जल स्रोतों का पता लगाना और सुनिश्चित करना कि कोई उनका इस्तेमाल न करे। जल संसाधनों को संदूषित होने से रोकने के पुख्ता इंतजाम करना।

अध्याय –19

ताप लहर (लू)-आपदा कार्ययोजना

कम बरसात और लम्बे समय तक 480सी से उपर तापमान ताप लहर पैदा कर देता है जिससे लोगों की जानें चली जाती है। फसलों को क्षति पहुंचती है, पानी की कमी हो जाती है, बीमारियां फैलने लगती है और तमाम स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है।

ताप लहर का मुकाबला करने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स और पूनर्वास ऑपरेशन में संलग्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्य योजनाएं है :-

जिला प्रशासन :-

जरूरी दिशानिर्देश जारी करना तथा सभी विभागों के बीच कारगर एवं समन्वित रिसपॉन्स सुनिश्चित करना। मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की व्यवस्था करना।

पंचायत राज/नगर पालिका :-

सभी अधिकारियों जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, चौकीदार, आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी सेविका को निर्देश देना कि वे प्रशासन को समय-समय पर जानकारी दें जिससे लोगो की शिकायत दूर करने के उपाय किये जा सकें। स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करना। सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के बारे में जनता को जानकारी देना। हाइजीन और सेनिटेशन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।

पीआरओं :-

लोगों को स्वास्थ्य, सेनिटेशन एवं हाइजीन के बारे में जागरूक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, रेडियो, टीवी कार्यक्रमों को जारी/प्रकाशित करना। सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में मीडिया के लिए बुलेटिन जारी करना। अफवाहों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना कि मीडिया को दी गई सूचनाएं एकदम सही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

एम्बुलेंस, दवाइयों, मोबाइल, चिकित्सा दलों, जीवन-रक्षक औषधियों की व्यवस्था करना। अस्पतालों में तापलहर से बुरी तरह पीडित रोगियों को अलग वार्ड में रखना। इसी तरह फ्लू, वायू एवं जल से पैदा होने वाली संदूषित बीमारियों के रोगियों को अलग वार्ड में रखना। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बैड्स का इंतजाम करना। महामारी फैलने से रोकना। स्वास्थ्य एवं रोग विज्ञान संबंधी निगरानी करवाना। प्रभावित लोगों के पोषण स्तर की जांच करवाना और उचित इलाज करना।

आयुर्वेद :-

चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और सहयोग देना।

पशुपालन विभाग :-

पीडित पशुओं का इलाज करना। पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण करना।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :-

पर्याप्त मात्रा में वाटर टैंकर, ब्लीचिंग पाउडर, नये हैंडपंप लगाना, वर्तमान हैंडपंप की मरम्मत करना, सेनिटेशन ब्लॉक आदि की व्यवस्था करना। हाइजीन और सेनिटेशन के बारे में जागरूकता फैलाना।

पुलिस :-

प्रभावी संचार नेटवर्क मुहैया कराना। ऐम्बुलेंस (108) की व्यवस्था करना। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

एनसीसी, एनवाईके और स्काउट्स :-

स्वयंसेवी उपलब्ध कराना। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की मदद करना।

विद्युत विभाग :-

बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

रसद विभाग :-

बर्फ की आपूर्ति और जेनरेटर्स की व्यवस्था करना।

दूरसंचार विभाग :-

उपयुक्त संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना।

अध्याय – 20

शीतलहर/पाला-आपदा कार्ययोजना

प्रदेश में अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु होती है, परन्तु दिसम्बर माह से फरवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान शीतलहर व पाले की संभावना अधिक रहती है। इस समय दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.00 से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.80 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु तक भी चला जाता है। शीतलहर व पाले का दुष्प्रभाव लोगों व पशुओं पर तो पड़ता ही है, रबी की फसलें भी क्षतिग्रस्त होती हैं। बुजुर्गों, बच्चों तथा बेसहारा व बेघर लोगों पर शीतलहर का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है।

जनसाधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां:-

ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।

पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।

गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।

मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है।

पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।

अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।

समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।

संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। लेकिन व मदिरा से परहेज करें।

अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।

सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।

गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

किसान मौसम पर नजर रखें और जब पाले की संभावना हो तब शाम के समय अपने खेत पर धुँओं कर दें। जिस तरफ से हवा बह रही है, उस तरफ धुँओं करें ताकि फसल पर शीतलहर व पाले का प्रभाव कम पड़े।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी:-

जरूरतमंद व बेघर व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं, उनको जिला प्रशासन शरण स्थल दें।

गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं, उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।

कंबल और भोजन बांटे।

गश्त पर मोबाइल टीम लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

सभी विभागों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करना और उनके बीच में प्रभावी एवं समन्वित रिसपॉन्स सुनिश्चित करना।

मूल्यांकन के आधार पर मुआवजा देने का प्रबंध करना।

पीआरआई :-

सभी अधिकारियों जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, चौकीदार, आंगनबाड़ी सेविका आदि का निर्देश जारी करना कि वे मौजूदा हालात के बारे में जानकारी प्रशासन के भेजें जिससे लोगों की शिकायतें दूर करने के उपाय किये जा सकें।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी जनता तक पहुंचाना।

हाईजीन एवं सेनिटेशन संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।

कृषि विभाग :-

गिरदावरी के आधार पर फसल नुकसान के मूल्यांकन का प्रावधान। फसल बीमा को प्रोत्साहन देना। फसलों में हुए नुकसान का सही-सही आकलन करना। उन्नत बीज, कीटनाशक और बीमा सुविधाओं की व्यवस्था करना। हौसला आफजाई करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

एम्बुलेंस, दवाईयों, मोबाइल चिकित्सा दलों, जीवन रक्षक औषधियों, कम्बलों, गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना। शीतलहर से पीड़ित रोगियों को अस्पताल में अलग वार्ड में रखने की व्यवस्था करना।

जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बैड्स की व्यवस्था करना। महामारी फैलने से रोकना।

स्वास्थ्य एवं रोगविज्ञान संबंधी निरीक्षण। पीड़ितों के पोषण स्तर की जांच करना और उचित कार्यवाही करना।

आयुर्वेद :-

चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और सहयोग देना।

पशुपालन विभाग :-

पीड़ित पशुओं का इलाज। पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण।

नगर निगम :-

अस्थायी आवासों (रैन बसेरा) की व्यवस्था। शीतलहर से मरने वाले भिखरियों और अनाथों का दाह-संस्कार करना।

?पुलिस :-

प्रभावी संचार नेटवर्क की व्यवस्था करना। घायल लोगों के लिए एम्बुलेंस (108) की व्यवस्था करना। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

एनसीसी, एनवाईके एवं स्काउट्स :-

स्वयंसेवी उपलब्ध कराना। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करना।

रसद विभाग :-

कोयला, ईंधन, लकड़ी, एलपीजी, आदि की व्यवस्था करना।

दूरसंचार विभाग :-

उपयुक्त संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना।

अध्याय –21

ओलावृष्टि—आपदा कार्ययोजना

अचानक और अनपेक्षित ओलावृष्टि से लोगों एवं पशुओं की जाने चली जाती है, फसलों और सम्पत्ति को भारी नुकसान होता है। ओलावृष्टि से निपटने के लिए तुरंत बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास के कार्यों में संलग्न विभागों एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्ययोजनाएँ हैं :-

जिला प्रशासन :-

स्थिति का जायजा लेने और जान-माल को हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी का गठन करना। फर्स्ट रिसपॉन्डर के रूप में घटना/स्थिति कर पूरी जानकारी प्राप्त करना और इसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना जिससे उचित निर्णय लिया जा सकें। पंचनामा के आधार पर मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करना। समस्या के शीघ्र समाधान हेतु सभी सम्बद्ध विभागों, एजेंसियों एवं अन्य सहभागियों के बीच में बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करना। राहत एवं रिसपॉन्स कार्यों की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना और उसका प्रसार करना। मीडिया प्रबंधन। प्रभावित किसानों के लिए ग्रामीण बैंको, कॉऑपरेटिव बैंकों या राष्ट्रीय बैंको से छोटे-छोटे ऋण की व्यवस्था करवाना।

कृषि विभाग :-

गिरदावरी के आधार पर फसल नुकसान के मूल्यांकन का प्रावधान। फसल बीमा को प्रोत्साहन देना। फसलों में हुए नुकसान का सही-सही आकलन करना। उन्नत बीज, कीटनाशक और बीमा सुविधाओं की व्यवस्था करना। हौसला आफजाई करना।

पुलिस :-

प्रभावी संचार नेटवर्क की सुविधा मुहैया कराना। घायलों के लिए एम्बुलेंस (108) की व्यवस्था करना। कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

पशुपालन विभाग :-

पीड़ित पशुओं का इलाज करना, मृत पशुओं का डिस्पोजल करना एवं पशु बीमा की व्यवस्था करना। लोगों को पशु टीकाकरण के लिए जागरूक करना और जरूरत पड़ने पर टीका शिविर लगाना। पशु बीमारियों पर नियंत्रण करना।

दूरसंचार विभाग :-

क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनः चालू करना।

बिजली बोर्ड :-

ओलावृष्टि वाले इलाके की बिजली सप्लाई तुरंत बंद करना। क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

रसद विभाग :-

गोदामों एवं पीडीएस दुकानों की स्थिति का जायजा लेना। प्रशासन के निदेशानुसार सूखे राशन, ईंधन तेल, लुब्रीकेंट आदि का वितरण करना। जमाखोरी के खिलाफ ऐहतियातन उपाय करना और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सामान्य कीमतें सुनिश्चित करना।

एफसीआई :-

खाद्यान्नों का स्टॉक रखना। प्रशासन के निर्देशानुसार तुरंत खाद्यान्नों का ट्रांसपोर्टेशन/वितरण करना।

मीडिया :-

समय-समय पर बुलैटिन जारी करना। सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों की जानकारी जनता को देना।

अध्याय—22

रासायनिक आपदा— कार्ययोजना संभावित परिदृश्य

(क) किसी रासायनिक फैक्टरी में उत्पादन, रख-रखाव या डिस्पोजल के समय होने वाला रासायनिक विस्फोट।

(ख) किसी खतरनाक वेस्ट उत्पादक इकाई में कारगर सुरक्षा प्रबंध की कमी या किसी आदमी की गलती से हुई रासायनिक दुर्घटना या किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प या बाढ़ की वजह से घटित हुई रासायनिक दुर्घटना।

(ग) किसी खतरनाक रासायनिक पदार्थ के सड़क मार्ग, रेल मार्ग या पाइप के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के कारण होने वाली रासायनिक दुर्घटना।

रासायनिक आपदा से निपटने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यों में संलग्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्नलिखित कार्य योजनाएँ हैं :

जिला प्रशासन :—

आपदा नियंत्रण की जिम्मेदारी और लोगों को अधिकारिक सूचना एवं निर्देश देना।

दुर्घटना के बारे में लाउडस्पीकर, टीवी, रेडियो, केबल टीवी, मीडिया आदि के माध्यम से घोषणा करना। औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद सभी संसाधनों को समन्वित करना। बाहर से आने वाले अतिरिक्त संसाधनों का समन्वय करना। हवा की दिशा के आधार पर वैकल्पिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना। सुनिश्चित करना कि अस्पताल, खाद्य स्टॉक, पानी पर्याप्त मात्रा में है और सुरक्षित है। जनता को 'करो' एवं 'मत करो' की जानकारी देना। मीडिया प्रबंधन। खतरनाक रसायनों के स्टॉक, मात्रा और हैंडलिंग की तुरंत जानकारी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। जान-माल के नुकसान का मूल्यांकन। नियमानुसार वित्तीय सहायता। समय-समय पर बुलैटिन जारी करना। उद्योग विभाग किसी तरह का डर या आतंक पैदा किये बिना लोगों को रासायनिक आपदा के लिए तैयार करना। लोगों और जानवरों को हताहत होने से रोकना। प्रमुख संस्थानों और इमारतों में होने वाली क्षति को कम करना। यह सुनिश्चित करना कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए जरूरी संसाधन तैयार अवस्था में है। वर्तमान जोखिमों का मूल्यांकन करना। खतरनाक वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कानूनों और नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना। आग, विस्फोट जहरीली गैस का रिसाव आदि का जैसे ही पता चले तुरंत अलार्म बजाना। घटनास्थल के बारे में कंट्रोल रूम और ईओसी का तुरंत सूचित करना। कंट्रोल रूम 24 घंटे व सातों दिन चालू रखना। बचाव कार्यों

के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना। घटना-स्थल पर खतरनाक पदार्थों के स्टॉक का मूल्यांकन करना।

मेगाफोन, लाउडस्पीकर, सायरन आदि के माध्यम से स्टाफ को अलर्ट करना।

फैक्टरी परिसर में कार्यरत लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।

आपदा के दौरान एचएजैड/एमएटी का प्रावधान। जरूरत के अनुसार फर्स्ट रिसपॉन्डर्स जैसे अग्निशमन विभाग, पुलिस और विशेषज्ञ दलों की सहायता करना।

नगर परिषद /नगरपालिका

- प्रत्येक औद्योगिक परिसर में पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों एवं नियंत्रण उपायों की उपलब्धता।
- इंडस्ट्रियल क्लस्टर में आपसी सहयोग की व्यवस्था।
- लोगों के इकट्ठा होने वाले स्थानों पर स्वागत कक्षों की व्यवस्था।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधनों का समन्वयन।
- सभी अग्निशमन इकाइयों को संगठित करना।
- रासायनिक आपदाओं में विशेष अग्निशमन एजेंट्स और उपकरणों का प्रयोग।
- तलाश, निकासी एवं बचाव कार्यों में सहयोग।
- लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- फायर टेंडर, बचाव उपकरण, सीढ़ियां, वाटर, टेंकर, ट्रैक्टर, क्रेन, गैस कटर, फायर सूट, मास्क, कम्बल, रस्सियां, जैनरेटर सैट, श्रमिकों आदि को घटनास्थल पर तैनात करना।
- सभी तरह के अग्निशमन उपकरण एवं वाहन उपलब्ध कराना।

पुलिस

- दुर्घटना स्थल की कमांड संभालना और सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखना।
- बचाव कार्यों की सुगमता के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान नियत करना और ट्रैफिक प्रबंधन करना।
- लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी उपाय करना।

- कारगर संचार नेटवर्क की व्यवस्था।
- एम्बुलेंस (108) की तैनाती और निगरानी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस, मोबाईल चिकित्सा दल, स्ट्रेचर, विशेषज्ञ, दवाइयां, फर्स्ट एड किट पैरामैडिक्स आदि की व्यवस्था।
- एसेम्बली पॉइन्ट्स पर मोबाईल फर्स्ट एड पोस्ट्स की व्यवस्था।
- एंटीडोट, जीवनरक्षक औषधियों और तकनीकों की व्यवस्था।
- मृत लोगों और जानवरों के डिस्पोजल की व्यवस्था।
- स्थिति सामान्य होने तक दवाइयों और आपात सेवाओं की व्यवस्था।

परिवहन विभाग

- प्रशासन की जरूरत के अनुसार वाहनों और ट्रांसपोर्ट की वैकल्पिक व्यवस्था।

दूरसंचार विभाग

- संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

बायोलॉजिकल (महामारी) आपदा-कार्ययोजना

महामारी :-

किसी समुदाय में किसी रोग के सामान्य से अधिक संख्या में रोगी पाये जाने को महामारी कहते हैं। यह आवश्यक है कि महामारी होने से पहले होने की संभावना, रोग के प्रभाव, रोग फैलने के कारणों व नियंत्रित करने वाले प्रभावी उपायों का पता लगाया जाए। किसी प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ सूखा आदि के बाद महामारी फैलने की संभावना अधिक होती है। महामारी होने की गति अक्सर तेज होती है।

संभावित परिदृश्य :-

- हैजा और अतिसार का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैलना, विशेषरूप से बच्चों में (0-5 वर्ष की उम्र) और जिसे संभालना स्थानीय प्रशासन की क्षमता से बाहर हो जाय।
 - संधिपाद महामारी (डेंगू, जापानी मस्तिष्क ज्वर), प्लैग, आर्टिफिशियल रैस्पाइरेटरि इन्फेक्शन आदि का बड़े पैमाने पर फैलना जिसको संभालना स्थानीय प्रशासन के बूते से बाहर हो।
 - एच1एच1, एन्थैक्स, एसएआरएस जैसी महामारियों का बड़े पैमाने पर फैलना जिन्हें संभालना स्थानीय प्रशासन की क्षमता से बाहर हों।
 - आंतकवादियों द्वारा बायोलॉजिकल एजेंट जैसे ब्रसेलोसिस, क्यूफीवर, वायरल, हैमोरेजिक फीवर, वायरल एनसैफैली टाइड्स का इस्तेमाल किया जाना जिससे बायोलॉजिकल युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए।
 - बर्डफ्लू, ब्यूटिंग, एवियन इन्फ्लूएन्जा आदि बीमारियों का बड़े पैमाने पर फैलना जिससे बड़ी तादात में पशुओं की जानें चली जाएं।
- बायोलॉजिकल आपदा से निपटने के लिए तुरंत बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यों में संलग्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्य योजनाएं हैं।

जिला प्रशासन :-

- आपातस्थिति के उपर नियंत्रण और जनता को अधिकारिक सूचनाएं एवं निर्देश देना।
- लाउडस्पीकर, टीवी, रेडियो, केबल टीवी, मीडिया आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।
- बाहर से आने वाले संसाधनों का समन्वयन।
- 'करो' एवं 'मत करो' के बारे में जनता को जानकारी देना।
- मीडिया प्रबंधन।
- जान-माल के नुकसान का मूल्यांकन।
- नियमानुसार वित्तीय सहायता देना।

नगर निगम :-

- प्रमुख स्थानों पर सूचना केन्द्र स्थापित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधनों का समन्वयन करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

- मौजूदा निगरानी व्यवस्था का मजबूतीकरण।
- एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दलों, दवाईयों, पैरामैडिक्स आदि की व्यवस्था।
- क्विक रिसपॉन्स मैडिकल टीम (क्यूआरएमटीज) तैनात करना।
- सभी रोगविज्ञान संबंध प्रयोगशालाओं को तैयार अवस्था में रहने के लिए अलर्ट जारी करना।
- परीक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर मोबाइल जांच केन्द्रों की सीपना।
- पीड़ित लोगों का संगरोधन करना।
- प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास दल भेजना, सभी स्थानीय रोगविज्ञान प्रयोगशालाओं को अलर्ट करना, ज्यादा जोखिम वाले मामलों में टीकाकरण की व्यवस्था, रोगियों को पैन्सिलिन देना और त्वचा रोगियों की देखभाल करना।
- निजी सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था।
- पीड़ित लोगों का तुरंत इलाज।
- विशेष दवाईयों और जीवनरक्षक औषधियों की आपूर्ति।
- रैड क्रॉस जैसी संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सहयोग।
- स्थिति सामान्य होने ते दवाईयों की सप्लाई और आपात सेवाएं जारी रखना।
- सुरक्षित पीनी के पानी, की सप्लाई, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और हाइजीन एवं सेनिटेशन के लिए पीएचईडी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- संदूषित जल संग्रह सीनों की निगरानी करना जहां मच्छर पैदा होने की संभावना हो और मलेरिया, डेंगू आदि की रोकथाम के लिए दवाईयों का छिडकाव करवाना।
- पैरामैडिक्स और स्वास्थ्य स्वयंसेवियों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मजबूतीकरण जिससे उनकी महामारियों की निगरानी और उनपर नियंत्रण की क्षमता बढ़ सके।
- जांच आदि का समय बचाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर परीक्षण लैब स्थापित करना।

पुलिस विभाग :-

- दुर्घटना स्थल की निगरानी, सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी।
- अफवाहों को रोकने के लिए उचित उपाय करना।
- प्रभावी संचार नेटवर्क की व्यवस्था।
- एम्बुलेंस (108) की तैनाती एवं निगरानी।
- प्रवेश स्थानों पर अस्थाई चैक-पोस्ट की व्यवस्था।

आयुर्वेद :-

- चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय एवं उसकी सहायता।

पशु पालन विभाग :-

- मौजूदा निगरानी प्रणाली का मजबूतीकरण।
- वेटेरिनरी अधिकारियों और बीमारी निगरानी दलों की तैनाती।

- लोगों और पशुओं को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना।
- पीड़ित जानवरों एवं पक्षियों का संगरोधन।
- जानवरों का टीकाकरण।
- एफसीआई से सामान्य कीमतों पर खाद्यान्न की आपूर्ति।
- स्थानीय एनजीओज, सीबीओज, एसएचजीज आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।
- मृत जानवरों और पक्षियों का सुरक्षित डिस्पोजल।
- प्रभावित जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहनों की व्यवस्था।
- जानवरों का टीकाकरण और शिविरों के लिए जगह की पहचान।
- जानवरों पर टैग लगाना।
- पशु बीमा को प्रोत्साहन।

पीएचईडी :-

- सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, जल की गुणवत्ता की निगरानी और उन्नत सेनिटेशन।
- सभी ग्राम पंचायतों को घरों में बांटने के लिए जल को शुद्ध करने वाली गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन की सप्लाई करना।
- स्वास्थ्य एवं सेनिटेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, पेन्टिंग्स, मीडिया आदि का प्रयोग।

परिवहन विभाग :-

- प्रशासन की मांग के अनुसार वाहनों और ट्रांसपोर्ट की वैकल्पिक व्यवस्था।
- नाकाबंदी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर मेडिकल चैक-अप की व्यवस्था के लिए पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।

दूरसंचार विभाग :-

- संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना।
- लाइनों का पुनः चालू करना।

महामारी होने के कारण :-

- स्वच्छता का अभाव, गरीबी व अधिक भीड़, स्वच्छ पानी व भोजन की कमी।
- रहने के स्थान के आसपास का वातावरण व परिस्थितियाँ, जिससे जीवाणु वाहकों को बल मिलता है।
- न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के रोग प्रभावित क्षेत्रों में आने से।
- पोषण के स्तर में गिरावट से।
- पानी व खाद्य पदार्थों के दूषित होन से।

- खाद्य पदार्थ जनित महामारी
- आन्त्रशोथ
- कीटणुनाशक दवाओं तथा खेती में आने वाले रसायनों के अधिक उपयोग के कारण दूषित हुए खाद्य पदार्थों का सेवन।
- कुपोषण
- अपूर्ण चिकित्सीय व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ

जन-साधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ :-

- प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दूषित वस्तुओं के सेवन से बचें।
- दस्ताने, गाउन व मास्क का प्रयोग कर बचाव किया जा सकता है।
- हाथों को धोना, दूषित पदार्थों व समान का सुरक्षित निवर्तन आदि सावधानियाँ आवश्यक रूप से रखें।
- व्यक्ति के मल व अन्य स्रावों से सीधे संपर्क से बचें।
- रोगी के सीधे संपर्क व स्रावों से बचें।
- भीड़ भरे स्थान पर जाने से बचना।
- घर में कीड़े-मकोड़ों को मारने हेतु पेस्टिसाइड्स व जीवाणुओं का उपयोग।
- जीवाणु वाहकों जैसे-मच्छर, मक्खी, कीट, जुएँ तथा चूहों पर नियंत्रण।
- बाढ़ के दौरान व बाद में पानी को उबाल कर पीना।

खतरा कम करने हेतु प्रशासनिक कार्य :-

- आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता निश्चित करना।
- सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना करना।
- आपातकालीन ऑपरेशन हेतु स्टॉफ को प्रशिक्षण देना।
- जन-साधारण को प्रशिक्षित करना।
- मूल सूचना के आदान-प्रदान की योजना व सुविधा।
- आवश्यक टीकाकरण।

अध्याय 24

योजना की समीक्षा एवं आधुनिकरण

आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की है। पहली योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है और इसमें आगे सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता रहेगी। आपात स्थिति का मुकाबला सरकार के सबसे निचले स्तर पर तात्कालिक रूप से किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय रिसर्पॉन्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन योजना में सभी क्षेत्रों एवं अनुलम्ब प्रबंधन योजनाओं का सार शामिल है। क्षेत्रीय योजनाओं में वे योजनाएं शामिल हैं जो लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे—गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य पेयजल एवं सेनिटेशन, शहरी विकास, निर्माण और ग्रामीण विकास द्वारा तैयार की जाती हैं। इसमें अग्निशमन सेवा और नगरीय निकाय भी शामिल हैं। निम्नांकित घटकों के आधार पर आपदा प्रबंधन योजना की निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाना चाहिए—

1. क्रियाशील क्षेत्रों एवं स्थानों में मूलतः परिवर्तन होना
2. वास्तविक आपदाओं से प्राप्त महत्वपूर्ण आदान
3. प्रशिक्षणों से प्राप्त ज्ञान
4. मॉक अभ्यासों से प्राप्त महत्वपूर्ण आदान
5. दुर्घटनाओं/दुर्घटना से बचाव से प्राप्त ज्ञान
6. बारां जिले की आपदा रूपरेखा में परिवर्तन
7. महत्वपूर्ण आपदाओं की पहचान करने या उनका शमन करने के लिए नयी तकनीकों का विकास/आविष्कार
8. नियामक आवश्यकताओं में परिवर्तन होना
9. जीआईएस के आधार पर डेटाबेस में परिवर्तन
10. बारां जिले के जनसांख्यिकीय आंकड़ों/स्थानों में परिवर्तन होना

निम्नलिखित घटकों में भी वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए—

1. जिले की उपकरणों की सूची
2. मानव संसाधन की सूची, संपर्क नम्बरों सहित
3. मेडिकल स्टॉक
4. बहु-आपदा जोखिम से प्रभावित गांवों की सूची
5. उपयोग की जानी तकनीक
6. सीखे गये ज्ञान के समन्वय

अध्याय 25

समन्वयन और क्रियान्वयन

सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक मजबूत आधार का काम करेगा।

विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय

किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रिसपॉन्स किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। इनके अलावा अन्य एजेंसियां भी शामिल होती हैं। विभिन्न आपात सेवाएं हमेशा तैयार अवस्था में रहती हैं। जिससे तुरंत रिसपोन्ड कर सके और स्थानीय प्रशासन एवं अन्य सेवाओं को शीघ्रतिशीघ्र अलर्ट कर सके।

हालांकि विभिन्न आपात सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन और अस्पताल अनिवार्य हैं, लेकिन आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिये कुछ लोग उपयोगी सेवाओं एवं स्थानीय संस्थाएं जैसे रेलवे, हवाई सेवा आदि का सहयोग भी जरूरी है। जिनके अलग-अलग दायित्व हैं अगर बचाव एवं समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देना है तो इन सभी विभागों और एजेंसियों को मिलकर बेहतर तालमेल के साथ काम करना जरूरी है।

अनुलम्ब एवं क्षैतिज संबंध स्थापित करना

आपदा प्रबंधन में सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय उनको दिये गये कार्यों के क्रियान्वयन के लिये एक आवश्यक जिम्मेदारी है। विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य सहभागियों के बीच समन्वय से सहक्रिया पैदा होती है जो बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।

वार्षिक रिपोर्ट

एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे।

- आपदा प्रबंधन के लिये डीएमएंडआर के उद्देश्य और विजन का विवरण
- भौतिक एवं वित्तीय दृष्टि से सालाना लक्ष्य एवं उपलब्धियां
- पूर्व वर्ष में क्रियान्वित कार्यक्रम
- अगले वर्ष के लिए योजना
- अन्य जरूरी सूचना, यदि कोई हो तो

आपदा प्रबंधन योजना का संस्थापन

सभी विभाग अपना-अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो आपदा प्रबंधन में अपने-अपने विभागों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के लिये जिम्मेदार होंगे। ये मनोनीत अधिकारी अपने-अपने विभागों के लिये एसओपीज तैयार करेंगे।

सरकारी विभागों और अन्य सहभागियों की क्रांसकटिंग क्रियाकलाप

आपदाएं विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जिससे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार के सभी प्रमुख विभाग और सेवा मुहैया कराने वाले विभाग जिला एवं पंचायत स्तर पर तमाम विकास परियोजनाएं चलाते हैं। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में समायोजित करने से आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

अध्याय 26:— उपसंहार

आपदाओं को रोकने या आपदा की स्थिति में उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना एक संस्थागत प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। नोडल विभागों से उम्मीद की जाती है कि वे आपदा की स्थिति या संभावना के मद्देनजर अपनी-अपनी एसओपीज के अनुसार स्वयं कार्यवाही शुरू करें। आपदा की स्थिति में, तुरंत बचाव एवं राहत अभियान अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि बेहतर तैयारी एवं शमन उपायों से आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

S.N o.	Location	Department / Office	Designation	Employee Name	Personal Mobile
1	कोटा	राजस्व	संभागीय आयुक्त	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	94141 23427
2	बारां	पुलिस	पुलिस अधीक्षक	श्री अभिषेक अंदासु	99674 86425
3	बारां	राजस्व	जिला कलक्टर	श्री बालमुकुंद असावा	94133 57125
4	बारां	राजस्व	एडीएम-बारां	श्री भंवर लाल जनागल	82792 76828
5	बारां	राजस्व	एडीएम-शाहबाद	श्री जब्बर सिंह	98297 19908
6	बारां	पुलिस	अति पु अधी बारां	श्री सौरभ तिवाडी	73759 55173
7	बारां	पुलिस	पी ए – पु अधीक्षक	श्री ललित वर्मा	94600 77366
8	बारां	पंचायती राज	सी ई ओ	श्री राजवीर सिंह चौधरी	96022 37878
9	बारां	वन विभाग	डी सी एफ	श्री बडे विवेकानन्द	76781 69950
10	बारां	शहरी	आयुक्त नगर परिषद बारां	श्री दशरथ मीणा-चार्ज	98284 88474
11	बारां	पंचायती राज	एसीईओ	श्री राजीव तोमर	70732 03652
		पंचायती राज	एक्स एन नरेगा	श्री मयंक शर्मा	87695 42679
12	बारां	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी- बारां	श्री राकेश कुमार-चार्ज	97857 34223
13	अन्ता	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी- अन्ता	श्री हवाई सिंह यादव	70730 92072
14	मांगरोल	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी- मांगरोल	श्री हवाई सिंह यादव- चार्ज	70730 92072
15	अटरू	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी- अटरू	श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल-चार्ज	89529 52593
16	छबडा	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी- छबडा	श्रीमती सपना कुमारी	96499 76267
17	छिपाबडौद	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी-छिपाबडौद	श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल	89529 52593

18	किशनगंज	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी-किशनगंज	श्री राकेश कुमार	97857 34223
19	शाहबाद	राजस्व	उपखण्ड अधिकारी-शाहबाद	श्री सुनील कुमार	96624 89921
20	बारां	राजस्व	तहसीलदार-बारां	श्री दशरथ मीणा	98284 88474
21	अन्ता	राजस्व	तहसीलदार-अन्ता TDR ANTA	सुश्री योगिता कंवर	88907 44410
22	मांगरोल	राजस्व	तहसीलदार-मांगरोल	श्री बगवती जैन	94312 63623
23	अटरू	राजस्व	तहसीलदार-अटरू	श्री अनिल कुमार सामरिया	94607 46466
24	छबडा	राजस्व	तहसीलदार-छबडा	श्री यादवेन्द्र यादव- चार्ज	97859 95555
25	छिपाबडौद	राजस्व	तहसीलदार-छिपाबडौद	श्री जितेन्द्र सिंह पंवार	98291 04134
26	किशनगंज	राजस्व	तहसीलदार-किशनगंज	श्री विशाल वर्मा	99508 54944
27	शाहबाद	राजस्व	तहसीलदार-शाहबाद	श्रीमती अनीता कुमारी	94600 57573
	बारां	राजस्व	तहसीलदार- भू अभिलेख	श्री अभिषेक निलम	78914 99590
28	बारां	स्वास्थ्य	एक्सएन- एन एच एम	जे के सांखला	98874 42545
29	बारां	पंचायती राज	बीडीओ-बारां	श्रीमती	
30	अन्ता	पंचायती राज	बीडीओ-अन्ता	श्री राधेश्याम भील	89495 93744
31	मांगरोल	पंचायती राज	बीडीओ-मांगरोल	श्री सुरेश गोदारा	88269 38288
32	अटरू	पंचायती राज	बीडीओ-अटरू	श्री राहुल कुमार बैरवा	93522 80806
33	छबडा	पंचायती राज	बीडीओ-छबडा	श्री अभिषेक	77340 07077
34	छिपाबडौद	पंचायती राज	बीडीओ-छिपाबडौद	श्रीमती हेम श्री	90017 30706
35	किशनगंज	पंचायती राज	बीडीओ-किशनगंज	श्री नवल कुमार- चार्ज	94607 44745
36	शाहबाद	पंचायती राज	बीडीओ-शाहबाद	श्री रामबिलास मीणा	99501 01612

37	बारां	नगर परिषद	अधिशाली अधिकारी-बारां		
38	अन्ता	नगर पालिका	अधिशाली अधिकारी-अन्ता	श्री जितेन्द्र सिंह पारस- चार्ज	94608 14789
39	मांगरोल	नगर पालिका	अधिशाली अधिकारी-मांगरोल	श्री भावेश नागर-ईईएन	97846 89489
40	सिसवाली	नगर पालिका	अधिशाली अधिकारी-सिसवाली	श्री जितेन्द्र सिंह पारस	94608 14789
41	अटरू	नगर पालिका	अधिशाली अधिकारी-अटरू	श्री योगेन्द्र त्रिवेदी - चार्ज	94131 51135
42	छबडा	नगर पालिका	अधिशाली अधिकारी-छबडा	श्री संदीप गहलोत चार्ज	86963 10255
43	नाहरगढ- किशनगंज	राजस्व	नायब तहसीलदार-नाहरगढ	श्री शिव प्रकाश टाटु	99297 20565
44	बारां	डीओआईटी	संयुक्त निदेशक	श्री सोनू मीणा	91663 31481
45	बारां	एन आई सी	डी आई ओ	श्री पूनम पाठनी	99509 51707
46	बारां	बी एस एन एल	एजीएम	श्री आरपी मौरया	94509 64564
47	छिपाबडौद	राजस्व-उपखण्ड		श्री लेखराज खुशवाह	98295 63704
48	बारां	ICDS	डी डी आईसीडीएस	श्री छोटुलाल शर्मा	63768 20313
49	बारां	खाद्य विभाग / DSO	डी एस ओ	श्री छोटुलाल शर्मा- चार्ज	63768 20313
50	बारां	कौशल आजिविका मिशन /SKILL	आर एस एल डीसी / RSLDC	श्री तनवीर अहमद	95492 77786
51	बारां	राजिविका	डी पी एम	श्री राजीव तोमर	70732 03652
52	बारां	स्वास्थ्य	सी एम एच ओ	डा. जगदीश कुशवाह	94147 72149
53	बारां	स्वास्थ्य	पी एम ओ	डा. नरेंद्र मेघवाल	95091 41694
54	बारां	स्वास्थ्य	प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज	डा सी पी मीणा	94142 38506

55	बारां	आर्युवेद	डी डी	वीरेंद्र कुमार सोहया	75689 05016
56	बारां	कृषि-जेडी	संयुक्त निदेशक उद्यान	श्री राजेश विजय-डीडी	94147 50541
57	बारां	कृषि-जेडी	एडी	श्री धनराज मीणा	89497 14066
58	बारां	कृषि-ऐडी	एडी	श्री शिवराज मीणा	99500 88281
59	बारां	उद्यान	संयुक्त निदेशक उद्यान	श्री पुष्पेन्द्र खिंची	77458 36878
60	बारां	उद्यान	कृषि अधिकारी	श्रीमती मोनिका मीणा	94629 24793
61	अन्ता	कृषि विज्ञान केन्द्र	प्रोपेसर	डा डी के सिंह	94146 62038
62	बारां	कृ उ मण्डी सचिव	मण्डी सचिव	श्री हरिमोहन बैरवा	94617 88564
63	बारां	वाटरशेड	एस ई	श्री कृष्ण मुरारी वर्मा	94141 86532
64	बारां	पशुपालन विभाग	संयुक्त निदेशक	डा सुरेश चंद्र	94143 33460
65	बारां	पशुपालन विभाग	ए डी	डा दीनदयाल मीणा	94135 12472
66	बारां	शिक्षा विभाग	सी डी ई ओ	श्री गेंदा लाल रेगर	98286 33671
67	बारां	शिक्षा विभाग	डी ई ओ – प्राईमेरी	श्री सीताराम गोयल	93525 77964
68	बारां	शिक्षा विभाग	ए डी आई ओ	श्री हरिमोहन गालव	94627 09697
69	बारां	लोक निर्माण विभाग- PWD	एस ई	श्री नरेन्द्र चौधरी- चार्ज	94143 30683
70	बारां	लोक निर्माण विभाग- PWD	एक्स एन बारां शहर	श्री आकाश बटोलिया-एईएन	79761 53658
71	बारां	RSRDC	Project Director	श्री शेखर चंद मीणा	80582 68259
72	बारां	विद्युत विभाग	एस ई	श्री एस सी जांगिड	87697 70805
					94140 46563
73	बारां	विद्युत विभाग	एक्स एन	श्री गिरीराज प्रसाद सुमन	81188 55991
74	बारां	लोक स्वास्थ्य	एस ई पीएचईडी	श्री रामनिवास यादव	94145 45917

75	बारां	लोक स्वास्थ्य	एक्स एन	श्री प्रदीप मीणा	94142 34384
76	बारां	सिंचाई विभाग	एस ई	श्री जितेंद्र शेंखर	98290 35675
77	झालावाड	परवन विभाग	एस ई	श्री अजीत जैन	77372 76000
78	झालावाड	परवन विभाग	एक्स एन	श्री प्रवीण बैरवा	97827 09505
79	बारां	जी पी एफ	डी डी	श्री अशोक कुमार	94141 86951
80	बारां	आर्कोलोजिकल कोटा	सुप्रिडेंटेड	श्री हमेंद्र कुमार अवस्थी	79760 00876
81	बारां	परिवहन विभाग	जिला परिवहन अधिकारी	डा कल्पना शर्मा	63784 71215
82	बारां	माईनिंग	ए एम ई	श्री भंवर लाल	94143 34022
83	बारां	पंजीयन विभाग	उप पंजीयक अधिकारी	श्री दशरथ मीणा-चार्ज	98284 88474
84	बारां	आयकर विभाग	डी सी	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	80033 10395
85	बारां	आबकारी विभाग EXCISE	जिला आबकारी अधिकारी	श्री दानाराम	81122 92338
86	बारां	ट्रेजरी कार्यालय	कोषाधिकारी टी ओ (TO)	श्रीमति कल्पना विजय	90011 62356
87	बारां	जिला बैंक अधिकारी	एलडीएम	श्री राहुल रेकवार	96029 36449
88	बारां	कोपरेटीव /Cooperative	डी आर	श्री रामचन्द्र गुप्ता	90246 13421
89	बारां	कोपरेटीव /Cooperative	मेनेजर सहकारिता उपभोक्ता भण्डार— Cooperative Store Manager	श्री राजेश मीणा	78770 77049
90	बारां	सीसीबी	एम डी	श्री सोमित्र मंगल	94600 54125
91	बारां	Govt Boys PG College	प्रिंसिपल	श्री दीपक मेहरा	94139 44125
92	बारां	Govt Girls PG College	प्रिंसिपल	प्रो अजय मीणा	95498 55869
93	बारां	Politechnic College	प्रिंसिपल	श्री रितेश मीणा	98285 75577

94	बारां	Engineering College	प्रिंसिपल	श्री संतोष शर्मा	94600 13249
95	बारां	देवस्थान विभाग	प्रबंधक	श्री राजकुमार विजय	94688 76697
96	बारां	श्रम विभाग /Labour	श्रम कल्याण अधिकारी	श्री कुंज बिहारी गोचर	88908 61138
97	बारां	आयोजना विभाग CPO	आयोजना अधिकारी	श्री राजीव तोमर	70732 03652
98	बारां	समाज कल्याण विभाग	एडी	श्री शुभम नागर	73401 32694
99	बारां	सांख्यिकी विभाग	एडी	श्री रामप्रसाद बैरवा	94141 91729
100	बारां	सूचना एवं जन सम्पर्क	एडी	श्री योगेन्द्र शर्मा	94603 73696
101	बारां	उद्योग विभाग	जीएम	श्री रविन्द्र वर्मा	96505 95749
102	बारां	रीक्को	आर एम	श्री मनौज कुमार जैन	94140 44257
103	बारां		सी ई	श्री रामप्रसाद बैरवा	94141 91729
104	बारां	खेल विभाग	जिला खेल अधिकारी	श्री विशाल सिंह	87692 75048
105	बारां	सर्किट हाउस	मेनेजर	श्री प्रमोद शर्मा	98188 32172
106	बारां	सर्किट हाउस	मेनेजर- चार्ज	श्री बृजेश यादव	95299 59575
107	बारां	राष्ट्रीय राजमार्ग	पी डी एन एच ए आई – ग्वालियर NHAI	श्री भरत सिंह	79829 46824
108	बारां	राष्ट्रीय राजमार्ग	पी डी एन एच ए आई – कोटा NHAI	श्री संदीप अग्रवाल	94143 10548
109	बारां	वन विभाग	ए सी एफ DCF	श्री नवनीत शर्मा	86190 67289
	कोटा	वन विभाग	डी सी एफ कोटा- शेरगढ DCF	श्री प्रमोद कुमार धाकड	94144 07297
110	झालावाड	प्रदुषण नियंत्रक बोर्ड	EE & RO	श्री अनुराग यादव	80941 78389
111	बारां	आजिविका विभाग		चैतन्य शर्मा	94143 31463
112	शाहबाद		परियोजना अधिकारी स्वच्छ	इन्द्रजीत सोलंकी	99826 74826
113	बारां	राजस्व	नायब तहसीलदार-बारां	पृथ्वी सिंह	96104 23065
114	छिपाबडौद	राजस्व	नायब तहसीलदार-छिपाबडौद	श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर	96367 75600

115	किशनगंज	राजस्व	नायब तहसीलदार— किशनगंज NTDR	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा	96367 25288
116	कोटा	वन विभाग	डी सी एफ कोटा— शेरगढ	श्री प्रमोद कुमार धाकड	94144 07297
117	बारां	खुफिया विभाग	सेन्ट्रल आईबी	श्री सतेन्द्र वर्मा	91191 19055
118	बारां	खुफिया विभाग	स्टेट विभाग	दुर्गा शंकर मेहरा	90798 71110

एस.डी.आर.एफ.जयपुर एवं कोटा सम्पर्क विवरण –

जयपुर :-

श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया कमाण्डेन्ट
SDRF जयपुर
(9413311330)

कोटा :-

- | | |
|---|--|
| 1. श्री राकेश पाल सिंह (नोडल अधिकारी) | 9829250762 |
| 2. श्री जगुराम सहायक कमाण्डेन्ट | 6375627771 |
| 3. ई-मेल (एसडीआरएफ जयपुर कार्यालय) | comdt.sdrf.raj.jpr@gmail.com |
| 4. ई-मेल (बी कम्पनी कोटा कार्यालय) | bcoy.sdrf.raj@gmail.com |
| कन्ट्रोल रूम एसडीआरएफ कोटा न0— | 0744—2350830 |
| 5. श्री एकता हाडा कम्पनी कमाण्डर
(राज्य आपदा प्रतिसाद बल)
बी कम्पनी कोटा | 8769812398 |
| 6. श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 09 (सी.एच.एम.कोटा) | 8107730104 |
| 7. श्री कालुलाल कानि0 844 बी कम्पनी जी.डी.सी. | 8003176343 |
| 7. एस.डी.आर.एफ. कन्ट्रोल रूम | 0141—2759903
CUG No-8764873114 |

परिशिष्ट-3

जिला बारां में निवासरत युवा/उत्साही/तैराकी के जानकारी व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम तैराक	मोबाईल नम्बर	
1.	योगेश पुत्र हेमराज जाति बैरवा उम्र 26 साल निवासी हनोतिया	8946990394	थाना बारां सदर
2.	हरिशंकर पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा उम्र 29 साल निवासी हनोतिया	9950171800	थाना बारां सदर
3.	जुगराज पुत्र हेमराज बैरवा उम्र 31 साल निवासी हनोतिया	8955802891	थाना बारां सदर
4.	रूपसिंह पुत्र बाबूलाल बैरवा उम्र 30 साल निवासी हनोतिया	9602261517	थाना बारां सदर
5.	अखेराज सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी जालेडा	8769611046	थाना बारां सदर
6.	मुरलीधर पुत्र सुखपाल जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी जालेडा		थाना बारां सदर
7.	चन्द्रमोहन पुत्र भरोसीलाल जाति सहरिया उम्र 30 साल निवासी जालेडा		थाना बारां सदर
8.	अनिल पुत्र छीतरलाल जाति वैष्णव उम्र 32 साल निवासी जालेडा	8890106780	थाना बारां सदर
9.	नरेश पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी जालेडा	9351971427	थाना बारां सदर
10.	कुलदीप पुत्र रघुवीर सिंह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी केदाहेडी	9887711611	थाना बारां सदर
11.	पवन पुत्र बसना उम्र 29 साल निवासी केदाहेडी	8094214539	थाना बारां सदर
12.	राधेश्याम गुर्जर उम्र 30 साल निवासी कोटडीसुण्डा	6378598815	थाना बारां सदर
13.	राकेश मीणा उम्र 25 साल निवासी कोटडीसुण्डा	7229976157	थाना बारां सदर
14.	नेमीचन्द बैरवा उम्र 35 साल निवासी भैरुपुरा	8302794778	थाना बारां सदर
15.	बुद्धिप्रकाश बैरवा उम्र 25 साल निवासी भैरुपुरा	9784264827	थाना बारां सदर
16.	शिवराज गुर्जर उम्र 35 साल निवासी सायगढ	9694358127	थाना बारां सदर
17.	रामस्वरूप गुर्जर उम्र 40 साल निवासी तेजगढ	9983739927	थाना बारां सदर
18.	छीतर लोधा उम्र 30 साल निवासी मजरावता	9664181433	थाना बारां सदर
19.	मामूर मेव उम्र 32 साल निवासी मजरावता	8824783716	थाना बारां सदर
20.	दिलीप मीणा निवासी उत्थी उम्र 31 साल	6375729407	थाना बारां सदर
21.	राकेश मीणा उम्र 27 साल निवासी उत्थी	8107456198	थाना बारां सदर
22.	श्री महेन्द्र पुत्र गिरधारी लाल जाति प्रजापति निवासी अमलावदा	9782792491	थाना किशनगंज
23.	श्री जयप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी अमलावदा	6375785548	थाना किशनगंज
24.	श्री बलराम पुत्र मदन लाल जाति माली निवासी अमलावदा	8560060946	थाना किशनगंज
25.	श्री बबलू पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी अमलावदा	6367850888	थाना किशनगंज
26.	श्री अक्षय पुत्र ओमप्रकाश जाति नागर निवासी अमलावदा	8290217242	थाना किशनगंज
27.	श्री मन्नू पुत्र लक्ष्मण जाति अहेडी निवासी गाडीघटटा		थाना किशनगंज
28.	श्री बन्टी पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी रुण्डी रेलावन	8890007119	थाना किशनगंज
29.	श्री राजवीर पुत्र धर्मसिंह जाति मीणा निवासी चण्डालिया		थाना किशनगंज
30.	श्री अंकित पुत्र गिरिराज जाति पारेता निवासी रेलावन	9883767666	थाना किशनगंज

31.	श्री नरेन्द्र पुत्र शिवप्रकाश जाति राठौर निवासी रेलावन		थाना किशनगंज
32.	श्री पवन पुत्र हरिबल्लभ जाति सहरिया निवासी रेलावन		थाना किशनगंज
33.	घासीलाल कानि.1021	थाना नाहरगढ	थाना नाहरगढ
34.	रामकैलाश कानि.688	थाना नाहरगढ	थाना नाहरगढ
35.	नवल धाकड	बन्दाखुर्द	थाना नाहरगढ
36.	राधेश्याम	मामली	थाना नाहरगढ
37.	दीवान सहरिया	बिलोदा	थाना नाहरगढ
38.	अजय सुमन	जलवाडा	थाना नाहरगढ
39.	ललित शर्मा	नाहरगढ	थाना नाहरगढ
40.	कैलाश लोधी	सिमलोद	थाना नाहरगढ
41.	शिवराज राव (सिविल डिफेन्स)	भंवरगढ	थाना भंवरगढ
42.	रूपचन्द चन्देल	भंवरगढ	थाना भंवरगढ
43.	योगेन्द्र चन्देल	भंवरगढ	थाना भंवरगढ
44.	दीपक राव	भंवरगढ	थाना भंवरगढ
45.	हेमन्त वर्मा	भंवरगढ	थाना भंवरगढ
46.	प्रेमनारायण चन्देल	भंवरगढ	थाना भंवरगढ
47.	श्रामेश्वर पुत्र रामनारायण जाति भील उम्र 39 साल	तेलनी	थाना पाली
48.	श्रीराम पुत्र बाबुलाल जाति भील उम्र 30 साल	तेलनी	थाना पाली
49.	श्री कल्याण पुत्र कवरलाल जाति मीणा उम्र 40 साल	पीपलु सरहद	थाना पाली
50.	श्री रुमालसिंह पुत्र धनसिंह जाति भील उम्र 32 साल	बामला	थाना पाली
51.	श्री भुरालाल पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर उम्र 23 साल	सेमलखेडी	थाना पाली
52.	रवि लोधा	टुटीबरडी	थाना पाली
53.	नवल धाकड	बन्दाखुर्द	थाना नाहरगढ
54.	राधेश्याम	मामली	थाना नाहरगढ
55.	दीवान सहरिया	बिलोदा	थाना नाहरगढ
56.	अजय सुमन	जलवाडा	थाना नाहरगढ
57.	ललित शर्मा	नाहरगढ	थाना नाहरगढ
58.	राकेश बंजारा	महोदरी	थाना नाहरगढ
59.	कैलाश लोधी	सिमलोद	थाना नाहरगढ
60.	श्री आनंद कहार	8690667687	थाना कस्बाथाना
61.	श्री राहुल बाथम	8905958607	थाना कस्बाथाना
62.	श्री दीपक बाथम	8233702915	थाना कस्बाथाना
63.	श्री मनोज कहार	9587513770	थाना कस्बाथाना
64.	श्री राकेश कहार	7300289701	थाना कस्बाथाना
65.	श्री विष्णु गोस्वामी	7073619344	थाना कस्बाथाना
66.	श्री भुवेद शर्मा उर्फ मोन्टू	9672585756	थाना कस्बाथाना
67.	श्री राजा ढीमर	8239900207	थाना कस्बाथाना
68.	श्री मुकेश कहार	6377820332	थाना कस्बाथाना
69.	अंकुर पुत्र नवल किशोर सोनी हाट चोक अटरु	9950555122	थाना अटरु
70.	सत्यनारायण उर्फ मुरली पुत्र मांगीलाल धाकड निवासी अन्ताना	9001452489	थाना अटरु
71.	त्रिलोक पुत्र मदनलाल धाकड उम्र 45 साल निवासी अन्ताना	9001443080	थाना अटरु

72.	शिवराज पुत्र सत्यनारायण मीणा उम्र 32 साल निवासी काचरी	8104839902	थाना अटरू
73.	मुरारीलाल पुत्र मथुरालाल गुर्जर उम्र 35 साल कुन्जैड	8239714572	थाना अटरू
74.	मकसुद पुत्र कल्लू मुसलमान उम्र 25 साल निवासी रिछन्दा	9351709685	थाना अटरू
75.	मोडुलाल पुत्र गोमदा गुर्जर उम्र 45 साल निवासी किरपुरिया	9799101241	थाना अटरू
76.	कुलदीप पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 20 साल किशनपुरा	6377121741	थाना अटरू
77.	रामप्रताप पुत्र रामगोपाल कुम्हार उम्र 44 साल चोथ्या	7568769132	थाना अटरू
78.	विक्रम सिंह पुत्र रामसिंह राजपुत उम्र 28 साल निवासी कराडिया गुल्जी	9983486681	थाना अटरू
79.	दिनेश पुत्र रामकुमार मीणा निवासी झारखण्ड	9413559929	थाना अटरू
80.	लखन पुत्र दुलीचन्द मीणा निवासी झारखण्ड	9929481833	थाना अटरू
81.	नेमीचन्द पुत्र रामपाल मीणा निवासी डडवाडा		थाना अटरू
82.	रामधन पुत्र चन्दालाल मीणा उम्र 26 साल निवासी छजावा	7229818563	थाना अटरू
83.	सुरेन्द्र पुत्र श्रवण लाल माली निवासी मोटुका	9602344132	थाना अटरू
84.	मुरलीधर पुत्र बंशीलाल लुहार उम्र 40 साल निवासी बहादुरगंज	7878101940	थाना अटरू
85.	रामगोप पुत्र मोतीलाल मीणा निवासी खैडलीनाहरिया	9950162137	थाना अटरू
86.	इन्द्रजीत पुत्र मदनलाल माली निवासी खैडलीनाहरिया	9602156681	थाना अटरू
87.	विष्णु प्रजापत निवासी मुण्डला	7357820788	थाना अटरू
88.	प्रदीप मीणा निवासी मुण्डला	9509733789	थाना अटरू

नेहरू युवा केन्द्र सक्रिय युवा मण्डल की सूची-बारां

क्र.सं.	युवा मण्डल का नाम	ग्राम	पं.स. (ब्लॉक)	अध्यक्ष का नाम	मो. नं.	सचिव का नाम	मो.नं.
1	विवेकानन्द युवा मण्डल	सारथल	छीपाबडौद	महावीर नागर	8107268916	विकास नागर	9166336053
2	राजीव गांधी यूथ क्लब कलमोदिया	कलमोदिया	छीपाबडौद	मुकेश कुमार	9680737203	टीकम नागर	9660788091
3	विवेकानन्द युवा मण्डल माथनी	माथनी	बारां	लोकेश शर्मा	6350172716	मनोज सुमन	8432051357
4	विवेकानन्द युवा मण्डल लिसाडिया	लिसाडिया	बारां	मुकेश मीणा	9352786031	भूपेन्द्र शर्मा	9414932851
5	स्वामी विवेकानन्द युवा मण्डल	रतनपुरा	अटरू	रायसिंह बंजारा	7340347169	पवन अरिया	8824712694
6	विवेकानन्द युवा मण्डल शाहबाद	शाहबाद	शाहबाद	पवन माली	8890628320	रामचन्द्र	8955490986
7	विवेकानन्द युवा मण्डल	शुभधरा	शाहबाद	मौजी शहरिया	8000707308	हरिसिंह	8302370194
8	स्वामी विवेकानन्द युवा मण्डल	जिरोद	अटरू	कुलदीप मीणा	9784205324	पुनीत मीणा	6375579146
9	नेहरू युवा मण्डल	भडसुई	बारां	किशन मुरारी मीणा	8005843613	गाविन्द मीणा	8696643140
10	नेहरू युवा मण्डल	पीपलदा	किशनगंज	गिरधर गालव	9929029004	मोहित गोस्वामी	9660129029
11	नेहरू युवा मण्डल	भोज्याखेड़ी	अन्ता	पंकज कापुर	8696495070	जावेद खान	9610613483
12	नेहरू युवा मण्डल	भंवरगढ़	किशनगंज	रवि राव	9166864751	शिवराज राव	9660129976

जिले मे उपलब्ध नाव चालक की सूची:-मत्स्य विभाग बारां

परिशिष्ट-5

नाव मालिक का नाम, पता व मो0 न0	निजी नाव चालक का नाम, पता व मो0 न0	गोताखोरों का नाम, पता व मो0 न0	नावों की संख्या	नावें उपलब्ध होने का स्थान
1	2	3	4	5
1. श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम भकरावदा पोस्ट सकरावदा जिला बारां राज. 7725935042	1. श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम भकरावदा पोस्ट सकरावदा जिला बारां राज. 7725935042 2. श्री फुलचन्द ग्राम किशनगंज पोस्ट जिला बारां राज. 9950508132 3. श्री केशव धोबी ग्राम सिमलोद जिला बारां राज. 8824023469 4. श्री विस्वजीत राय ग्राम नेहरूपुरा जिला बारां राज. 9929744647 5. श्री रेवड़ीलाल सहरिया ग्राम अहमदी जिला बारां राज. 9509375223 6. श्री चन्द्रसिंह सिंह ग्राम भकरावदा पोस्ट सकरावदा जिला बारां राज.7665754400	NIL	7	बंध महोदरी जिला बारा बंध अहमदी जिला बारा
2. शोएब अख्तर पुत्र श्री मुश्ताक अहमद कोलियो के मंदिर के सामने बारां 8949238226	1. श्री मेराज पुत्र श्री अहमद ग्राम दुरबार जिला सीतामढ़ी थाना पथोनी चौक बिहार मो. 7073104868			बंध उम्मेदसागर गरड़ा जिला बारा
3. श्री जिगर हुसैन पुत्र श्री महबूब अली ग्राम गोरधनपुरा तह. किशनगंज जिला बारां	1. श्री पप्पु पुत्र श्री किशन ग्राम फलदी रामपुरियां तह.किशनगंज जिला बारां राज. 9352329559 2 श्री शोकत अली पुत्र श्री गुलाब खां ग्राम भंवरगढ़ तह किशनगंज जिला बारां 9602621789			बंध गोपालपुरा भंवरगढ़ जिला बारा
4. श्री मुकददर सिंह पुत्र श्री यशवंत सिंह ग्राम दीगोद खालसा तह छीपाबड़ोअ जिला बारां	1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कस्तुरचन्द ग्राम हांडी खोह खजुरिया तह छीपाबड़ोअ जिला बारां मो. 9351746225 2. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह ग्राम रतनपुरा जिला भीलवाड़ा राज. 9649057934 3. श्री सोनू पुत्र रामकिशन ग्राम उचकपुरिया तह. छीपाबड़ोअ जिला बारां राज. 7851824386			बंध लासी खजुरिया जिला बारा

B+ve and B-ve Blood Group

Sr. no.	Donor Name	Address	Mobile no	Blood Group
1	Gangadhar	Baran	9667305771	B+ve
2	Bhuvnesh suman	Badwa	6350475289	B+ve
3	Ayushman	Atru	9829997891	B+ve
4	Rajendra	Baran	7014432789	B+ve
5	Pawan	Chhipabarod	7568967626	B+ve
6	Manish	Baran	9950049964	B+ve
7	Vijay suman	Relawan	6350072164	B+ve
8	Manoj nagar	Manoharpur	7014452298	B-ve
9	Manoj	Kishanganj	9653795140	B-ve
10	Raghuveer	Kishanganj	9636060628	B-ve

A+ve and A-ve Blood Donor

Sr. no.	Donor Name	Address	Mobile no	Blood Group
1	Ramcharan	Kishanganj	8955745181	A+ve
2	Rajendra	Baran	7726801418	A+ve
3	Satish nagar	Baran	8955644473	A+ve
4	Saif ali	Baran	8209614588	A+ve
5	Punit	Baran	7726842316	A+ve
6	Vijay suman	Baran	9024253079	A+ve
7	Neeraj	Baran	7610851365	A+ve
8	udaiy singh	Baran	8058647484	A-ve
9	Radheshyam	Doty	8302500828	A-ve
10	Amit	Baran	9462111533	A-ve

AB+ve and AB-ve Blood Group

Sr. no.	Donor Name	Address	Mobile no	Blood Group
1	Mukesh	Baldara	9001236848	Ab+ve
2	Harshit goyal	Baran	9460685541	Ab+ve
3	Imran	Fatehpur	9166855406	Ab+ve
4	Manish	Atru	8054448484	Ab+ve
5	Mangal	Baroda, MP	8690075665	Ab+ve
6	Bhuvneshwar	Baran	9413096108	Ab+ve
7	Suraj kumar	Bengna	9460488735	Ab+ve
8	Jitendra gochar	Kishanganj	8209200458	Ab+ve
9	Madhav	Baran	7976358280	Ab-ve
10	Dhiraj	Baran	8003336657	Ab-ve

O+ve and O-ve Blood Donor

Sr. no.	Donor Name	Address	Mobile no	Blood Group
1	Anil bairwa	Faldi	8986830031	O+ve
2	Kanhaiya	Bhanwargarh	6375118370	O+ve
3	Prem	Baran	8502025527	O+ve
4	Premchand	Baran	9414409005	O+ve
5	Anurag	Baran	9680907160	O+ve
6	Rajamurad	Baran	9587747598	O+ve
7	Pradeep nagar	Nalka, baran	9772305363	O+ve
8	Mukut	Baran	9001588616	O-ve
9	Shivcharan	Baran	8058192999	O-ve
10	Manoj rathore	Mangrol	8432417295	O-ve

पशुओं को रखने के लिए गौ शालाओं की सूची

क्र.सं.	गौशाला/ कांजी हाउस का नाम	राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में पंजीयन		राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन 1958/अन्य में पंजीयन		गौशाला को आवंटित कोड	गौशाला के मनोनीत सदस्य के मो.नं.
		क्रमांक	दिनांक	क्रमांक	दिनांक		
	अन्ता						
1	गोपाल गौसेवा समिति अन्ता द्वारा संचालित श्रीनटराज गौशाला खजुरनाकलां			92	07.03.2015	GP04/ 13	9414662078
2	श्री गोविन्द गौ सेवा समिति, बरखेडा, तह.अन्ता			05	11.04.2017	GP04/ 36	9414746313
3	माँ बिसोती गौशाला समिति बडगौव, तह.अन्ता जिला बारां			200791	25.10.2021	GP04/ 30	7014993049
	अटरू						
4	श्री महादेव गौशाला सेवा समिति टिगरी, तह.अटरू	1827	01.10.2018	50	9.10.2013	GP04/ 23	9413633423
5	श्रीगौरधन गोपाल गौशाला कनोटिया	1754	12.6.2018	32	2015-16	GP04/ 12	9610585050
6	नन्दिनी गौ सेवा समिति अटरू तह. अटरू	1879	28.06.2019	68	22.03.2013	GP04/ 22	9414620598
7	श्रीकृष्ण गौशाला समिति कवाई			99	25.03.2015	GP04/ 21	9461000517
8	राधेकृष्ण गौशाला सेवा समिति, मुसई गुजरान, तहसील अटरू			100387	18.10.2019	GP04/ 31	9950861441
9	श्री नृसिंग गौशाला पंचफल विकास समिति, नृसिंगपुरा (सहरोद), तह.अटरू			200109	04.08.2020	GP04/ 34	9414314531
10	स्वामी कार्तिक गिरी गौसेवा समिति खुरी, तह.अटरू			54	19.11.2015	GP04/ 50	8302664928
11	जय हनुमत गौशाला सेवा समिति हनुवत खेडा, ग्रा.प. गोरधपुरा तह.अटरू					GP04/ 59	25142
12	गणेश गौशाला सेवा समिति दिलोद हाथी, तह.अटरू					GP04/ 60	5265
	बारां						
13	नन्दनी गौशाला मनोहर घाट, शिवाजी नगर बारां	1136	11.01.2011			GP04/ 03	9414226462
14	श्री नंदी गौशाला, रानीहेडा, ग्रा. पं.थामली बारा					GP04/ 18	9784412562
15	श्रीमहावीर गौशाला कल्याण संस्थान शाखा-जालेडा	380	2002	95	2001	GP04/ 11	9414191131
16	श्री चौथमाता भागवत गौशाला समिति, ग्राम सीमली, तह.बारां			213	21.09.2016	GP04/ 40	9602379958
17	श्री बडा बालाजी गौशाला द्वारा			95	05.10.2001	GP04/ 41	9413309966

	संचालित श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्था, ग्राम बडा।						
18	श्री नाथ गो सेवा समिति गोरधनपुरा जागीर, ग्रा.प. बराना, तह.बारां			100327	20.08.2019	GP04/ 33	7568979555
19	श्री कायन हाउस बारां					GP04/ 15	
20	श्री महावीर गौशाला समिति, माथना, बारां			201042	16.09.2022	GP04/ 47	7014887464
21	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा संस्थान, कोयला, तह., बारां			100225	25.03.2019	GP04/ 52	8104198938
	छबडा						
22	श्री बालाजी गौशाला, हनुवतखेडा,छबडा			102	22.03.2016	GP04/ 20	9511580559
23	श्री देवनारायण गौशाला, समिति हान्याहेडी तहसील छबडा			27	23.05.14	GP04/ 25	9829251527
24	श्री गोपाल गोरक्षण एवं संवर्धन समिति छबडा	1328	25.02.2014	445	29.8.2008	GP04/ 04	9352746001
25	तारा देवी गौशाला समिति बांहरा-दोहनी, तह. छबडा जिला बारां			100011	09.02.18	GP04/ 19	9571946533
26	सुरभि गौशाला समिति गुगोर छबडा			200553	04.03.2021	GP04/ 43	9414730499
	छीपाबडोद						
27	श्रीकृष्ण गोवंश रक्षण संवर्धन समिति छीपाबडोद	149	06.04.1998	21	12.12.1996	GP04/ 05	8619260342
28	श्रीराधाकृष्ण गौशाला सेवा संस्थान, ढोलम			86	20.1.2012	GP04/ 06	8003601710
29	श्रीकृष्ण बलराम गौशाला सेवा संस्थान, गोरधनपुरा			51	20.1.2010	GP04/ 07	6375745881
30	श्रीभगवान महावीर जीवदया एवं गौशाला सोसायटी हरनावदा जागीर	1574	12.4.2016	57	27.11.2015	GP04/ 09	9772288277
31	श्रीकृष्ण गौशाला हरनवादाशाहजी	160	27.08.1998			GP04/ 08	9001463085
32	श्री कालाजी भगवत गौशाला समिति टाँचा, तह.छीपाबडोद			35	02.08.17	GP04/ 24	9785155465
33	बालकृष्णा गौशाला समिति, बम्बोरी बडाय, तह.छीपाबडोद			100109	16.08.2018	GP04/ 26	9001550371
34	श्री राधाकृष्ण गौ सेवा संस्थान पछाड			100025	14.03.2018	GP04/ 29	9829347570
35	श्री कृष्णानंद गौशाला सेवा संस्थान, गुलखेडी तह.छीपाबडोद			200635	05.07.2021	GP04/ 37	9929067874
36	श्री बालाजी गौशाला समिति अजनावर,तह.छीपाबडोद			200096	10.09.2022	GP04/ 38	9928296911
37	श्री बालाजी गौशाला समिति कोटडा भगवान,तह.छीपाबडोद			200118	10.09.2020	GP04/ 39	9829962504
38	श्री गोविन्द गौशाला समिति			201029	02.11.2022	GP04/ 51	9772269416

	खेडी, तह.छीपाबडोद						
39	श्री बाल गोपाल गौशाला समिति मानपुरा, तह.छीपाबडोद			201032	16.09.22	GP04/ 53	1245
40	श्री द्वारकादीश गौशाला समिति, बंजारी					GP04/ 58	1254
41	महादेव गौशाला, दीगोद खालसा, तह.छीपाबडोद					GP04/ 57	12514
	किशनगंज						
42	श्रीमाधवगोविन्द गौशाला बोंसथूनी	373	09.07.2002	18	10.5.2001	GP04/ 02	7231988577
43	गंगा गौशाला सेवा समिति, रामपुर टोडिया, तह.किशनगंज			100295	28.05.19	GP04/ 27	6376693553
44	कामधेनू गौशाला समिति, नाहरगढ			54	31.10.2013	GP04/ 32	9414190587
45	माधव गोविन्द गौ सेवा समिति, भेंवरगढ, तह.किशनगंज			100254	25.03.2019	GP04/ 35	8005773793
46	केवलपुरी कृष्णा अन्नपूर्णा माताजी गौशाला समिति, रामगढ, तह.किशनगंज			41	07.11.2007	GP04/ 45	9001743863
47	लक्ष्मी गो वंश सेवा समिति खण्डेला, तह.किशनगंज			201057	02.02.2023	GP04/ 46	8619013285
48	रुरल इकॉनोमी एण्ड कृषि उत्पाद गौशाला संस्थान रानीबडौद, तह.किशनगंज			200596	10.02.2021	GP04/ 48	9251736574
49	शिव गौ सेवा समिति काली माटी, रामपुर टोडिया, तह. किशनगंज			201101	28.03.2023	GP04/ 64	9257952507
	मांगरोल						
50	श्रीमदभागवत गौशाला भटेडी बालाजी सीसवाली	1425	15.10.14	62	22.11.2011	GP04/ 14a	9928275159
51	श्रीगोविन्द गौसंवर्धन एवं अनुसांधन समिति सीसवाली			68	2001-02	GP04/ 14b	9166048995
52	श्री गोविन्द गौशाला, सेवा समिति, बलदेवपुरा, तह.मांगरोल			10029	26.04.2018	GP04/ 17	6378380685
53	महावीर गोशाला सेवा समिति बोहत, तह.मांगरोल			100325	18.10.2019	GP04/ 44	9116607851
54	परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य गौशाला प्रन्यास, सीसवाली					GP04/ 61	2514
	शाहबाद						
55	श्री कृष्ण गौशाला द्वारा संचालित श्रीमहावीर गौशाला कल्याण समिति संस्थान, शाखा-देवरी उपरेटी शाहबाद	1676	23.08.2017	95	05.10.2001	GP04/ 16	9413309966
56	श्री नन्दगोपाल गौशाला अजरोण्डा	682	13.05.05	63	24.02.2004	GP04/ 01	7976675445
57	श्री लक्ष्मी गौशाला, समिति			46	13.09.13	GP04/ 28	6375232296

	आगर, तहसील शाहबाद						
58	कामधेनु सुदर्शन गौशाला सेवा समिति कृपालपुरा, तह.शाहबाद			200642	04.03.2021	GP04/ 42	7791089240
59	माधव गौ विज्ञान अनुसंधान गौशाला, खुशियारा, तह.शाहबाद			200864	08.07.2022	GP04/ 49	9772052884
60	कृष्ण गौ सेवा समिति पीपलखेडी			201179	30.07.23	GP04/ 62	9079166294
61	गणेश गौ सेवा समिति सीताबाडी			201162	30.07.23	GP04/ 63	9929177870

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बारां				
क्र०सं०	परियोजना	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	ग्रा०पं०	भवन का प्रकार विभागीय/स्कूल/किराया/अन्य आदि
1	अन्ता	ईश्वरपुरा-1	ईश्वरपुरा	विभागीय भवन
2	अन्ता	भोज्याखेडी -1	भोज्याखेडी	विभागीय भवन
3	अन्ता	बालदडा-1	बालदडा	विभागीय भवन
4	अन्ता	उदपुरिया	उदपुरिया	स्कूल मे संचालित
5	अन्ता	श्रीनाल	तिसाया	स्कूल मे संचालित
6	अन्ता	महुआ-1	महुआ	विभागीय भवन
7	अन्ता	रकसपुरिया	महुआ	स्कूल मे संचालित
8	अन्ता	देवपुरा सोरखण्डकलां	सोरखण्ड कलां	स्कूल मे संचालित
9	अन्ता	टारडा-1	बिजौरा	स्कूल मे संचालित
10	अटरू	गोरडी	गोरडी	विभागीय भवन
11	अटरू	कराडियाहाडा	किशनपुरा	विभागीय भवन
12	बारां	रारोति	संबलपुर	स्कूल (पुराना)मे संचालित
13	बारां	तुमडा	खैराली	स्कूल मे संचालित
14	छबडा	खेडी	मूंडला	विभागीय भवन
15	छबडा	फेजपुरा	तेलनी	विभागीय भवन
16	छबडा	काबरखो	पली	स्कूल मे संचालित
17	छबडा	पचपाडा	पचपाडा	विभागीय भवन
18	छबडा	युसुफपुरा	मूंडक्या	विभागीय भवन
19	शाहबाद	बडारा	राजपुर	विभागीय भवन
20	शाहबाद	ममोनी-2	खाण्डा सहरोल	विभागीय भवन
21	शाहबाद	बिरमानी	शाहबाद	विभागीय भवन
22	शाहबाद	खुशालपुरा	शुभघरा	विभागीय भवन
23	शाहबाद	बसई	सनवाडा	विभागीय भवन
24	शाहबाद	सांधरी	सनवाडा	विभागीय भवन
25	शाहबाद	बीलखेडा डांग	बीलखेडा डांग	विभागीय भवन
25	शाहबाद	होडापुरा	बीलखेडा डांग	स्कूल मे संचालित
26	शाहबाद	नयागांव	बीलखेडा डांग	स्कूल मे संचालित
27	शाहबाद	समरानियां-3	समरानियों	विभागीय भवन
28	शाहबाद	सेमरा	गणेशपुरा	विभागीय भवन
29	शाहबाद	बहराई	अजरोडा	विभागीय भवन
30	शाहबाद	अजरोडा-2	अजरोडा	स्कूल मे संचालित
31	किशनगंज	दीगोदपार-1	दीगोदपार	विभागीय भवन

32	किशनगंज	दीगोदपार-2	दीगोदपार	विभागीय भवन
33	किशनगंज	छत्रपुरादण्ड-1	शोभगपुरा	विभागीय भवन
34	किशनगंज	किशनआईपुरा	पीपल्दाकंला	विभागीय भवन
35	किशनगंज	टगरिया ढाणी	असनावर	विभागीय भवन
36	किशनगंज	मोहनबमोरी	सकरावदा	विभागीय भवन
37	किशनगंज	फतेहपुरा	रामगढ	विभागीय भवन
38	किशनगंज	बडोदिया	कागलाबमोरी	विभागीय भवन
39	किशनगंज	कुण्डी-2	दीगोदपार	विभागीय भवन
40	किशनगंज	मायथा	ब्रजनगर	विभागीय भवन
41	किशनगंज	पीजना-1	पीजना	विभागीय भवन
42	किशनगंज	गाडीघट्टा	बांसथूनी	स्कूल मे संचालित
43	किशनगंज	भंवरगढ-1	भंवरगढ	विभागीय भवन
44	किशनगंज	जेतपुरा	रामपुरटोढिया	स्कूल मे संचालित
45	किशनगंज	कालीमाटी	रामपुरटोढिया	विभागीय भवन
46	किशनगंज	गीगचा	बन्दाखुर्द	विभागीय भवन
47	किशनगंज	बजरंगगढ-1	बजरंगगढ	स्कूल मे संचालित
48	छीपाबड़ोद	देवरीजोध	देवरी जोध I	विभागीय भवन
49	छीपाबड़ोद	झनझनी	मण्डोला	विभागीय भवन
50	छीपाबड़ोद	कचनारिया कलां	श्रीपुरा	विभागीय भवन
51	छीपाबड़ोद	कचनारिया कलां	पाटडी	विभागीय भवन
52	छीपाबड़ोद	काल्पाजागीर	बरसत I	विभागीय भवन
53	छीपाबड़ोद	काल्पाजागीर	कोटडाभगवान	विभागीय भवन
54	छीपाबड़ोद	मानपुरा	मानपुरा I	विभागीय भवन
55	छीपाबड़ोद	पीथपुर	काजलिया	विभागीय भवन
56	छीपाबड़ोद	सेतकोलू	सेवनिया	विभागीय भवन
57	छीपाबड़ोद	टांचा	टांची	विभागीय भवन
58	छीपाबड़ोद	राई	राई I	विभागीय भवन
59	छीपाबड़ोद	अजनावर	बरावदा	विद्यालय भवन
60	छीपाबड़ोद	गोरधनपुरा	पीपलहेडा I	विद्यालय भवन
61	छीपाबड़ोद	झनझनी	खैरखजूरिया	विद्यालय भवन
62	छीपाबड़ोद	मानपुरा	मानपुरा II	विद्यालय भवन
63	छीपाबड़ोद	मानपुरा	कोटडी (मिनी)	विद्यालय भवन
64	छीपाबड़ोद	राई	रांवा	विद्यालय भवन
65	छीपाबड़ोद	सहजनपुर	बिसलाई	विद्यालय भवन
66	छीपाबड़ोद	सेतकोलू	चौकी	विद्यालय भवन
67	छीपाबड़ोद	सेतकोलू	हाण्डीखोह (मिनी)	विद्यालय भवन

पेट्रोल पम्पों की सूची

परिशिष्ट- 9

क्र. सं.	तहसील	फर्म का नाम व पता	दूरभाष नं.	मोबाईल न0
1	बारां	मै. सूरजभान एण्ड ब्रदर्स बारांIOC	230766	9414190766
2		मै. बी.सी. जैन एण्ड सन्स बारां IOC		
3		मैं बालाजी फिलिंग स्टेशन, मांगरोल रोड़ बारांHPC	9414186748	9414938234
4		भारत फिलिंग स्टेशन शिवपुरी रोड़, बारांIOC		9414179400
5		मै. अरविन्द सर्विस स्टेशन बारांHPC	237070	9413355620
6		मै. सेठी फिलिंग स्टेशन बारां BPC		
7		राज फिलिंग स्टेशन कोटा रोड़ बारां BPC	237049	
8		मैं महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन अटरू रोड़ मण्डोला HPC	8426945444	9460523112
9		राज एण्ड कम्पनी कलमण्डा HPC		
10		मै. रिलायन्स पेट्रो. मार्केटिंग नियाना		
11		मै. यादव इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमि. बारां IOC		9414278190
12		मैसर्स भारत फिलिंग स्टेशन यूनिट 2 मांगारोल रोड़ बारां IOC		
13		मैसर्स कनक फिलिंग स्टेशन बमूलियाIOC		9414154413
14		मैसर्स एल.एन. फिलिंग स्टेशन कलमण्डाIOC		
15		मैसर्स एडॉक पवित्र इण्डियन ऑयल, मांगरोल रोड़ IOC		
16		मैसर्स रिद्धि सिद्धि फिलिंग स्टेशन फूसरा BPC		9571432267
1	अन्ता	मै. क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. अन्ताIOC		
2		मैं विद्या सर्विस स्टेशन बरखेडा अन्ताIOC		9828687770
3		मैं अम्बिका फिलिंग स्टेशन अन्ता HPC		9414191001

4		मै. ठिकरिया फिलिंग स्टेशन अन्ता BPC		9414257454
5		मै. आर.डी. फ्यूल स्टेशन बमोरी HPC		9001833403
6		मैसर्स रूक्मणी नागर फिलिंग स्टेशन रातडिया तहसील अन्ताBPC		
7		मैसर्स अन्पूर्णा सर्विस स्टेशन बमूलिया, अन्ता HPC		
8		मैसर्स साईनाथ फिलिंग स्टेशन बड़वा BPC		
1	मांगरोल	मै. व्यास पेट्रोलियम मांगरोलIOOC		
2		मैं अरुण फिलिंग स्टेशन, मांगरोलHPC		9414190553
3		मैं श्री कल्याण सिंह फिलिंग स्टेशन बमोरी कलां तह0 मांगरोल HPC		
4		दिगवाल फिलिंग स्टेशन सीसवाली रोड़ मांगरोल BPC		
5		मै. सीसवाली इण्डियन ऑयल फिलिंग स्टेशनIOOC		
6		मेसर्स विजय फ्यूल स्टेशन बमोरी कलां BPC		9414184233
7		मैसर्स प्रियंका फिलिंग स्टेशन बोहताIOOC		9462678257
8		मैसर्स अगवान फिलिंग स्टेशन मांगरोल BPC	7568370728	9414938350
1	अटरू	मै. हाड़ौती सर्विस स्टेशन अटरूIOOC		
2		गरुघाट फिलिंग स्टेशन HPC		
3		मै. श्रीनाथ फिलिंग स्टेशन कवाई सालपुराHPC		
4		मै. कवाई फिलिंग स्टेशन तह. अटरूBPC		
5		मेसर्स रायल फिलिंग स्टेशन गरुघाट रोड़ BPC	07451212300	
6		श्री कान्हा फिलिंग स्टेशन अटरूHPC		
7		मेसर्स अरुषा फिलिंग स्टेशन छजावा IOOC		
8		मै. गणेश फिलिंग स्टेशन निमोदा HPC		
9		मै. नवदुर्गा फिलिंग स्टेशन कवाई, IOOC		9214012180

10		मैसर्स गोपाल फिलिंग स्टेशन मोठपुर BPC		
11		मैसर्स सिद्धि विनायक फिलिंग स्टेशन निमोदा IOC		
1	छबड़ा	मै. मास्टर सर्विस स्टेशन छबड़ा HPC		9829314137
2		मैं गूगोर फिलिंग स्टेशन छबड़ा IOC		
3		मै. राजस्थली पेट्रोलियम सेन्टर छबड़ा IOC		
4		मै. वासु फिलिंग स्टेशन गूगोर रोड़ छबड़ा BPC		
5		मै. प्रकाश फिलिंग स्टेशन धरनावदा रोड़ छबड़ा HPC		
6		मै. रिलाईन्स पेट्रो. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड		
7		मै. विचक्सन फिलिंग स्टेशन बापचा HPC		
8		मै. सरदारजी एण्ड संस छबड़ा BPC		
9		मै. साक्षी फिलिंग स्टेशन भूलोन		
10		मैसर्स श्री श्याम फिलिंग स्टेशन नीमथूर IOC		
1	छीपाबडौद	मैं स्वराज सर्विस स्टेशन, हरनावदा शाहजी IOC		9928011721
2		गुरुकृपा फिलिंग स्टेशन छीपाबडौद IOC		99280257619928025762
3		मैं नमन फिलिंग स्टेशन छीपाबडौद HPC		
4		मै. गोविन्द फिलिंग स्टेशन छीपाबडौद IOC		
5		मै. सांवरिया फिलिंग स्टेशन HPC		9928025751
6		मैसर्स गोयल पयूल पाईट दीगोद खालसा BPC		
1	किशनगंज	मैं. राम गोपाल राधा किशन यूनिट 2 नाहरगढ़ IOC		
2		मै. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी फिलिंग स्टेशन, भंवरगढ़ BPC		
3		मै. कपिल फिलिंग स्टेशन किशनगंज HPC		
4		मैसर्स आर्शीवाद फिलिंग स्टेशन नाहरगढ़ BPC		

5		मै. सिद्धि विनायक फिलिंग स्टेशन रामगढ़ IOC		
6		मै. भारत फिलिंग स्टेशनBPC		
7		मै. श्री गणेश फिलिंग स्टेशन छीनोद।IOC		
8		मेसर्स अर्थव फिलिंगस्टेशन जलवाड़ा BPC		
9		मेसर्स श्रीराम फिलिंग स्टेशन नाहरगढ़।IOC		9462901831 9001936701
10		मै. रिद्धिमा फिलिंग स्टेशन नाहरगढ़ HPC		
1	शाहबाद	मै. बालाजी फिलिंग स्टेशन गदरेटा(समरानियां) HPC		9983846399 9571960936
2		मै. सीताबाड़ी सर्विस स्टेशन केलवाड़ाHPC	07460. 260290	
3		जय अम्बे इन्टर प्राइजेज, ग्राम गदरेटा BPC		9571960936 8239747724
4		मै ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस पेट्रोल डीजल पम्प देवरीBPC		
5		मै. दी बारन कॉआपरेटिव सोसायिटी लिमि. बारां ब्रान्च केलवाड़ा IOC		
6		मेसर्स बाबा फिलिंग स्टेशन देवरी HPC		9983400307
7		मेसर्स रेवजा फिलिंग स्टेशन सनवाड़ा IOC		
8		मेसर्स परमप्रेम फिलिंग स्टेशन केलवाड़ाBPC		
9		मेसर्स कमला फिलिंग स्टेशन देवरी।IOC		9602414899
10		मेसर्स किसान हाईवे सर्विस स्टेशन खुशियारा IOC		
11		मेसर्स जानकी फिलिंग स्टेशन देवरी।IOC		

गैस एजेन्सी व गोदामों की सूची

क्र. सं.	तहसील	एजेन्सी का नाम व पता	दूरभाष नं.
1	बारां	मैं बारां गैस सर्विस	9414257144
2	बारां	कोयला इण्डेन ग्रामीण वितरक, कोयला	8560060514
3	बारां	मैसर्स पोरवाल इण्डेन बारां	9414330401
4	बारां	मैसर्स राज एच.पी. गैस एजेन्सी बारां	9414172000
5	बारां	मैसर्स लक्ष्य एच.पी. गैस एजेन्सी बारां	8058575757
6	अन्ता	मैं अन्ता गैस सर्विस	9414190681
7	अन्ता	लक्ष्मी गैस एजेन्सी बड़गांव	9928889094
8	मांगरोल	मैं धाकड़ एच.पी.गैस सेंटर	9413354500
9	अटरू	शिवम् एच.पी.गैस सर्विस कवाई	9829878882
10	अटरू	हिल व्यू एच.पी. गैस एजेन्सी अन्ताना	9929092999
11	छबड़ा	मैं निधि एच.पी.गैस सेंटर	9414191176
12	छीपाबड़ौद	मैं प्रिंस एच.पी.गैस सेंटर	9414358407
13	छीपाबड़ौद	सारथल इण्डेन ग्रामीण वितरक, सारथल	9784169888 9950250982
14	किशनगंज	जे.एस गैस एजेन्सी, किशनगंज	9950929992
15	किशनगंज	भंवरगढ़ इण्डेन ग्रामीण वितरक, भंवरगढ़	9928517451
16	किशनगंज	नाहरगढ़ इण्डेन ग्रामीण वितरक, नाहरगढ़	9929998682
17	शाहबाद	देवरी इण्डेन ग्रामीण वितरक, देवरी	9982492206
18	शाहबाद	समरानियां इण्डेन ग्रामीण वितरक, समरानियां	9549497777

टैन्ट हाउसों की सूची

क्र.सं.	नाम टैन्ट हाउस व पता	दूरभाष नं.	
		कार्यालय	निवास
1	गालव टैन्ट हाउस, प्रताप चौक, बारां	231358	
2	गणेश टैन्ट हाउस, बारां	231396	
3	विशाल टैन्ट हाउस, अस्पताल रोड़ बारां	234613	232264
4	राठौड़ टैन्ट हाउस, तेल फैक्ट्री, बारां	232590	
5	विष्णु टैन्ट हाउस, अस्पताल रोड़ बारां		231309
अन्ता			
1	रॉयल टेन्ट हाउस, अन्ता	9001321696	
2	रहमान टेन्ट हाउस, अन्ता	9602884646	
3	हाडौती टेन्ट हाउस, अन्ता	9782062403	
4	आजाद टेन्ट हाउस, अन्ता	9610775188	
5	काजल टेन्ट हाउस, अन्ता	9887404844	
मांगरोल			
1	काबरा टेन्ट हाउस, मांगरोल	6377191943	
2	जगदीश टेन्ट हाउस, मांगरोल	9829535307	
3	हाडा टेन्ट हाउस, सीसवाली	9413512275	
4	सुमन टेन्ट हाउस, बोहत	9929840626	
5	जय हनुमान टेन्ट हाउस, बमोरी कलां	9785234552	
छबड़ा			
1	पदम टेन्ट हाउस, छबड़ा		
2	मयूर टेन्ट हाउस, छबड़ा		
छीपाबडौद			
1	असलम टेन्ट हाउस	9829535021	
2	अग्रवाल टेन्ट हाउस	9950449575	

3	श्री कृष्णा टेन्ट हाउस	9784524992	
4	श्री टेन्ट हाउस	9784717405	
5	मदीना टेन्ट हाउस	9928704300	
अटरू			
1	विनायक टेन्ट हाउस, अर्जुन	8432858163	
2	नेशनल टेन्ट हाउस, बडोरा	9928737092	
3	श्री टेन्ट हाउस, कवाई	9929221334	
4	रवि टेन्ट हाउस, कवाई	9413440199	
5	राधे टेन्ट हाउस, कवाई	9680846065	
किशनगंज			
1	चौरसिया टैन्ट हाउस		
शाहाबाद			
1	श्री इकबाल, केलवाडा	9001770205	
2	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, समरानियां	9982903990	
3	श्री सतीश नामदेव, देवरी	8875121468	
4	श्री अब्दूल शाहिद खान, कस्बाथाना	9587254050	
5	श्री इकलाख, शाहाबाद	8302425786	

हलवाईयों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता	पता	मोबाईल न.
बारां			
1	फूलचंद जी हलवाई तेलफेक्ट्री झालावाड़ रोड़ बारां	बारां	
2	रामेश्वर मंगल हलवाई, सर्राफा बाजार बारां	बारां	
3	ठठेरा मिष्ठान भंडार चौमुखा बाजार बारां	बारां	231093
4	रामप्रसाद हीरालाल हलवाई संस्था धर्मादा चौराहा बारां	बारां	
5	मूलचंद जी हलवाई संस्था धर्मादा चौराहा बारां	बारां	234418
6	कमल जैन श्रीजी चौक बारां (केटर्स)	बारां	230838
अन्ता			
1	महावीर सुमन	अजितपुरा	8003630027
2	रामस्वरूप प्रजापति	अन्ता	9887019970
3	दिनेश प्रजापति	अन्ता	9602270311
4	मोहनलाल	अन्ता	9799945656
अटरू			
1	केलाश सुमन	बरलां	9784007520
2	रामभरोस अजमेरा	बमोरी	9950595965
3	लक्ष्मीनारायण नागर	कटावर	9601564127
4	मुकेश	मूण्डलाबिसोती	9166994474
5	हेमराज गोतम	कवाई	9928030511
6	शिवशंकर	कवाई	9950452698
छबडा			
1	जितेन्द्र कुमार सिंघल	छबडा	9829542849
2	हेमराज गुर्जर	दिलोद	8955668255
3	बॉके बिहारी रेस्टोरेन्ट, मोतीपुरा	छबडा	9929615409
4	रमेश नागर	खेजडा	7742678440
5	उमाशंकर खाती	जैपला	8824262980
छीपाबडोद			

1	श्री जगदीश अग्रवाल	छीपाबड़ौद	9929540220
2	श्री रामबाबू	छीपाबड़ौद	9829357850
3	श्री मोहन सुमन	छीपाबड़ौद	9928117621
4	श्री चौथमल सुमन	छीपाबड़ौद	8769911535
5	श्री रूपचन्द	छीपाबड़ौद	8949274941
मांगरोल			
1	परमानन्द शर्मा	मांगरोल	9785452629
2	अंकित सुमन	मांगरोल	8619663758
3	रामदयाल सुमन	रायथल	9983865801
4	लेखराज नागर	सीसवाली	9829900149
5	रामेश्वर सेन	बोहत	8209527940

शाहाबाद			
1	श्री सतीश राठौर	शाहाबाद	9166995415
2	श्री मनोज कश्यप	शाहाबाद	7878145266
3	श्री श्रवण कुमार	केलवाडा	9001236888
4	श्री ओमप्रकाश	नाटई	9602510507
5	श्री राजेश कुमार मेहता	कस्बाथाना	9672019808